अध्यापकों के लिए समेकित शिक्षा दर्शिका विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की सहायता हेतु

प्रेमलता शर्मा

विद्ययाऽमृतमश्नुते

एन सी ई आर टी
NCERT

अध्यापक शिक्षा विशेष शिक्षा और विस्तार सेवा विभाग
राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्
श्री अरविन्द मार्ग, नई दिल्ली-110016

अप्रेल 1988
बैशाख 2045

पी०आई०ई०डी०—अध्यापक शिक्षा, विशेष शिक्षा एवं विस्तार सेवा विभाग—तीन हजार

प्रकाशन विभाग में, सचिव, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, श्री अरविन्द मार्ग, नई दिल्ली-110016 द्वारा प्रकाशित तथा गीतांजलि प्रिंटर्स, बी-176/2 ओखला इण्डस्ट्रीयल एरिया फेस-1, नई दिल्ली-110020 में मुद्रित ।

प्राक्कथन

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में 'समानता के लिए शिक्षा' नामक अध्याय में विकलांग बच्चों और सामान्य बच्चों की शिक्षा के एकीकरण की आवश्यकता पर जोर दिया है। दो सामान्य बच्चे भी एक जैसे नहीं होते हैं क्योंकि उनकी सीखने की शैली, प्रेरणा तथा अभिवृत्ति में अन्तर होता है। इसके अतिरिक्त उनकी शैक्षिक उपलब्धियों में भी असमानता पैदा होती है। अतः यह आवश्यक है कि अध्यापक वर्ग उनकी शैक्षिक उपलब्धियों में होने वाले भिन्नता के कारणों को समझें। परिणामस्वरूप उन बच्चों को सामान्य विद्यालयों में एकीकृत करने के लिए प्रयास करें जो कि 6-14 वर्ष की आयुवर्ग के भीतर हैं एवं स्थिरता और बीच में ही विद्यालय छोड़ने की प्रवृत्ति रखते हैं। इनकी स्थिरता और मध्य में विद्यालय छोड़ने के कारण बौद्धिक समस्याओं के अतिरिक्त अन्य शारीरिक समस्यायें भी हैं जिसके फलस्वरूप इनमें से अधिकांश बच्चे हमारी शिक्षा व्यवस्था की मुख्य धारा में समावेशित नहीं हो पाते हैं। अध्यापकों की जागरूकता के अभाव में विभिन्न प्रकार की शिक्षा के योग्य इन विकलांग बच्चों का नामांकन तथा स्कूलों में उनको बनाये रखना सम्भव नहीं हो सका है। ये बच्चे प्रारम्भिक कक्षा के सार्वजनीकरण की आयुवर्ग के मुख्य अंग हैं क्योंकि 1981 के अनुसार इनकी संख्या 1.4 लाख है। इसका परिणाम यह है कि प्रत्येक वर्ष शिक्षा को पूर्ण किये बिना बीच में ही विद्यालय छोड़ने वाले बच्चों की कमजोरियों एवं योग्यताओं के विषय में अध्यापकों के अन्तःकरण में जागरूकता जागृत करने की अधिक आवश्यकता है। इसलिए यदि अध्यापक को उनकी व्यवहारगत विशेषताओं, अधिगमशैली, पद्धति एवं प्रक्रियाओं की जानकारी हो तो विकलांग बच्चों का सामान्य छात्रों की कक्षाओं में एकीकरण सुगम हो जायेगा। सामान्य कक्षाओं में इन छात्रों की विभिन्न प्रकार की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अध्यापक को शिक्षण सामग्री तथा पद्धति में परिवर्तन के विषय में मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। अध्यापक के लिए समेकित शिक्षा-दर्शिका, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की सहायता हेतु निर्मित की गयी है। इसके निर्माण करते समय विकलांग बच्चों की आवश्यकताओं को मद्देनजर रखा गया है।

यह पुस्तक इन बच्चों की शिक्षा में आने वाली कठिनाइयों को सुगम बनाने के तरीके से अध्यापकों को परिचित कराने का एक प्रयास है। हर प्रकार की विकलांगता के लिए सुझाया गया मार्गदर्शन बच्चों की रचनात्मक प्रतिभा को सही दिशा में जोड़ने अध्यापकों की सहायता करेगा एवं प्रत्येक प्रकार की विकलांगता की शैक्षिक व्याख्या, वर्गीकरण एवं समेकित शिक्षा

प्रणाली में विकलांगों की शैक्षिक प्रणाली को रेखांकित की गई है। सामान्य विकलांगता की पहचान के लिए दी गई व्यवहार सामग्री जाँच सूची तथा विकलांग बच्चों को समेकित शिक्षा के लिए उपयुक्त शिक्षा आयोजन करने के लिए यह पुस्तक शिक्षक को समर्थ बनायेगी।

इस पुस्तक की महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि इसमें समेकित शिक्षा प्रणाली में पढ़ने वाले विभिन्न प्रकार के विकलांग बच्चों की शैक्षिक आवश्यकताओं के अनुसार शैक्षिक सामग्री और पद्धति में परिवर्तन के लिए अध्यापकों को तरीके सुझाये गये हैं। इन मार्गदर्शन के निर्देशों को समझने के लिए कुछ नमूनों की सामग्री दी गई है। जिसमे विकलांगों की आवश्यकता की पूर्ति करने हेतु अध्यापकों में आत्मविश्वास पैदा होगा।

आशा की जाती है कि सामान्य विद्यालयों में जो अध्यापक इन बच्चों को अध्यापन कर रहे हैं, वे इस प्रयास का स्वागत करेंगे। इस पुस्तक में सुझाये गये उपायों का यदि अध्यापक उपयोग करते हैं तो इस पुस्तक का आधारभूत उद्देश्य पूरा हो जायेगा। प्रस्तुत पुस्तक के आगे के सुधार परिष्कार के लिए अध्यापकों द्वारा दी गयी टिप्पणियों तथा सुझावों का स्वागत किया जायेगा।

यह पुस्तक डॉ. (श्रीमती) प्रेमलता शर्मा, व्याख्याता, अध्यापक शिक्षा, विशेष शिक्षा और विस्तार सेवा विभाग (राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान प्रशिक्षण एवं परिषद) के प्रयास का फल है। इस महत्वपूर्ण योगदान के लिए वे साधुवाद की पात्र हैं। डॉ. एन. के. जाँगीरा, प्रोफेसर, अध्यापक शिक्षा विशेष शिक्षा और विस्तार सेवा विभाग, रा. शै. अनु. प्र. एवं परिषद, ने इस पुस्तक के प्रथम रूप-रेखा (ड्राफ्ट) को पढ़कर मूल्यांकन एवं सुझाव दिये और प्रोफेसर अशोक कुमार शर्मा, विभागाध्यक्ष, अध्यापक शिक्षा, विशेष शिक्षा एवं विस्तार सेवा विभाग, रा. शै. अनु. प्र. एवं परिषद नई दिल्ली के प्रति विशेष कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं, जिन्होंने आवश्यक मार्गदर्शन एवं बहुमूल्य सुझाव दिये। इस पुस्तक को प्रकाशन अनुदान देने के लिए मैं यूनीसेफ के अधिकारियों को भी धन्यवाद देता हूं।

नई दिल्ली
14 अप्रैल, 1988

पी. एल. मल्होत्रा
निदेशक
रा. शै. अनु. प्रशि. एवं परिषद
नई दिल्ली

आमुख

प्रस्तुत अध्यापक दर्शिका उन अध्यापकों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बनाई गई है जो विकलांग बच्चों को सामान्य स्कूलों में पढ़ाते हैं। इन बच्चों की शिक्षा संबंधी विशेष आवश्यकताओं को समझने में इस पुस्तक से अध्यापकों को सहायता मिलेगी। इसका प्रमुख उद्देश्य यह है कि प्रारंभिक अवस्था में इन बच्चों की आवश्यकताओं से पहचान कराना है और इनकी आवश्यकताओं के अनुकूल शैक्षिक योजना में तैयार करने के लिए अध्यापकों की सहायता करना भी है। जैसा कि आप जानते हैं कि न्यून कोटि के विकलांग बच्चों का एकीकरण करना, भयंकर रूप से विकलांग बच्चों के एकीकरण की तुलना में आसान है। भयंकर रूप से विकलांग बच्चों का इन कक्षाओं में एकीकरण तभी किया जा सकता है जब अधिगम संबंधी आधारभूत कौशल में उनको पहले से प्रशिक्षित किया गया हो। इन दोनों ही प्रकार के विकलांग बच्चों का एकीकरण करने के लिए तथा जिन प्रत्येक शैक्षिक विषयों में बच्चे की विकलांगता है, उस शिक्षण सामग्री में अपेक्षित रूप से अनुकूलन शिक्षण सामग्री भी तैयार करनी पड़ती है।

सामान्य शिक्षा प्रणाली में इन समूहों के एकीकरण का सबसे अधिक उत्तरदायित्व प्राइमरी स्कूल के अध्यापकों पर आता है। क्योंकि सीधे-सीधे प्रत्यक्ष रूप से इन बच्चों की व्यवहार संबंधी विशेषताओं को, एवं अधिगम संबंधी समस्याओं को आरंभिक अवस्था में देखने का अवसर इन अध्यापकों को ही मिल पाता है। इसलिए प्राइमरी स्कूल के अध्यापक को विकलांगता के स्वरूप तथा मात्रा के अनुकूल शैक्षिक योजना से सम्बन्धित संपूर्ण सूचनाओं से अवगत करा देना चाहिए। इन बच्चों की आवश्यकताओं के अनुसार शैक्षिक सामग्री को अनुकूल बनाने तथा शैक्षिक पद्धति के माध्यम से परिवर्तन करने के लिए इन अध्यापकों में अंतर्दृष्टि के विकास में मदद करने की आवश्यकता है।

इस पुस्तक में पाँच अध्याय हैं : परिचय स्वरूप और आवश्यकता, एकीकरण की अवधारणा तथा प्रक्रियाएं, पाठ्यक्रम में परिवर्तन तथा शिक्षण की रणनीतियाँ, एकीकृत शिक्षा में विकलांग बच्चों के एकीकरण में अध्यापक का उत्तरदायित्व। विकलांगता के अनुसार शैक्षिक सामग्री तथा शिक्षण प्रणाली में अनुकूलन के लिए नमूने के रूप में मार्गदर्शन दिया गया है।

इसके अतिरिक्त, इस दर्शिका को विकलांग बच्चों के अभिभावक विकलांगता की विशेषताओं को समझने के लिए अपने उपयोग में ला सकते हैं। शिक्षण सामग्री में परिवर्तन और शिक्षण विधि में जो सुधार सुझाए गए हैं, वे लोग इसका भी लाभ उठा सकते हैं क्योंकि प्राइमरी

कक्षा के स्तर पर विकलांगों के शैक्षिक एकीकरण के लिए अभिभावकों को सम्मिलित करना अनेक पूर्व आवश्यकताओं में से एक आवश्यकता है। अध्यापकों तथा अभिभावकों से निवेदन है कि इस विषय में वे अपना सुझाव भेजें एवं अपनी प्रतिक्रियाएं लिखें ताकि इस पुस्तक के अगले संस्करण में उनके सुझावों को ध्यान में रखकर संशोधन किया जा सके।

इस दर्शिका को तैयार करते समय विभिन्न स्तरों पर विशेषज्ञों तथा इस कार्य में संलग्न अनेक लोगों से औपचारिक तथा अनौपचारिक विचार विमर्श करने का अवसर मिला। व्यक्तिगत रूप से नाम लेकर उन सबको धन्यवाद देना काफी मुश्किल है लेकिन इस पुस्तिका को रूपाकार प्रदान करने में उनके साथ वार्तालाप से सर्वाधिक सहायता मिली। इसकी रूपरेखा को अंतिम रूप देने में जिस कार्यदल ने परिश्रम किया उनके सभी सदस्यों को मैं धन्यवाद देती हूं, (उनके पूरे पते संलग्नक में दिए गये हैं) डॉ. एन. के. जाँगीरा, प्रोफेसर विशेष शिक्षा, अध्यापक शिक्षा विशेष और विस्तार सेवा विभाग, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्, नई दिल्ली, को इस पुस्तक को बनाने में दिए मूल्यवान सुझावों के लिए आभार व्यक्त करती हूं। इस पुस्तक के निर्माण में आवश्यक मार्ग निर्देश प्रदान करने के लिए मैं प्रो. अशोक कुमार शर्मा, विभागाध्यक्ष अध्यापक शिक्षा, विशेष शिक्षा और विस्तार सेवा विभाग, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् के प्रति हार्दिक कृतज्ञता ज्ञापित करती हूं। मैं कु. जोमिनी जॉर्ज एवं श्री कमलेश राय को भी धन्यवाद देती हूं जिन्होंने इस पुस्तक को पूरा करने में सर्वाधिक सहयोग दिया।

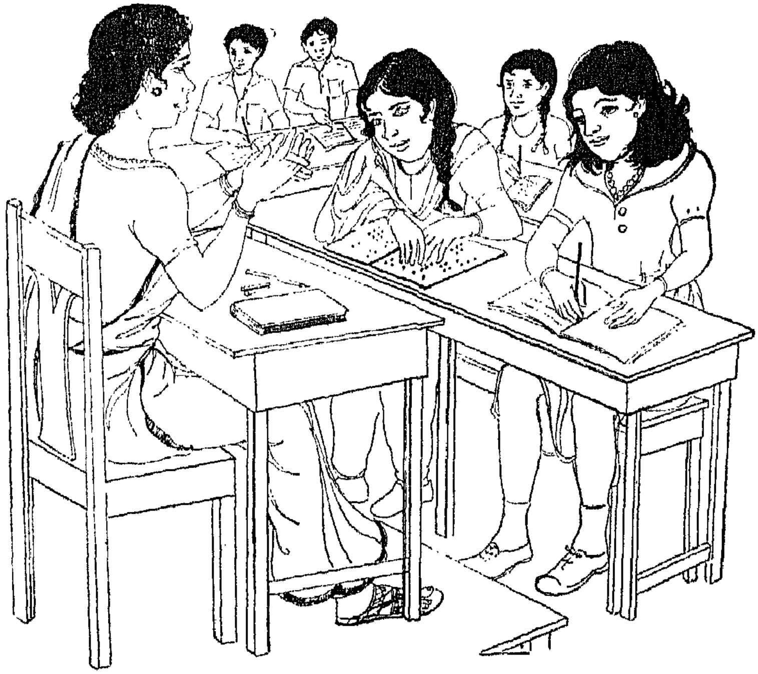
प्रेमलता शर्मा
प्रवक्ता
अध्यापक शिक्षा, विशेष शिक्षा
और विस्तार सेवा विभाग
राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसन्धान और
प्रशिक्षण परिषद्, नई दिल्ली-16

विषय-सूची

अध्याय-1

प्रस्तावना

अपनी कक्षा में आपको कुछ ऐसे बच्चे मिले होंगे जिनकी आवश्यकता कुछ विशेष प्रकार की होती है। उनकी अपनी अधिगम की समस्याएं होती हैं। सीखने के लिए उन्हें आपसे कुछ अतिरिक्त मदद की जरूरत होती है। कभी-कभी आप उनकी समस्याओं को समझ पाते हैं लेकिन कभी आप उनकी समस्याओं को नहीं भी समझते। आप जो मदद करते हैं, वह पर्याप्त नहीं होती। आपकी विशेष मदद के बावजूद उनकी अधिगम की समस्याएं बनी रहती हैं। ये बच्चे कौन हैं तथा इनकी अतिरिक्त आवश्यकताएं क्या हैं? यदि आप उनके स्वभाव और आवश्यकताओं को समझेंगे तो आप उनकी ठीक से मदद कर सकेंगे। आपकी विशेष मदद के



चित्र सं० 1 अध्यापिका दृष्टिबाधित बच्चे को, सामान्य बच्चों के साथ अध्यापन कर रही हैं।

प्रति उनकी अनुकूल प्रतिक्रिया होगी और उनके अधिगम में सुधार आएगा। आइए, हम इन बच्चों की अधिगम समस्याओं को समझने का प्रयास करें और यह जानने का प्रयास करें कि हम किस प्रकार उनकी मदद कर सकते हैं।

हो सकता है, कुछ बच्चों को अंधापन, बहरापन तथा मानसिक पिछड़ापन जैसी गंभीर बीमारियां हों। हो सकता है, वे आपके स्कूल में न हों। हो सकता है कि वे किसी विद्यालय विशेष में न हों क्योंकि उनके लिए कोई विशिष्ट विद्यालय नहीं है। हो सकता है, उनके माता-पिता आपसे संपर्क करने में भी हिचकिचाएं। हो सकता है, आपने उनको इसलिए भर्ती न किया हो क्योंकि आपने यह महसूस किया हो कि आप उनकी कोई मदद नहीं कर सकते। यदि उन्हें कुछ समय पहले ही भर्ती किया गया होता और स्कूलों की सहायता दी जाती तो उनमें से काफी सारे विद्यार्थियों को नियमित विद्यालयों में शिक्षा प्राप्त करने में सहायता की जा सकती है। उनमें से कुछ उन विशिष्ट विद्यालयों में जा रहे होते जहां ये सुविधाएं उपलब्ध हैं। विशिष्ट विद्यालयों में एक विशिष्ट स्तर तक ही सुविधाएं होंगी। उसके बाद अपनी शिक्षा के लिए वे कहां जाएंगे ? अपनी कक्षाओं में विशेष प्रकार से प्रोत्साहित करके आप यहां तक कि कई प्रकार के विकलांगों की सहायता कर सकते हैं अब तक हमने उनकी अधिगम संबंधी समस्याओं की संवेदना को समझने की कोशिश नहीं की। हो सकता है, संवेदिक अभाव के कारण उन्हें कम अंक प्राप्त हुए हों। हो सकता है, इन बच्चों की अधिगम संबंधी समस्याएं देखी जा सकने वाली आवश्यकताओं के कारण हों लेकिन हमने उन्हें लापरवाह, असावधान अथवा ऐसे बच्चों का नाम दे दिया हो जिनके सीखने का तरीका खराब हो। उदाहरण के तौर पर हम उन बच्चों को लेते हैं जो अपना सिर बोलने वाले की ओर घुमा लेते हैं तथा शिक्षक के निर्देश को समझने के लिए चेहरे के भावों और गतिविधियों को बहुत निकट से अथवा ध्यान से देखते हैं। इसके अतिरिक्त निर्देशों को समझने के लिए वे अपने साथी से अध्यापक द्वारा कही गई बात को दोहराने के लिए कहते हैं। आंख में दर्द की शिकायत की वजह से कुछ बच्चे श्यामपट को देख नहीं पाते तथा कक्षा में उन बेंचों पर बैठना पसंद करते हैं जो कोने में होती हैं। ये बच्चे आंखों को जल्दी-जल्दी झपकाते हैं। हो सकता है, इन्हें दृष्टि संबंधी समस्याएं हों और अन्य बच्चों की तरह ब्लाक बनाने में तथा व्यायाम करने में वे कठिनाई महसूस करते हों इससे भी आगे यह हो सकता है कि उन्हें कुछ मानसिक अथवा अधिगम संबंधी समस्याएं हों। उनमें कुछ दुर्बलताएं होती है जो उनकी कुशलता प्रदर्शन के मार्ग में बाधक होती है। इसके परिणाम स्वरूप उन्हें छांट दिया जाता है अथवा रोक दिया जाता है। साधारण बीमारियों वाले बच्चों में से अधिकांश कक्षा में पहले से मौजूद हैं। यदि उनकी बीमारियों को दूर करने के लिए सहायता दी जाए तो वे सामान्य बच्चों की तरह काम कर सकेंगे। इन बच्चों को सामान्य स्कूलों में दूसरे बच्चों के साथ शिक्षा देना कठिन नहीं है। शिक्षण पद्धति सामान्य

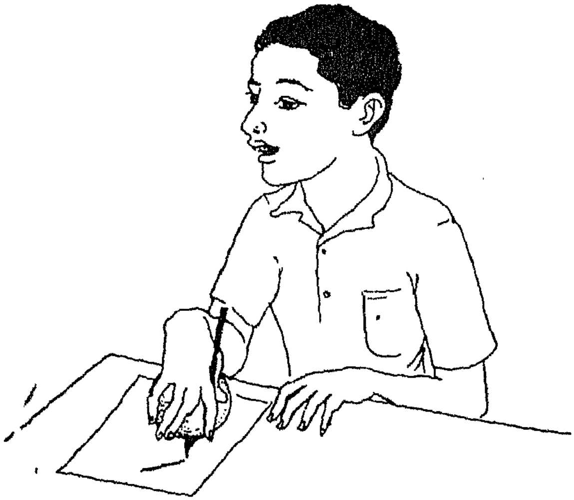
सामंजस्य तथा शिक्षण पद्धति के अनुकूलन द्वारा उन्हें स्कूल की सभी गतिविधियों में बराबर का साझेदार बनाया जा सकता है । यदि इस नाजुक घड़ी में ऐसे बच्चों पर अधिक भार डाल दिया जाएगा तो हो सकता है, उन्हें छांट दिया जाएगा. हो सकता है, अधिगम संबंधी समस्याएं दिन प्रति दिन बढ़ती गई तो वे हतोत्साहित हो जाएंगे ।

कुछ विकलांग बच्चों का अंधापन, हड्डी टूटना (टांग, बाजू, पैर आदि का टूटना इन्द्रिय दोषों के कारण वाणी संबंधी दोष, कई प्रकार का मानसिक पिछड़ापन और दमा, पीलिया तथा दौरे पड़ना आदि जैसी स्वास्थ्य संबंधी पुरानी बीमारियां दृष्टिगोर होती हैं । यहां तक कि आरंभिक अवस्थाओं में इन बीमारियों को पहचानना आसान है लेकिन कम सुनने वाले, दृष्टि संबंधी तथा मानसिक रोगों से पीड़ित बच्चों को पहचानना बहुत मुश्किल है । आरम्भ में ये बच्चे सामान्य बच्चों की तरह काम करते हैं । यदि उनकी समस्याओं को पहचान कर उन्हें दूर करने में मदद नहीं की गई तो हो सकता है, कि सामान्य रोग गंभीर रोग में बदल जाएं । आप और आपका समाज सामान्य बच्चों की तरह उनके विकास के लिए विकलांगता के दुष्प्रभावों को दूर कर पुनः प्रतिष्ठित करने के लिए उपकरण और सहायता देने में नाकामयाब रहते हैं । इन सुविधाओं से कम कोटि की विकलांगताओं वाले बच्चों को नियमित कक्षाओं में रखने में सहायता मिलेगी । साथ ही इन से गंभीर रोगों वाले बच्चों को समय पर समुचित



चित्र सं० 2 बच्चा सुनने के लिए बोलने वाले की तरफ कान झुका रहा है ।

रूप से विशिष्ट सहायता प्रदान करने में भी मदद मिलेगी और यदि उन्हें नजरंदाज किया गया तो उनकी समस्याएं और भी बढ़ेंगी तथा वे या तो स्कूल से निकल जायेंगे या उनको पहली कक्षा में ही रोक दिया जाएगा। प्राथमिक स्तर पर उन्हें छांट दिए जाने से प्राथमिक शिक्षा के सामान्यीकरण के उद्देश्य भी प्रभावित होंगे। आपके लिए यह आवश्यक है कि आप उनकी समस्याओं को समझें ताकि उन्हें नियमित प्रणाली में भर्ती किया जा सके।



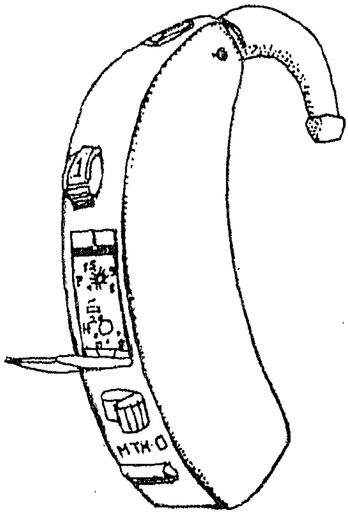
चित्र सं० 3 बच्चा मोटे होल्डर के साथ पेंसिल से लिख रहा है

दुर्बोध और गंभीर किस्म की विकलांगताओं वाले बच्चों की संख्या सीमित है। इन बच्चों को सामान्य विद्यालयों में शिक्षा देने के लिए कुछ तैयारी की जरूरत होती है। अस्थि विषयक विकलांगता वाले बच्चों को तब तक अधिगम संबंधी समस्याएं नहीं होती जब तक कि उनके दिमाग के खास हिस्से को लकवा अथवा किसी दूसरी समस्या से प्रभावित न हो। ये बच्चे बौद्धिक दृष्टि से दूसरे बच्चों की तरह ही होते हैं। अतः इन्हें विशेष प्रकार के विद्यालयों में अथवा नियमित विद्यालयों में विशेष कक्षाओं में विशेष अध्यापक की मदद से तैयार किया जा सकता है। मानसिक पिछड़ेपन से गंभीर रूप से ऐसे पीड़ित बच्चों को केवल प्राथमिक स्तर तक ही एकीकृत किया जा सकता है। जिन्हें अधिगम संबंधी आवश्कता है। यथोचित समय पर अक्षमता की पहचान तथा अक्षमता को दूर करने के लिए की गई सेवाओं की मदद से सामान्य तथा गंभीर दोनों कोटियों की विकलांगता वाले बच्चों के बेहतर विकास में मदद करती है और उन्हें सभी शैक्षिक गतिविधियों में सामान्य बच्चों की तरह भाग लेने में समर्थ बनाती है।

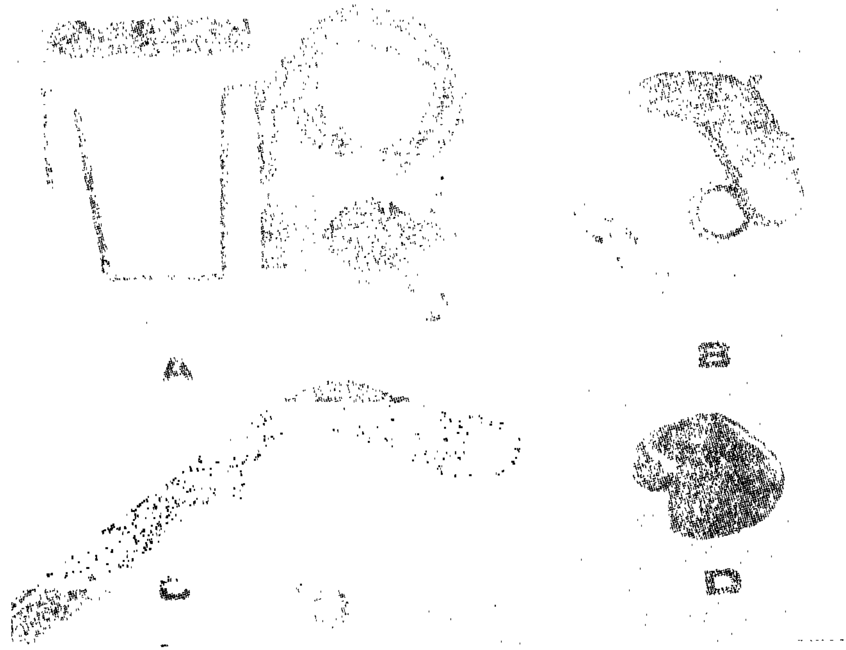
एकीकृत शैक्षिक योजना में अध्यापकों का सामना निम्नलिखत प्रकार की विकलांगता वाले बच्चों से हो सकता है :

- **— सामान्य कोटि की विकलांगता वाले बच्चे जिन्हें पहले से ही सामान्य कक्षाओं में भर्ती कर लिया गया हैं ।**
- **— सामान्य कोटि की विकलांगताओं वाले बच्चे जिनको रोक लिया गया है ।**
- **— गंभीर किस्म की विकलांगता बाले बच्चे जिनको तैयारी के बाद भर्ती किया गया है ।**
- **— गंभीर किस्म की विकलांगताओं बाले बच्चे जिनको बिना तैयारी के एकीकृत शिक्षा योजना के अंतर्गत भर्ती किया गया है ।**

इन बच्चों के एकीकरण के लिए विशेष अध्यापकों तथा सामान्य अध्यापकों के बीच सहयोग होना जरूरी है क्योंकि नियमित विद्यालय में पहुंचने के बाद भी गंभीर विकलांगताओं से पीड़ित बच्चों को विशेष अध्यापक की सहायता की जरूरत हो सकती है । उदाहरण के लिए हम उन बच्चों को लेते हैं जो ठीक से बोलने और सुनने में असमर्थ है । इनको श्रवण यन्त्र लगाकर पढ़ाया जाता है । नीचे कुछ श्रवण यन्त्रों के चित्र दिये गये हैं । इस प्रकार के गंभीर रोगों से पीड़ित बच्चों



चित्र सं० 4क : कान के साथ प्रयोग किया जाने वाला श्रवण यन्त्र



चित्र सं० 4ख : श्रवण यन्त्र

की भाषा को शुद्ध करने के लिए श्रवण यन्त्र एवं विशेष तकनीकी की जरूरत हो सकती है । पिछले पृष्ठ और इस पृष्ठ पर दिये गये श्रवण यन्त्र इनके उपचार के लिए इस्तेमाल किये जाते हैं । अथवा इस समस्या से छुटकारा पाने के लिए और अधिक उपचारात्मक अभ्यास की जरूरत हो सकती है । ऐसे बच्चों के समूह को अध्यापक के द्वारा व्यक्तिगत स्तर पर विशेष ध्यान दिए जाने की आवश्यकता होती है । बिना तैयारी के इन बच्चों का एकीकरण मुश्किल है । हमें इस बात पर विचार करने की जरूरत है कि रोग किस प्रकार का है, रोग की अवस्था क्या है ? इसके पहले की शिक्षा किस विद्यालय में प्राप्त की है तथा इस समय बच्चे की शिक्षा किस प्रकार के विद्यालय में हो रही है ? तथा इस समय बच्चे की अधिगम संबंधी समस्याएं क्या हैं ? उदाहरण के लिए यदि हम अंधे बच्चे की बिना आधारभूत शैक्षिक योग्यता प्राप्त किए ही नियमित स्कूल में भर्ती कर लेते हैं तो हो सकता है बच्चे को कक्षा में सक्रिय भागीदारी में बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़े अथवा उन्हें शिक्षा प्रणाली से अलग भी किया जा सकता है । लेकिन शिक्षा के योग्य विकलांग बच्चों के दल के लिए केवल अधिगम संबंधी वातावरण में परिवर्तन की ही जरूरत होती है । उदाहरण के लिए श्रवण संबंधी मामूली आवश्यकता वाले बच्चों को अच्छी तरह

चयन करने के लिए दो प्रकार की व्यवस्था करने की आवश्यकता है । एक उसके लिए श्रवण संबंधी यंत्र की व्यवस्था की जाए तथा कक्षा में आगे की सीट पर बैठने की व्यवस्था की जाए । इससे उसे अच्छी तरह सुनने में मदद मिलेगी । इसी प्रकार आंशिक रूप से दृष्टि दोष वाले विद्यार्थी को केवल बड़ी छपाई और आवर्धक लेंस की ही आवश्यकता होती है ।

पर्याप्त शैक्षिक सुविधाओं के अभाव में शिक्षा के योग्य अधिकांश विकलांगों को नियमित विद्यालयों में एकीकृत नहीं किया जा सका । इन बच्चों की एक बड़ी संख्या को यदि एकीकृत किया गया होता तो बच्चों को छांटने तथा रोकने की संभावना को यथासंभव कम किया जा सकता । इस समय विकलांगों की सही संख्या जानना बहुत मुश्किल है क्योंकि एक सर्वेक्षणके द्वारा प्राप्त होने वाले आंकड़े दूसरे सर्वेक्षण से प्राप्त होने वाले आकड़ों से भिन्न होते हैं । फिर भी पी ओ ए में दिए गए आंकड़े हैं वे इस बात की ओर संकेत करते हैं कि 12 लाख विकलांगों में से 4.3 लाख व्यापक प्राथमिक शिक्षा आयु वर्ग (6-14 वर्ष) में आते हैं । दूसरे 1.4 लाख में 0-4 वर्ष की आयु वर्ग में आते हैं । इस वर्ग के बच्चे यथासंभव पहचान तथा उन्हें नियमित विद्यालय के लिए तैयार किए जाने के लिए प्रासंगिक है । इन आंकड़ों में उन बच्चों को शामिल नहीं किया गया है जिनमें स्मृति अथवा बोध संबंधी मनोविज्ञानिक प्रक्रियाओं में समस्याओं के कारण पढ़ने-लिखने तथा गणित संबंधी विशिष्ट आवश्यकताएं हैं । अगले पृष्ठ पर दी गई तालिका में विकलांगों की संख्या के बारे में विस्तृत ब्यौरा प्रस्तुत है ।

प्राथमिक शिक्षा के बहुत अधिक प्रसार के बावजूद भी इन बच्चों को उतना लाभ नहीं हुआ जितना होना चाहिए था । ये समाज का वह हिस्सा है जिसे अल्पतम सुविधाएं प्राप्त हैं और इस बात की जरूरत है कि प्राथमिक स्तर पर पढ़ाने वाले शिक्षक इनकी ओर शीघ्र ध्यान दें । राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की सिफारिशों में इस बात पर बल दिया गया है कि सामान्य कोटि की विकृतियों वाले बच्चों को नियमित विद्यालयों में भर्ती किया जाए । इस बात पर विशेष रूप से बल दिया गया है कि इन बच्चों के स्वाभाविक विकास के लिए इन्हें शिक्षित किया जाए तथा इन्हें बराबर के सहभागियों के रूप में सामान्य समाज से जोड़ा जाए । इन बच्चों की समाज के साथ जोड़ देने से इनमें जीवन की चुनौतियों का सामना करने का साहस तथा विश्वास आएगा ।

1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति में इस बात पर बल दिया गया है कि सबको शिक्षा उपलब्ध कराना राष्ट्रीय विकास के महत्वपूर्ण लक्ष्यों में से एक है तथा हाल के वर्षो में यही संस्था का उद्देश्य रहेगा इसमें प्राथमिक शिक्षा के सामान्यीकरण के उद्देश्य को कार्यान्वित करने में कई

तालिका I.1

1981 में आयुवर्ग और विकलांगता के स्वरूप के अनुसार विकलांगों की संख्या

विकलांगता	0—4		5—14		15—59		60 +		1 आयु कुल		
	ग्रामीण	शहरी	ग्रामीण	शहरी	ग्रामीण	शहरी	ग्रामीण	शहरी	ग्रामीण	शहरी	कुल
वी. एच.	2359	4554	92351	34268	693182	171500	2045483	355837	2856575	566159	7422734
एच. एच.	सर्वेक्षण में		439368	96107	1462450	244680	916857	202577	2818675	543364	3262039
एस. एच.	नहीं लिया गया है		575096	168975	688381	199142	99431	24145	1362914	392262	1755176
एल. एच.	235077	98366	945900	282806	2094432	500714	913019	192302	4238428	1074138	5312616
योग	310836	102920	2052715	582156	4938451	1116036	3974790	774861	11276592	2575973	13852565

टिप्पणी : 1 19वें तथा अट्ठाइवें राष्ट्रीय निदर्श सर्वेक्षण और 1983 के जनसंख्या सांख्यिकीय पत्र दो में कुल जनसंख्या में दिए गए प्रचलित आंकड़ों पर आधारित ।

टिप्पणी : 2 इसमें मानसिक रूप से पिछड़े हुए लोगों को नहीं लिया गया है। ऐसा अनुमान लगाया गया है कि तिरसठ लाख लोग मानसिक पिछड़ेपन से ग्रस्त हैं ।

महत्वपूर्ण कठिनाईयों की ओर संकेत किया गया है । इनमें से एक का संबंध विशिष्ट वर्ग के उन बच्चों से है जिन्हें स्कूल में भर्ती ही नहीं किया गया अथवा जिन्हें छांट दिया गया है। इसका अर्थ है कि इस विशेष वर्ग के बच्चों पर और ध्यान दिया जाना चाहिए ताकि वे देश में प्राप्त शैक्षिक सुविधाओं का लाभ उठा सकें । इस प्रकार के समूहों में से विकलांग बच्चों के वर्ग विशेष को अल्पतम सुविधाएं प्राप्त हैं तथा इस प्रकार के बच्चों का एक बड़ा समूह हमारे नियमित विद्यालयों में पढ़ रहा है । इनको बिना किसी कठिनाई के शिक्षित किया जा सकता है । इन बच्चों को समान अवसर दिए जाने के लिए भारत सरकार की एकीकृत शिक्षा योजना में इनको सामान्य स्कूलों के साथ जोड़ने का प्रावधान है । व्यापक प्राथमिक शिक्षा के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए एकीकृत शिक्षा को एक सरल मार्ग समझा जा रहा है ।

इस योजना को अधिकांश राज्यों तथा केन्द्र शासित प्रदेशों में लागू किया गया है । इस प्रकार के आंकड़े मिले हैं कि अलग-अलग तरह के तथा गंभीर रूप से अशक्त बच्चों को नियमित स्कूलों में भर्ती किया गया है । लेकिन इसके लिए एक विशेष प्रकार की दक्षता की अपेक्षा होती है । इस योजना के अन्तर्गत उस दक्षता को तैयार नहीं किया गया है । इन स्कूलों में पढ़ाने के लिए जिन साधनों की आवश्यकता होती है, वे भी उपलब्ध नहीं करवाए गए हैं । कुछ राज्यों में केवल उन बच्चों को भर्ती किया गया है जिनमें अस्थि-विषयक विकलांगता है। यद्यपि नियमित विद्यालयों में उनकी शिक्षा के लिए विशेष प्रकार के शिक्षण की आवश्यकता नहीं होती है लेकिन उनके विशेष प्रकार के फर्नीचर (मेज-कुर्सी) के साथ भौतिक पर्यावरण में भी परिवर्तन की अपेक्षा होती है । इस प्रकार की विकलांगता के स्वभाव और परिणाम की जानकारी अध्यापकों को भी नहीं होती । इसलिए वे सामान्य कोटि की विकलांगता वाले बच्चों को पहचान नहीं पाते । इस प्रकार यह योजना लाभदायक नहीं होगी । इसके लिए मानवीय स्रोतों के साथ-साथ भौतिक स्रोतों को भी उतनी ही सतर्कता से योजनाबद्ध करने की आवश्यकता है ।

इसका अर्थ है कि इसमें शामिल अध्यापक सामान्य स्कूलों में विकलांग बच्चों के शिक्षण की जिम्मेदारी लें । अध्यापकों के शामिल होने से यह योजना बेहतर ढंग से काम कर सकती है । उन्हें एकीकृत शिक्षा के महत्वपूर्ण मुद्दों से अवगत् होने की जरूरत है । उन्हें एकीकृत शिक्षा कार्यक्रम में सामान्य रूप से उठाए जाने वाले प्रश्नों का उत्तर देने के लिए तैयार रहना चाहिए । सामान्य रूप से निम्नलिखित प्रश्न उठाए जाते हैं :

— हमारा अभिप्राय विकलांगों की एकीकृत शिक्षा (एकीकृत शिक्षा से क्या है ?

— क्षीणता, अशक्तता और विकलांग से हमारा क्या अभिप्राय है ?

— एकीकृत शिक्षा कार्यक्रम को लागू करने में बाधा डालने अथवा मदद करने वाले तत्व कौन से है ?

— शिक्षा के योग्य विकलांगों से हम क्या समझते हैं ?

— एकीकरण के लिए किन किन बातों पर विचार किया जाना चाहिए ?

— इन्हें कब और कैसे एकीकृत किया जाना चाहिए ?

— एकीकृत शिक्षा में शिक्षक की भूमिका क्या है ?

— क्या सामान्य कोटि के विकलांगों के एककीकरण के लिए हमें संसाधन/विशेष अध्यापक की जरूरत है ?

ये प्रश्न तब तक अनुत्तरित ही रहेंगे जब तक एकीकृत शिक्षा योजना की अवधारणा और प्रक्रिया से शिक्षकों को अवगत नहीं करवाया जाएगा ।

प्राथमिक शिक्षा के सामान्यीकरण के लाभ इन बच्चों तक भी पहुंच सकते हैं । प्राथमिक स्तर पर काम करने वाले अध्यापक यह समझें कि इन बच्चों की अपंगता के क्या स्वरूप है तथा किस हद तक अपंगता है ? तभी वे यथावश्यक जानकारी के अनुसार शिक्षित करने के दायित्व को यथोचित रूप से लेने के लिए तैयार हो सकेंगे ।

इस निर्देश-पुस्तक का उद्देश्य सामान्य स्कूलों के अध्यापकों में इन बच्चों की शिक्षा संबंधी विशेष प्रकार की जरूरतों को समझने में मदद करना तथा उनकी आवश्यकता के अनुरूप अनुकूल शिक्षा को नियोजित करने में मदद करना है । इसका उत्तरदायित्व सबसे अधिक कक्षा के अध्यापकों पर आता है क्योंकि उनका इन बच्चों से सीधा संपर्क होता है तथा उनके व्यवहार को ध्यान से देखने का अवसर भी इन अध्यापकों को मिलता है । इससे अधिगम संबंधी समस्याओं वाले बच्चों को पहचानने में मदद मिलती है । यद्यपि सामान्य कोटि की विकलांगता वाले बच्चों को प्रारम्भिक अवस्था में पहचानना बहुत कठिन है । उन बच्चों पर बहुत कम ध्यान दिया जाता है जिनमें शारीरिक विकलांगता के लक्षण स्पष्ट नहीं दिखाई पड़ते । इसलिए अध्यापकों को विकलांग बच्चों के लक्षणों तथा विकलांगता के प्रकारों की जानकारी प्राप्त करना

बहुत आवश्यक है ताकि वे उन बच्चों की प्रारंभिक पहचान में मदद कर सकें जिन्हें विशेष प्रकार की शिक्षा की आवश्यकता है। प्राय: अध्यापक का ध्यान बच्चे की स्पष्ट रूप से दिखाई देने वाली कमजोरियों अथवा विशिष्ट योग्यताओं पर ही जाता है। ये कभी-कभी दूसरे महत्वपूर्ण विभागों की ओर ध्यान आकर्षित करा देते हैं जो और अधिक सूक्ष्म लक्षणों की कमी को पूरा करने में महत्वपूर्ण रूप से सहायक हो सकते हैं। ये बच्चे उन दूसरे बच्चों की तरह ही दिखाई देते हैं जो सामान्य होने के बावजूद अलग होते हैं। विकलांगता के बावजूद भी वे दूसरे बच्चों की अपेक्षा अधिक काम कर सकते हैं। कोई विकलांग बच्चा अधिक काम कर सकता है। यदि किसी विकलांग बच्चे की योग्यता को आरम्भिक अवस्था से किसी रचनात्मक कार्य करने की तरफ मोड़ दिया जाए तो यह योग्यता आरंभिक बिन्दु के रूप में सहायक सिद्ध हो सकती है कि किसी काम को और अधिक रचनात्मक ढंग से कैसे किया जा सकता है ?

मुख्य बातें :

स्कूलों में अधिगम संबंधी समस्याओं वाले बच्चे हैं जिन्हें आरंभिक स्तर पर शिक्षा देने के लिए विशेष प्रकार की मदद देने की जरूरत महसूस की गई।

— अधिगम संबंधी समस्याएं संवेदिक अथवा बौद्धिक समस्याओं के कारण भी हो सकती हैं।

— अपर्याप्त सुविधाओं के कारण विकलांग बच्चों की एक बड़ी संख्या स्कूलों से बाहर हैं।

— विकलांगता के कारण जिन बच्चों को विशेष प्रकार की शिक्षा की आवश्यकता है उनमें से काफी संख्या में ऐसे बच्चे हैं जिनको सामान्य स्कूलों में सामान्य बच्चों के साथ शिक्षा दी जा सकती है।

— इस निर्देश पुस्तक का यही विषय है कि इसे कैसे पूर्ण किया जाए ?

अध्याय-2

एकीकरण : अवधारणा और प्रक्रिया

एकीकृत शिक्षा से तात्पर्य है, विकलांग बच्चों को न्यूनतम रोधक वातावरण प्रदान करना, जिससे कि वे कक्षा के शेष बच्चों की तरह उन्नति करें तथा उनका समुचित विकास हो। इसमें सामान्य और विकलांग बच्चों के बीच सभी स्तरों पर स्वस्थ सामाजिक संबंधों को प्रोत्साहन मिलता है तथा सामाजिक गतिविधियों में समान भागीदारी के द्वारा उनके बीच की भौतिक दूरी को कम करता है। यह विकलांग बच्चे को समान शैक्षिक अवसर उपलब्ध करता है और समाज के अन्य सदस्यों की तरह जीवन-क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए उनको तैयार करता है।



चित्र सं० 5 : आप सामान्य बच्चे की भांति शिक्षा का अधिकार रखते हैं

यह इस बात की भी वकालत करता है कि विकलांग बच्चे भी समाज के महत्वपूर्ण अंग होते हैं वे इसके स्वस्थ विकास और संवृद्धि के लिए उतने ही महत्वपूर्ण होते हैं जितने उस समाज के सामान्य बच्चे होते हैं इसलिए यह अत्यावश्यक है कि उनकी आवश्यकताओं को पर्याप्त रूप से पूरा किया जाए। समाज के सभी शैक्षिक और गैर-शैक्षिक कार्यों में भाग लेने के लिए उनको

प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि एकीकरण से हमारा आशय है :

— समाज द्वारा विकलांगों को अन्य व्यक्तियों की तरह स्वीकृति दिलवाना है तथा उनको शिक्षा और रोजगार में समान अवसर उपलब्ध कराना है।

— सामान्य और विकलांग बच्चे के बीच स्वस्थ सामाजिक संबंध कायम कर विकलांगों के प्रति नकारात्मक दृटिकोण को कम करता है।

— रहन-सहन के स्तर को ऊपर उठाने के लिए यह विकलांगों के नागरिक अधिकारों को सुनिश्चित करता है।

— यह स्वतंत्र तथा आत्मनिर्भर जीवन जीने के लिए उन्हें तैयार करता है।

इस प्रकार एकीकरण अलगाव की समस्या का व्यावहारिक समाधान है इससे विकलांग बच्चों को समान्य बच्चों की तरह शिक्षा प्राप्त करने में मदद मिलती है। यह प्रणाली खर्चीली नहीं है और इस प्रकार के बच्चों की बहुत सी मनोवैज्ञानिक समस्याओं को हल करती है। इसलिए विकलांगों की शिक्षा से जुड़ी बहुत सी गलत धारणाओं को प्रोत्साहित नहीं किया जाना चाहिए। उदाहरण के तौर पर बहुत से अध्यापकों का विश्वास है कि सभी विकलांग बच्चों की शिक्षा के लिए विशेष प्रकार की तकनीकों की आवश्यकता पड़ती है जो सच नहीं है। रोजमर्रा की कक्षा में पढ़ाने वाले अध्यापकों को इन बच्चों को पढ़ाने के लिए किसी विशेष तकनीक की आवश्यकता नहीं पड़ती है क्योंकि विशेष प्रकार की शिक्षण तकनीकों की आवश्यकता उन विकलांगों को पढ़ाने के लिए पड़ती है जिनका रोग असाध्य या कठिन रूप धारण कर चुका है और इन बच्चों में भी आधारभूत कौशल या दक्षता लाने तक ही इन तकनीकों की आवश्यकता होती है। साधारण रूप से विकलांग या अपंग बच्चों की शिक्षा में विशेष तकनीक की आवश्यकता नहीं पड़ती है। विशेष दक्षता प्राप्त करके तो असाधारण रूप से विकलांग छात्र को भी नियमित रूप से चलने वाली कक्षा में पढ़ाया जा सकता है।

नीचे दी गई सारणी में हर प्रकार की विकलांगता की जरूरतों और उसके निहितार्थ का स्पष्ट चित्र प्रस्तुत किया गया है :

सारणी : I

विकलांगता, इसके निहितार्थ तथा एकीकृत शिक्षा के लिए इसकी जरूरते

शिक्षा के योग्य एकीकृत शिक्षा समूह

विकलांगता	निहितार्थ	आवश्यकताएं
1 — श्रवण विकार	— श्रवण शक्ति का सामान्य ह्रास	— श्रवण यन्त्र सुधारने के लिए
	— कक्षा में भागीदारी में कठिनाई ।	— अगली पक्ति में बैठने की व्यवस्था ।
		— पाठ्यक्रम में अनुकूलन शुरू से अंत तक नियमित स्कूलों में शिक्षा दी जाती है ।
2 — दृष्टि संबंधी विकार	— देखने की शक्ति क्षीण होना ।	— आवर्धक — मैगनीफाइंग ग्लास
	— कक्षा में भागीदारी में परेशानी ।	— आवश्यकतानुसार समायोजित करने योग्य मेज-कुर्सी ।
		— पाठ्यक्रम में परिवर्तन । — प्रारंभ से अंत तक नियमित स्कूलों में शिक्षित किए जाते हैं ।
3 — अस्थि विकार विकलांगता	— शरीर के ऊपरी भाग में दोष के कारण लेखन क्षमता के विकास में समस्या ।	— जरूरत के मुताबिक समायोजित करने लायक फर्नीचर ।
		— मोटी कलम/मोटी पेंसिल/ कागज/ पुस्तक होलडर ।

	— हाथ पैर में दोष के कारण चलने फिरने में समस्या।	— शारीरिक परिवेश में सुधार पहिया गाड़ी में बैठने की अनुमति, जिससे इधर-उधर चल सके। — सामान्य रूप से प्रभावित दोनों को ही सामान्य कक्षा में शिक्षा दी जाती है।
4 — मानसिक अक्षमता (शिक्षा के योग्य)	कक्षा में पढ़ाई गई अवधारणाओं को समझने में कठिनाई।	— बार-बार दुहराने या आवृति की आवश्यकता। — मूर्त परिस्थितियां। — ये बच्चे हमारी शिक्षा प्रणाली में हैं तथा नियमित शिक्षा में पढ़ाये जा सकता है।
5 — अधिगम की दृष्टि से अशक्त बच्चे	— सामान्य कोटि की विशेष प्रकार की समस्याएं।	— आरंभिक अवस्था में समस्या को जानने की आवश्यकता होती है।
	— ज्ञान के किसी विशेष विषय पर अधिकार प्राप्त करने में कठिनाई।	— विषय की अच्छी जानकारी को सीखने के लिए अनेक प्रकार की अधिगम उपकरणों की जरूरत। — आरंभिक अवस्था में अधिकाधिक उपचारात्मक तथा सुधारात्मक कदम उठाने की जरूरत। — प्रारंभ से अंत तक सामान्य स्कूलों में शिक्षा दी जाती है।*

*विस्तृत जानकारी के लिए देखें : एन. के. जांगिरा : "आइडेंटिफाइंग स्पेसिफिक लर्निंग डिसएबिलिटीज." तथा पी. एल. शर्मा : "लरनिंग डिसएबिलिटी : चैलेंज टू प्राइमरी स्कूल टीचर," दी प्राइमरी टीचर सं. वोलम 12 न. 3 जुलाई 1986

तैयारी के बाद शिक्षा योग्य एकीकृत शिक्षा समूह

विकलांगता	विकलांगता के प्रभाव	आवश्यकताएं
1 — श्रवण हीनता	— पूर्ण रूप से श्रवण शक्ति का लोप।	— भाषा तथा वाणी के विकास के लिए वाक उपचार की जरूरत
	— भाषा तथा वाणी के विकास में समस्याएं।	— विशेष स्कूल/कक्षा में तैयारी की जरूरत होती है।
		— आधारभूत शैक्षिक/अकादमिक कौशल सीखने के बाद नियमित प्रकार के विद्यालय में शिक्षित किया जा सकता है।
2 — दृष्टिहीनता	— पूर्णरूपेण अंधापन।	— ब्रेल लिपि के द्वारा पढ़ना-लिखना सिखाने की जरूरत पड़ती है।
	— चलने फिरने में कठिनाई।	— चलने-फिरने के लिए प्रशिक्षण की आवश्यकता पड़ती है।
		— श्रवण सहायक उपकरणों की मदद से शिक्षित किया जा सकता है।

** मानसिक रूप से बहुत गंभीर किस्म का पिछड़ापन तथा सीखने में असमर्थ बच्चों को आम स्कूलों में नहीं रखा जा सकता है। उनकी शिक्षा के लिए विशेष प्रकार के स्कूल होने चाहिए या आम स्कूलों में ही विशेष प्रकार की अलग कक्षाएं होनी चाहिए। संसाधन अध्यापक की उनको नियमित मदद की जरूरत होती है। जैसाकि पहले कहा गया है कि भयंकर रूप से अस्थि विकार ग्रस्त विकलांग बच्चा नियमित स्कूल में शिक्षित किया जा सकता है लेकिन उसे पुनर्वास सेवाओं की जरूरत पड़ सकती है।

ऊपर दी गई सारणी पर ध्यान देने से यह बात स्पष्ट हो जाती है कि जो बच्चे गंभीर रूप से अपंग या विकलांग हैं, उन्हीं को औपचारिक शिक्षा के जरिए तैयार करने की आवश्यकता पड़ती है। एक बार आधारभूत शैक्षिक योग्यता प्राप्त करने पर यदि पर्याप्त सुविधाएं दी जाएं तो उनका कार्य सामान्य बच्चों की तरह ही चलने लगता है। इस तरह के कई उदाहरण हैं। यदि मानसिक रूप से पिछड़े बच्चों के अलावा शेष सभी विकलांग बच्चे यहां तक गंभीर रूप से विकलांग बच्चे भी अकादिमिक उपलब्धियों में सामान्य बच्चों से बहुत आगे पहुंच गए हैं।

लेकिन कक्षा में एकीकरण का अर्थ यह कदापि नहीं लगाया जाना चाहिए कि विकलांग बच्चों को शिक्षित करने का सम्पूर्ण दायित्व संसाधन अध्यापक का होता है। संसाधन अध्यापक एक विशेष प्रकार का अध्यापक होता है जिसकी मदद उन विद्यार्थियों को उपलब्ध कराई जाती है जिनको इस प्रकार के मदद की आवश्यकता होती है। यह विकलांग बच्चों में विशेष कौशल विकसित करने में उनकी मदद करता है तथा आरंभिक स्तर पर आधारभूत अकादिमिक कौशल के विकास से जुड़ी समस्याओं को हल करने में तथा नियमित कक्षा में पढ़ाने वाले अध्यापकों की मदद करता है। समर्थनकारी तथा सहायक सामग्री तैयार करने में भी वह नियमित कक्षाध्यापक की सहायता कर सकता है, कक्षा में जिन सहायक उपकरणों की जरूरत विकलांग बच्चों के लिए हो सकती है उनको तैयार करने में भी यह सहायता करता है। यद्यपि वह विशेष अध्यापक होता है लेकिन उसका अधिकार अन्य अध्यापकों के समान ही होना चाहिए। उसे विद्यालय की सभी गतिविधियों में सम्मिलित किया जाना चाहिए। एकीकृत शिक्षा में विकलांग बच्चों की शिक्षा दोनों के सहयोगी प्रयास से होता है। यह सहयोग विशेष अध्यापक और अन्य आम अध्यापकों के बीच होना चाहिए। इस प्रकार हम कह सकते हैं।"

— एकीकरण विशेष प्रकार के स्कूलों का विकल्प नहीं है, बल्कि ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं।

— एकीकरण ऐसी व्यवस्था नहीं है जिसे कि रात रातों पूरा किया जा सकता है।

— आम स्कूलों मे विकलांग बच्चों को पढ़ाने से अन्य बच्चों की पढ़ाई में किसी प्रकार का व्यवधान नहीं होता है।

— एकीकरण का अर्थ सभी विकलांग बच्चों को विशेष प्रकार के स्कूलों में भर्ती करना तथा आरंभ से अंत तक उनको इसी में शिक्षा देना नहीं है।

— विकलांग बच्चों को सामान्य स्कूलों में भर्ती कराकर उसका सारा दायित्व संसाधन अथवा विशेष अध्यापक पर छोड़ना भी एकीकरण नहीं कहा जा सकता है।

सामान्य स्कूल की कक्षा में पढ़ाने वाले अध्यापक के मन में यह गलत अवधारणा उसके लिए समस्या पैदा कर सकती है । वे ऐसा महसूस कर सकते हैं कि सभी विकलांग बच्चों को विशेष कौशल सीखाना होता है जिसके आधार पर वे आगे की पढ़ाई करते हैं और यह भी एक विशेष अकादिमिक कौशल हासिल करने का अर्थ एवं कार्य उनकी रोजमर्रा की पढ़ाई में बाधा डाल सकता है । इस प्रकार विकलांग बच्चों को आरंभिक प्रशिक्षण लेने तथा अवरोधकारी सेवाएं पाने में बाधा बन सकता है ऐसा प्रशिक्षण या सेवाएं जिनसे विकलांगता के प्रभाव पर काबू पाने में उनको मदद मिल सकती है । जैसा कि पहले संकेत किया गया है कि सामान्य रूप से अपंग या गंभीर रूप से विकलांग बच्चे यदि विशेष अध्यापक द्वारा प्रशिक्षित किए गए हैं तथा नियमित कक्षाओं में अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, तो उनको पढ़ाने के लिए अलग से खास तकनीक की आवश्यकता नहीं पड़ती है । जिन विकलांग बच्चों को बिना किसी पूर्व तैयारी के सीधे आम स्कूलों में भर्ती कर दिया जाता है तो, उनको पढ़ाने में विशेष तकनीकों का उपयोग किया जाता है जिससे वे अधारभूत अकादिमिक कौशल को अर्जित कर सकें । उनको इस प्रकार की विशेष पढ़ाई की व्यवस्था सामान्य स्कूल परिसर मे विशेष कक्षाएं लगवा कर दी जा सकती है संसाधन अध्यापक उन्हें आधारभूत अकादमिक कौशल सिखाकर नियमित कक्षाओं में रख सकता है । विकलांगों को शिक्षा देने के लिए कई तरह के शैक्षिक प्रावधान उपलब्ध हैं आगे हम उन पर विचार करने जा रहे हैं ।

एकीकृत शिक्षा विन्यास (क्षतिपूरक सहायक उपकरण)

इस समूह में वे बच्चे आते हैं जिनकी अपंगता या विकलांगता बहुत ही कम या सामान्य कोटि की होती है । इनमें से अधिकांश आम स्कूलों में पढ़ रहे होते हैं तथा नियमित कक्षाओं में सामान्य बच्चों के साथ बैठते हैं । उनको सिर्फ कुछ ऐसे उपकरणों की जरूरत होती है जिससे कि वे अपने इंद्रिय दोष को पूरा कर सकें । उदाहरण के लिए जिनको थोड़ा ऊँचा सुनाई देता है उसका काम श्रवण उपकरण से चल जाएगा, यदि कोई अंधा, है तो उसका काम ब्रेल लिपि वाली पुस्तक से चल जायेगा । दृष्टि कमजोर है तो वह मैगनीफाइंग शीशे की सहायता से पढ़ाई कर सकता है ।

एकीकृत शिक्षा का सेटिंग (पाठ्य क्रम में आवश्यक परिवर्तन)

बच्चे की विशेष आवश्यकता के अनुसार सामान्य स्कूलों में विकलांग बच्चे शिक्षा ग्रहण करते हैं, इसके लिए शिक्षण पद्धति और विषयवस्तु में कुछ आवश्यकतानुसार परिवर्तन कर लिया जाता है । इस विषय वस्तु को निश्चित विषय का अध्यापक संसाधन विशेष अध्यापक से परामर्श करके तैयार करता है (अगले अध्याय में उदाहरण के रूप में दी गई सामग्री का अवलोकन करें)

एकीकृत शिक्षा सेटिंग (संसाधन कक्ष की सुविधाएं)

एक विकलांग बच्चे को अंशकालिक रूप में संसाधन कक्ष की सुविधाओं की उस समय भी जरूरत पड़ सकती है जिस समय वह सामान्य बच्चों वाली कक्षा में पढ़ रहा हो। उदाहरण के रूप में एक विद्यार्थी उस विशेष कक्षा में ब्रेल लिपि के लिए तथा उच्चारण सुधार के लिए जा सकता है। संसाधन कक्ष में लगने वाला समय एक घंटे के बराबर हो सकता है या आधे दिन का भी हो सकता हैं।

एकीकृत शिक्षा (आम स्कूल में विशेष कक्षा)

संभव है सामान्य स्कूलों में अध्ययन करने वाले विकलांग बच्चों को पूर्णकालिक विशेष कक्षा (अपने में सब तरह से परिपूर्ण) की जरूरत पड़े जिसमें एकीकृत शिक्षा सेटिंग में बच्चे की आवश्यकता के आधार पर उसे शिक्षा मिल सके। जिस अनुपात में बच्चे के अंग की क्षति हुई है, उसी के आधार पर संचालित विशेष कक्षा में पढ़ने के लिए बच्चे को भेजा जाता है नही तो वह सामान्य स्कूल में ही पढ़ सकता है।

एकीकृत शिक्षा भवन (विशेष प्रकार के स्कूल)

गंभीर रूप से विकलांग बच्चों की शिक्षा आम स्कूलों के परिसर में स्थापित विशेष प्रकार के स्कूलों में होनी चाहिए। ऐसे बच्चे इन विशेष स्कूलों में नियमित रूप से पढ़ने आते हैं तथा प्रतिदिन सामान्य बच्चों की तरह ही घर लौटते हैं। आधारभूत अकादमिक कौशल प्राप्त कर लेने के बाद इनमें से अधिकांश बच्चों को सामान्य स्कूलों की कक्षाओं में पढ़ाया जा सकता है। स्कूल के सामान्य बच्चों के साथ वे हस्तशिल्प तथा चित्रकला जैसे विषयों में भाग ले सकते हैं।

उपर्युक्त एकीकृत सेटिंग में उपलब्ध शैक्षिक सुविधाओं के अलावा कुछ बच्चों को विकलांगता की गुरुता तथा सामाजिक अवरोधों के कारण आवासीय स्कूलों में ही रखने की जरूरत होती है।

विशेष दिवस वाले स्कूल

इन स्कूलों में उन विकलांग बच्चों को भेजा जाता है जो एकीकृत शिक्षा में शिक्षित नहीं किए जा सकते हैं इनके लिए विशेष शिक्षण तकनीकी का उपयोग किया जाता है और संभव है कि इनका पठ्यक्रम सामान्य बच्चों के पाठ्यक्रम से एकदम भिन्न हो

और शिक्षा की पद्धति एवं काम की गति भी एकदम पृथक हो। प्रत्येक दिन के अंत में ये बच्चे पढ़ने के पश्चात् अपने-अपने घर को चले जाते हैं।

विशेष प्रकार के आवासीय स्कूल

जिस प्रकार के स्कूल का ऊपर उल्लेख किया गया है, वैसे ही यह स्कूल भी विशेष श्रेणी का होता है लेकिन यहां पर बच्चों को छात्रावास की सुविधाएं दी जाती है तथा छात्र सदा स्कूल परिसर में ही रहता है।

अत्यंत आरंभिक अवस्था में ऐसे बच्चों की पहचान कर ली जानी चाहिए जिससे कि उनको इस प्रकार के स्कूलों में भेजा जा सके। बच्चों को ऐसे स्कूलों में भेजना कई बातों पर निर्भर करता है, *अर्थात् विकलांगता का स्वरूप कैसा है? या कितना गंभीर है, माता-पिता का उद्देश्य क्या है?* कितनी तैयारी बच्चा कर चुका है और प्रवेश के समय उसके कार्य-क्रम निष्पादन की क्षमता क्या है? बच्चे की विकलांगता के लिहाज से उसको शैक्षिक सुविधाएं उपलब्ध कराई जानी चाहिए। सुविधा के अभाव में साधारण किस्म का अपंग बच्चा भी अध्ययन की अवधि समाप्त किए बिना स्कूल छोड़कर जा सकता है। एकीकृत शिक्षा सेटिंग में अध्ययन कर रहे बच्चों के लिए अध्यापक के द्वारा अनुकूल वातावरण प्रदान किया जाना चाहिए। अतः इसके अंतर्गत उन कारकों का ज्ञान आवश्यक होता है जो नियमित स्कूलों में इनके लिए एकीकरण का मार्ग प्रशस्त करते हैं।

एकीकृत शिक्षा का मार्ग सुगम बनाने वाले कारक

— सामान्य स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों की कम अपंगता की एकदम आरंभ में पहचान।

— गंभीर रूप से होने वाली विकलांगता के संदर्भ में आरंभिक अवस्था में प्रशिक्षण तथा रोधक सेवाओं की आवश्यकता जिससे पता चल सके, किसको सामान्य कक्षाओं में बैठाया जा सकता है।

— बच्चे की विकलांगता की एवं कौशलों की सीमाओं और उसकी क्षमताओं का भी अध्यापक को सही ज्ञान होना चाहिए जिसके आधार पर उसकी गतिविधियों के लिए पाठ्यक्रम बनाया जा सके।

— बाद में चलकर बच्चा उचित तरीके से कार्य कर सके इसके लिए उसको लगातार उपचारात्मक सेवाएं मिलनी चाहिए और उसकी विकलांगता का आंकलन भी किया जाना चाहिए ।

— जो सहायक उपकरण सुझाए गए हैं, उनका उपयोग करने के लिए बच्चे की मदद की जानी चाहिए जिससे अपंगता को गंभीर रूप धारण करने का संयोग बहुत कम हो जाता है ।

— बच्चे में रचनात्मक आत्मविश्वास विकसित किया जाना चाहिए जिससे वह विकलांगता से होने वाले अन्य परिणामों पर अधिकार पा सके ।

— बच्चे को मानसिक रूप से तैयार करना चाहिए कि उसमें विकलांगता है ताकि इस बात को स्वीकार कर सके ।

— स्कूल की सभी गतिविधियों में भाग लेने के लिए बच्चे को प्रोत्साहित करना चाहिए ।

— विकलांग बच्चे के साथ सामान्य बच्चों जैसा व्यवहार किया जाना चाहिए जिससे कि उसका सामान्य बालकों की भांति विकास हो सके ।

— एकीकृत शिक्षा में जो छात्र पढ़ रहे हैं इसके लिए पहले से ही पाठ्यक्रम की विषय वस्तु में परिवर्तन और उनकी शिक्षण पद्धति की रूपरेखा तैयार करके रख ली जानी चाहिए जिससे कि उनका कक्षा में सदुपयोग किया सके ।

— अमूर्त और कठिन अवधारणाओं को पढ़ाने के लिए प्रचुर मात्रा में सहायक सामग्री तैयार करने की आवश्यकता होती है ।

— संसाधन, विशेष अध्यापक की मदद से अतिरिक्त शिक्षण सामाग्री तैयार की जानी चाहिए ।

— असंख्य विधियों की सहायता से शिक्षण के लिए सहायक सामग्री तैयार की जा सकती है । उदाहरणार्थ रंगों तथा आकारों की विविधता से शिक्षण की प्रभाविता को और समृद्ध किया जा सकता है ।

— अमूर्त अवधारणा को समझने के लिए तीन आयाम वाले मॉडलों का उपयोग किया जा सकता है। तथ्य को स्पष्ट करने में ये अधिक सहायक सिद्ध हो सकते हैं।

— रोजमर्रा की कक्षा में अध्यापन करने वाले अध्यापक का व्यवहार विकलांग बच्चों के प्रति अधिक रचनात्मक और सकारात्मक होना चाहिए।

— इन बच्चों में उनको उसी प्रकार के व्यवहारगत प्रतिरूपों की उम्मीद करनी चाहिए।

— एकीकृत शिक्षा की कक्षाओं के लिए प्रत्येक विकलांगता का क्या निहितार्थ है ? इसकी जानकारी होनी चाहिए।

— इन विकलांग बच्चों में से प्रत्येक की शैक्षिक विशेषताओं और उनकी आवश्यकताओं के विषय में जानकारी पूर्णतया स्पष्ट होनी चाहिए।

— इन बच्चों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पर्याप्त मात्रा में सामग्री विकसित करने की अन्तःदृष्टि होनी चाहिए।

— अन्य सहकर्मियों के साथ सौहार्दपूर्ण संबंध स्थापित करने की योग्यता होनी चाहिए।

— कतिपय कुछ ऐसी भी बातें हैं जिनका लेखा-जोखा रखना चाहिए :

(1) बच्चे की विशेष प्रगति तथा विशेषज्ञों के दल के अनुसार प्रत्येक बच्चे के बारे में दी गई सिफारिश और उसकी विकलांगता का मूल्यांकन।

(2) विषयवार उपलब्धियों का मूल्यांकन

(3) बच्चा जिन समस्याओं का सामाना कर रहा है, उनकी सूची तथा उनके उपचार के लिए सुझाए गए उपाय।

— पर्यावरण में परिवर्तन के संदर्भ में प्रत्येक प्रकार की विकलांगता का पृथक-पृथक ज्ञान, जैसे कक्षा के दाहिने भाग में पर्याप्त जगह रिक्त होनी चाहिए, जिससे, कि अस्थि दोषयुक्त विकलांग बच्चे पहियादार कुर्सी में सुविधा पूर्वक बैठ तथा आ जा सकें और इससे अन्य छात्रों को समस्या न हो। वैशाखी आदि को रखने या टिकाए रखने के लिए भी अलग से जगह होनी चाहिए।

— बच्चा जिस उपकरण और सहायक सामग्री का उपयोग करता है, उसको समझने और परखने का ज्ञान अध्यापक को होना चाहिए। उदाहरण के लिए सुनने वाले उपकरण में काम आने वाली बैटरी उसमें लगने वाला तार आदि। अध्यापक इन उपकरणों का सार्थक और प्रभावी रूप से उपयोग करने में छात्र की सहायता कर सकता है।

— कक्षा में विद्यार्थी को काम पूरा करने के लिए अतिरिक्त समय देना।

— विकलांगता को मद्दे नजर रखते हुए बच्चों की गतिविधियों का आयोजन, जिसमें वे हिस्सा ले सकें जैसे छोटे उत्तर वाले प्रश्न पूछना जिससे बोलने में कठिनाई महसूस करने वाले बच्चे भी प्रश्नोत्तर में भागीदर बन सकें।

— स्कूल की हर तरह की गतिविधि में प्रत्येक छात्र की भागेदारी होनी चाहिए ताकि प्रतिभा के विकास के लिए सबको समान अवसर मिल सकें।

एकीकृत शिक्षा को सफल एवं सार्थक बनाने वाला सबसे मुख्य कारक विकलांग छात्र के प्रति अध्यापक का सकारात्मक व्यवहार होता है। साथ में यह भी आवश्यक है कि शिक्षण संबंधी परिवर्तन और सुधार के लिए पद्धति में बदलाव के प्रति अध्यापक की अर्न्तदृष्टि, जो कि इन बच्चों की आवश्यकतानुसार यह सब कर सके। परिवर्तन की योजना बनाने के लिए निर्देश अगले अध्याय में दिये गये हैं जिसमें बताया गया है कि पाठ्यक्रम में किस प्रकार के परिवर्तन और समायोजन की आवश्यकता होती है ?

मुख्य बातें

— समग्र शिक्षा के द्वारा भी प्रारंभिक शिक्षा के सार्वजनीकरण का लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है।

— समग्र शिक्षा राज्य के वित्त पर अतिरिक्त बोझ नहीं है।

— सार्वजनिक नामांकन तथा बीच में अपव्यय में सुनियोजित समग्र शिक्षा से मदद मिलती है।

— साधारण और नाममात्र के विकलांग बच्चों को आसानी से सामान्य स्कूलों में सम्मिलित किया जा सकता है।

अध्याय-3

स्वरूप और आवश्यकताएं

हमारी कक्षा में पढ़ने वाले कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको सुनने में तथा देखने में थोड़ी सी दिक्कत होती है, मानसिक रूप से जो थोड़े पिछड़े होते हैं या जिनमें हड्डी संबंधी मामूली सा दोष होता है इनमें से कुछ बच्चों के व्यवहार को देखकर उनकी अपंगता को पहचाना जा सकता है। लेकिन कुछ बच्चों को काफी सावधानी से देखने पर ही उनकी अपंगता के स्वरूप का पता चल सकता है। पढ़ाई-लिखाई की स्थिति में और उससे अलग स्थिति में भी अध्यापक को सभी बच्चों को पूर्णतया आरंभिक अवस्था से ही देखने का अवसर मिलता है। अध्यापक की पर्यवेक्षक दृष्टि काफी आरंभिक अवस्था में ही बच्चों की अपंगता को जानने का रास्ता आसान बना सकती है। अध्यापक वर्ग इस कार्य को सफलतापूर्वक कर सकते हैं, यदि व्यक्तिगत हावभाव और व्यवहार में अपंगता के विशेष लक्षणों की उन्हें जानकारी हो जाए। इस संबंध में अध्यापकों के लिए यह अध्याय सहायक साबित होगा। यहां जिस पारिभाषिक शब्दावली का बार-बार प्रयोग किया गया है, उसको स्पष्ट कर दिया गया है। अपंगता के कारण किस मात्रा में विशेष प्रकार की शिक्षा की आवश्यकता होगी तथा शिक्षा में उसका क्या प्रयोजन होगा, इसका भी विवरण दिया गया है।

परिभाषाएं

संवेदनात्मक अंग की हानि या क्षति के रूप में विकलांगता को परिभाषित किया गया है। यह विकलांगता जन्मजात हो सकती है या बाद की अवस्था में भी हो सकती है। संवेदना के जिस अंग में यह क्षति होती है, उस अंग के सामान्य क्रियाकलाप में विघ्न पड़ता है जैसे यदि किसी बच्चे के कर्ण पटल (ईयरड्रम) में छेद हो तो उसे ठीक से सुनाई नहीं देगा, क्योंकि इससे उसके कानों में कम आवाज पहुंचने में विघ्न पैदा होता है। इसी तरह दृष्टि दोष की वजह से बच्चा कोई चीज ठीक से पढ़ नहीं सकता है, न देख सकता है और न समझ सकता है। अस्थि संबंधी दुर्बलता भी शरीर के किसी अंग की क्षति या उसके असामान्य होने का ही संकेत देती है। यह शरीर के किसी भी अंग में हो सकती है तथा इससे सामान्य गतिविधि में बाधा पहुंचती है। उदाहरणार्थ हाथ की अंगुलियों का गायब होना अथवा पोलियो से प्रभावित हाथ को ले सकते हैं।

अपने अधिगम के दौरान बच्चा तथ्यों एवं चीजों को मनचाहे तरीके से नियंत्रित नहीं कर सकता, अथवा न ठीक से पकड़ ही सकता है। यदि कोई बच्चा मानसिक रूप से पिछड़ा हुआ है तो वह किसी चीज को उतनी शीघ्रता से नहीं सीख सकता जितनी शीघ्रता से सामान्य बालक सीख लेते हैं। उसको सीखने में परेशानी होती है। यहां तक कि कोई मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया भी पिछड़ी हुई हो सकती है। प्रत्यक्ष ज्ञान प्राप्त करने की प्रक्रिया की असमर्थता या दुर्बलता जो कि अधिगम की असमर्थता बन सकती है। संवेगात्मक असुरक्षा का भाव, भावी अपंगता का कारण बन सकता है। इन सबका आशय यही है कि इस प्रकार की असमर्थता, अपंगता में बदल जाती है। दुर्बलता में चलने एवं काम करने की शक्ति घट जाती है। उदाहरण स्वरूप श्रवण इन्द्रियों में क्षतिग्रस्त होने से बच्चा स्वस्थ बच्चे की तरह नहीं सुन सकता है। इसी प्रकार जिस बच्चे में दृष्टि विषयक असमर्थता है, वह ठीक से देख नहीं पाता क्योंकि दोषयुक्त दृष्टि के कारण वह हाथों का इस्तेमाल ठीक से नहीं कर पाता, चीजों को पकड़ नहीं सकता, गणना में अंगुलियों का उपयोग नहीं कर सकता, इसलिए संख्याओं का पारस्परिक संबंध भी नहीं समझ सकता है। एक स्वस्थ बच्चा यह कार्य उसकी तुलना में अच्छी तरह से कर सकता है। इस प्रकार अपंगता एक ऐसी बाधा है जो बच्चे की असमर्थता के कारण उसके साथ लग जाती है। इससे उसकी सामान्य दिनचर्या में दिक्कतें पैदा होती हैं। तालिका नं. 2.1—इन दोनों पदों के अंतर को सारूप में प्रस्तुत किया गया है।

तालिका नं. 2.1 असमर्थता, विकलांगता और अक्षमता में अंतर

विकलांगता के रूप	असमर्थता	विकलांगता	अक्षमता
1. सुनने में असमर्थता	श्रवण इंद्रिय में क्षति (जैसे कर्ण पटल में छेद)	ध्वनि के संचरण में दिक्कत	स्वस्थ कर्ण युक्त की भांति सुनने में कठिनाई
2. दृष्टि विषयक असमर्थता	आंख की मांस-पेशियों का अलग होना (भैंगापन/तिरछी नजर आदि)	किसी एक बिंब पर आंख को केंद्रित करने में दिक्कत	आंखों में एक चित्र बनने में समस्या
3. अस्थि विषयक असमर्थता	हाथों में लकवा मारजाना	हाथ से चीजों को पकड़ने तथा इधर-उधर करने में दिक्कत।	दूसरों की तरह हाथ का उपयोग करने में असमर्थ

4. मानसिक असमर्थता	मानसिक योग्यता में कमी	दूसरों की तरह काम को निपटाने में दिक्कत	दूसरों जैसा व्यवहार करने में असमर्थ, अमूर्त अवधारणाओं को समझने में दिक्कत
5. अधिगम विषयक	मष्तिष्क के खास हिस्से का ठीक से कार्य न करना (जैसे दाहिने बांएं का अभिविन्यास)	सिर्फ लिखने में दिक्कत किन्तु स्वस्थ बच्चे की तरह पढ़ तथा बोल सकता है	दूसरों की तरह पढ़ने लिखने में दिक्कत

इस प्रकार अक्षमता किसी अंग का नष्ट होने या क्षतिग्रस्त होने को कहा जाता है जिसके कारण कोई व्यक्ति असमर्थ (हैंडीकैप्ड) हो जाता है। असमर्थता के इस अभाव को कई तरह से कम किया जा सकता है जैसे सुनने के यंत्र द्वारा, नकली अंग लगाकर या चिकित्सा सहायता के जरिए आदि।

आइए, हम अपंगता के क्षेत्रों को परिभाषित करें, इससे पहचान के लिए खास तौर पर मार्गदर्शन मिलेगा तथा व्यवहार के लक्षण और उसकी विशेषताएं स्पष्ट होकर सामने आएंगी।

(1) उन बच्चों को सुनने में असमर्थ कहा जाता है जिनकी सुनने वाली इंद्रिय क्षतिग्रस्त हो चुकी है तथा जो बोलने और भाषा का विकास करने में दिक्कत महसूस करते हैं तथा उनकी सुनने की शक्ति लुप्त हो जाती है। सुनने की इस क्षति की मात्रा कुछ बच्चों में कम होती है और कुछ में अधिक।

(2) उन बच्चों को वाणी की दृष्टि से अपंग माना जाता है, जिनको बोलने, आवाज करने तथा सस्वर कहने में कुछ असुविधा उत्पन्न होती है। दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि जब वे कोई शब्द या वाक्य बोलते हैं तो वे अक्सर ध्वनि जोड़ जाते हैं या तोड़ते-मरोड़ते हैं या नई ध्वनि जोड़ते हैं या उनकी जगह कोई और ध्वनि बोलते हैं। ये समस्याएं किसी शारीरिक कमी के कारण हो सकती है। अशुद्ध उच्चारण से भाषण की गुरूता घटती है। वे या तो ऊंचे स्वर में बोलेंगें या धीमे स्वर में लेकिन बोलने के समय उनका स्वर सामान्य नहीं रह पाता। हो सकता है, बात कहते-कहते उनका स्वर बाधित हो जाए। इससे उनमें तुतुलाहट का दोष आ सकता है। अत: इसको वक्ता प्रवाह दोष भी कहा जाता है।

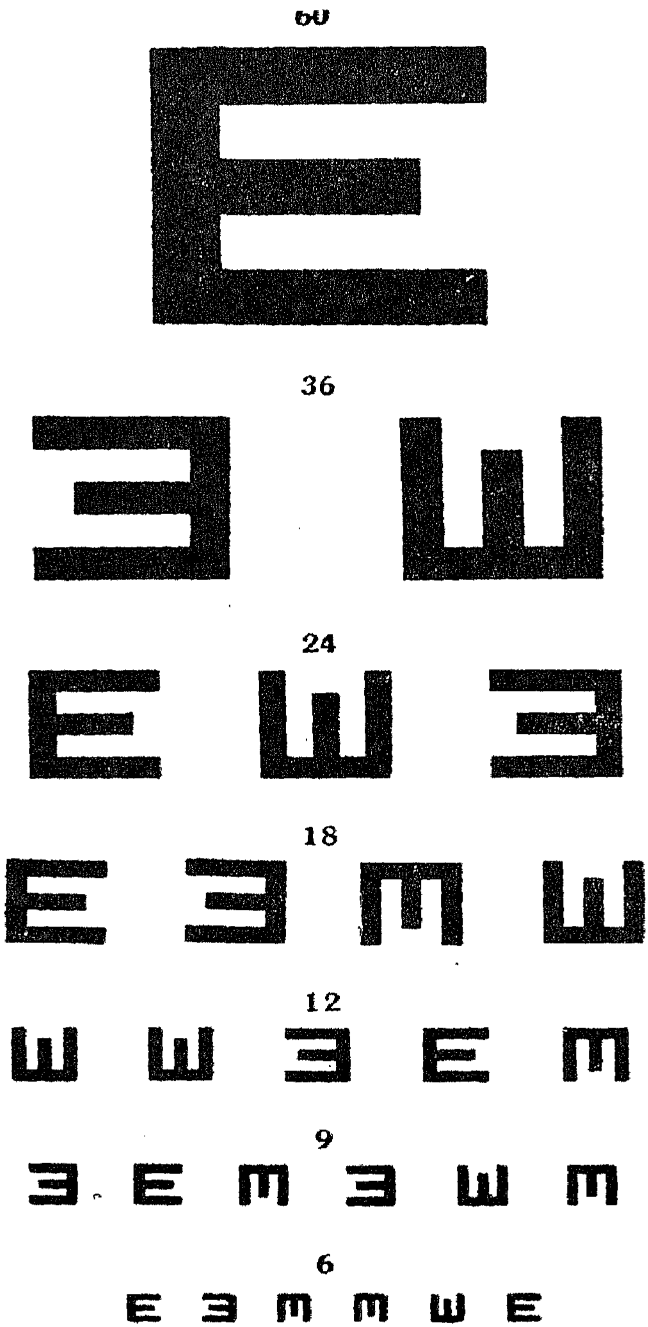
(3) जिनको देखने में दिक्कत या समस्या होती है उनको दृष्टि बाधित कहा जाता है। कुछ बच्चे बड़े अक्षरों को पढ़ सकते हैं तथा अपना कामकाज सामान्य ढंग से चला सकते हैं लेकिन कुछ बच्चों में इतना अधिक दृष्टिदोष होता है कि उन्हें दृश्य पद्धति से नहीं पढ़ाया जा सकता। दृष्टिदोष का पता सैनल चार्ट के द्वारा लगाया जाता है। सैनल चार्ट अगले पृष्ठों पर दिया है।

(4) अस्थिदोष युक्त, (या विकलांग) उनको कहा जाता है, जिनकी हड्डियों में कोई कमियां होती है जिसके प्रभाव से उनको कार्य करने में असुविधा होती है। इनकी हड्डियों, जोड़ों तथा मांसपेशियों के साथ ऐसी समस्या होती है कि ऐसे बच्चों को हमेशा बनावटी हाथ-पैर की आवश्यकता पड़ती है जिसमे वे उनकी कमी को पूरा कर सकें। इनके पर्यावरण में भी थोड़े बहुत परिवर्तन की आवश्यकता होती है जिसके आधार पर बच्चा कक्षा में अपने को सहज बना सके। कुछ बच्चों के मष्तिष्क में विकार होता है, अतः वे अन्य बच्चों की तरह अपनी स्नायु क्रिया को इच्छा पूर्वक संचालित नहीं कर पाते और उन्हें अपना काम करने में दिक्कत आती है।

(5) मानसिक पंगुता अथवा अशक्ता वाले बच्चे, उन बच्चों को कहा जाता है, जिनके काम करने का मानसिक स्तर नीचा होता है और सामाजिक तथा संवेगात्मक व्यवहार को सीखने अथवा अपनाने में उनके सामने समस्याएं होती है। इस प्रकार विलम्ब से विकास होने की गति एक आयु समूह से दूसरे आयु समूह में भिन्न होती है। इन बच्चों की पहचान के लिए उपर्युक्त बातों के अतिरिक्त इनमें व्यवहार की समायोजन शक्ति का भी आंकलन किया जाना चाहिए। इसी के साथ इनके बौद्धिक स्तर का मूल्यांकन भी उचित माना गया है।

(6) अधिगम संबंधी अशक्ता या पंगुता को परिभाषित करते हुए कहा गया है कि जिनकी आधारभूत मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया में एक या एक से अधिक प्रकार की अस्वाभाविकता अथवा विकार आ जाते हैं जिससे उनको लिखी या बोली गई भाषा को समझने में दिक्कत होती है, और उनको सुनने, सोचने, लिखने, पढ़ने या गणित के प्रश्न को हल करने की योग्यता अपूर्ण होती है। लेकिन ऐसे बच्चों में बुद्धि, सामान्य बच्चों की अपेक्षा थोड़ी सी अधिक पाई जाती है तथा इनमें श्रवण या दृष्टि दोष नहीं होता है।

(7) कुछ बच्चों को स्वास्थ्य संबंधी विशेष समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इस वर्ग में वे बच्चे आते हैं जिनका शारीरिक स्वास्थ्य ठीक नहीं होता, जिसके कारण वे निष्क्रिय रहते हैं, अतः ऐसे बच्चों के साथ स्कूल में थोड़ी सतर्कता बरतने की आवश्यकता होती है।



चित्र नं० (क) सैनल चार्ट

U

36

P N

चित्र सं० 6ख सैनल चार्ट

24

F X H

18

A H D F

12

Z A P F X

9

U Z N X T A

6

D H T N F P

ऊपर की गई व्याख्याओं से अपंग बच्चों का वर्गीकरण समझने में मदद मिलेगी। आइए, अब हम अपंग बच्चों का वर्गीकरण करना सीखें। इस प्रकार के बच्चों का स्थान एवं उनके लिए शिक्षा के स्वरूप को निर्धारित करने में मदद मिलेगी।

वर्गीकरण

1. श्रवण शक्ति का विकार :

इस कोटि में उनको रखा जाता है, जिनको कम सुनाई पड़ता है अथवा जो पूर्णतः बहरे होते हैं।

(अ) कम सुनने वाले बच्चों की श्रेणी में उनको रखा जाता है जिनकी श्रवण शक्ति कम हो जाती है लेकिन यदि जोर से बोला जाए तो बिना किसी यांत्रिक सहायता से सुन सकते हैं। ऐसे बच्चों के साथ एकीकरण का कार्य कठिन नहीं होता है। इनमें से अधिकांश बच्चे आम कक्षाओं में होते हैं। जो यन्त्र का उपयोग करके अपने श्रवण शक्ति की कमी को पूरा कर सकते हैं, यंत्र लगाकर अच्छी तरह सुन सकते हैं।

(ब) बहरा उनको कहा जाता है जिनको जोर से बोलने पर भी सुनाई नहीं पड़ता। एकीकृत शिक्षा के परिवेश में समन्वित करने के लिए पहले उनको काफी तैयारी की जरूरत होती है विशेष तकनीकों के जरिए उन्हें आधारभूत पर्यावरण में तैयार करने की आवश्यकता होती है जिससे वे श्रवण उपकरणों की सहायता से काम काज करने के लिए अधिक सहज बन सकते हैं। तालिका 2.2 में उन विशेषताओं और व्यवहारों को दिया गया है जिनकी सहायता से हम उन बच्चों की पहचान कर सकते हैं जिनमें किसी प्रकार का श्रवणदोष या अशक्तता है।

तालिका---2.2 श्रवण दोष वाले बच्चों की पहचान के लिए प्रश्नसूची

— क्या बच्चा निर्देश को पुनः बोलने के लिए अनुरोध करता है ?

— क्या बच्चे में स्पष्ट दिखने वाला कानों का कोई दोष मौजूद है ?

— क्या बच्चे का कान बहता है ?

—क्या बच्चा सामान्यतया कानों के दर्द होने की शिकायत करता है ?

— क्या बच्चा ठीक से सुनने के लिए ध्वनि की तरफ घुमता है ?

— क्या बच्चा आपके निर्देशों का समाधान करने में अपने को असमर्थ पाता है ?

— क्या अक्सर बच्चा अपने कान में अंगुलियाँ डालता रहता है ?

— क्या बच्चा किसी बोलने वाले की बात को समझने के लिए अपनी दृष्टि उसके चेहरे पर टिकाए रखता है ?

— जब अध्यापक कक्षा में कुछ मौखिक समझाता है तो क्या बच्चा उसे लिखने में अपने साथी की मदद लेता है ?

वाणी विकार युक्त बच्चे

इस श्रेणी में हम दोनों ही प्रकार के बच्चों को शामिल कर सकते हैं, प्रथम वे जिनका सामान्य विकार है और दूसरे वे जो गंभीर प्रकार के विकार से ग्रस्त हैं। जिन बच्चों के भाषा तथा बोलने में सामान्य दोष होते हैं, वे हमारी कक्षाओं में मौजूद होते हैं तथा उनके ये दोष प्रायः हमारी जानकारी में नहीं आ पाते हैं। जब वे बोलते हैं या लिखते हैं तो उनमें एक विशेष प्रवृति दिखती है। वे शब्दों या वाक्यांशों या अक्षरों को छोड़ जाते हैं, बिगाड़ देते हैं अथवा उसमें अपनी ओर से कुछ जोड़ या घटा देते हैं आदि। वे तुतलाते हैं या पूरा वाक्य बोलने में दो टुकड़ों के बीच अधिक अंतराल देते हैं। लेकिन ये दोष इतने हल्के होते हैं कि अध्यापक इनकी तरफ ध्यान नहीं देते। इनको प्रत्यक्ष रूप से शेष कक्षा के साथ किया जा सकता है। शुरू में ही सुधारों के लिए उनकी तरफ अध्यापक का ध्यान जाना जरूरी होता है। दूसरे प्रकार के बच्चे वे हैं जो वाणी तथा भाषा संबंधी बड़ी समस्याओं का सामना करते हैं। इनकी समस्याएं अधिक गंभीर होती है तथा बच्चे के विद्यालय जाने से पूर्व ही इनमें सुधार की आवश्यकता होती है। इनकी बाणी इतनी विकृत होती है कि सहपाठी तक उसको समझने में दिक्कत महसूस करते हैं या समझ नहीं पाते हैं। इन बच्चों को भी कक्षा के साथ एकीकृत किया जा सकता है। यदि विद्यालय में कक्षा शिक्षण के लिए संसाधन उपलब्ध हों। वाणी दोष, श्रवण दोष या श्रवणेन्द्रिय में किसी तरह की कमी हो सकती है अथवा यह सब पर्यावरण की अनुपयुक्तता के कारण भी हो सकता है।

वाणी दोष के प्रकार

(अ) जहां पर स्वराघात में एक रूपता की कमी, आवाज या स्वर की तेजी में अस्वभाविकता हो या आवाज की सहजता में दोष हो, वहां बच्चे में स्वर विकार होता है। इसको एक उदाहरण के द्वारा समझा जा सकता है। सामान्य वाणी की तुलना में स्वर की ऊंचाई या तो बहुत कम होगी अथवा बहुत अधिक होगी। या तो यह कर्णकुट होगी, और कानों को सुनने में खलेगी या इतनी धीमी होगी कि इसे सुनने में दिक्कत होगी। वाणी की गुरूता हो, या सांय-सांय करके आवाज निकलती हो अथवा बच्चा बोलते समय हांफता हो।

(ब) उच्चारण दोष, बच्चे की वाक् ध्वनि से संबंधित होता है। इसको शब्दोच्चारण के नाम से भी जाना जाता है। इसमें स्वभाविक रूप से जो समस्या बच्चे के सामने आती है, वह इस प्रकार की होती है, वह एक ध्वनि की जगह दूसरी ध्वनि बोलता है, शब्द छोड़ता है, अपनी ओर से कुछ जोड़ता है और ध्वनियों को बिगाड़ कर बोलता है। उदाहरण के लिए 'राजन की जगह 'हाजन' बोलता है, 'स्कूल' की जगह इस 'कूल' बोलता है या इसी प्रकार अन्य शब्दों को बिगाड़ कर बोलता है तो मानना होगा कि उसमें उच्चारण दोष है।

(स) प्रवाह विषयक दोष, लयदोष माना जाता है। इसमें बोलते समय बीच-बीच में लयभंग हो जाती है। इस प्रकार का प्रवाह दोष हकलाने के कारण होता है। हकलाने से वक्ता का प्रवाह बिगड़ता है।

जिन बच्चों में वाणी विषयक दोष होते हैं तालिका 2.3 की प्रश्नसूची में उनकी विशेषताएं तथा बच्चे के व्यवहार को जाना जा सकता है।

तालिका नं. - 2.3 वाणी दोष को पहचान के लिए प्रश्नसूची

— क्या बच्चे के बोलने वाले अंग में कोई स्पष्ट दिखाई दिखने वाली गड़बड़ी है ?

— क्या शब्दों तथा वाक्याशों को बच्चा प्राय: स्वाभाविक रूप से तोड़ता है ?

— क्या अध्यापक के बार-बार सुधारात्मक परिश्रम के अतिरिक्त बच्चा अक्सर अशुद्ध उच्चारण करता है ?

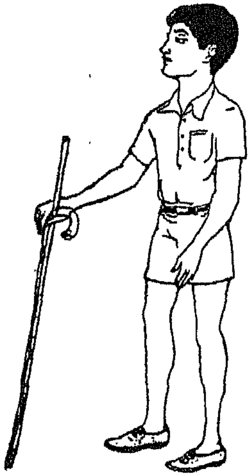
— क्या बच्चा सामूहिक गतिविधियों में भाग लेने में हिचकिचाता है ?

दृष्टि संबंधी विकार

इस कोटि में दोनों प्रकार के लोगों को शामिल किया जाता है। एक वे हैं जिनको कम दिखता है और दूसरे वे जो पूर्णत: आंख से अंधे होते है :

(अ) कम दिखने वाले लोगों में ऐसे लोगों को शामिल किया जाता है जिनको पढ़ने में बड़े अक्षरों वाले छापे की आवश्यकता पड़ती है उनकी दृष्टि विषय क्षीणता बहुत कम होती है (20/70 बेहतर दृष्टि मानी जाती है)। इसका अर्थ यह है कि सामान्य बच्चा जिस चीज को 70 फीट की दूरी से देख सकता है उसे दृष्टिदोष वाला बच्चा 20 फीट की दूरी से ही देख पाता है। उनकी दृष्टि मंद होती है। संभव है कि उनकी दूर की नजर कमजोर हो, संभव है कि पास की नजर कमजोर हो, संभव है कि उनकी मांस पेशियां दुर्बल हो या ग्लोकोमा का अन्य कोई दोष उनकी आंखों में हो। ज्यादा जानकारी के लिए संलग्न सूची 1 देखिए।

(ब) अंधे वे हैं जिनको ब्रेल लिपि या मौखिक पद्धति से पढ़ाने की आवश्यकता होती है। उनकी दृष्टि क्षीण हो सकती है कि जो गिरकर 2/200 तक पहुंच गई हो। उनको कक्षा में एकीकृत करने से पूर्व, कुछ अन्य दक्षताओं में प्रशिक्षित करना होता है। जैसे दृष्टिबाधित बच्चे को चलने फिरने (मोबिलटी) में प्रशिक्षण देना।



चित्र नं० 7 दृष्टिबाधित बच्चा केन की सहायता से चलने फिरने का प्रयास कर रहा है

इस प्रकार के बच्चों में लक्षित किए जाने योग्य जो लक्षण होते हैं, उनको नीचे की तालिका 2.4 में संक्षेप में दिया जा रहा है।

तालिका 2.4 दृष्टि दोषयुक्त बच्चों को पहचानने के लिए प्रश्नसूची

— आंखों का काम करने के बाद सिर दर्द की शिकायत करता है।

— प्राय: आंखें झपकाता है।

— श्यामपट्ट से कुछ लिखते समय प्राय: आसपास के बच्चों से पूछता रहता है।

— पुस्तक तथा अन्य चीजों को भी आंख के बहुत पास ले जा कर देखता है।

— एक आंख ढक कर सिर आगे की ओर झुका देता है।

— बार-बार आंखों को मलता है।

— आंखों की पुतलियों के आकार अलग-अलग होते है।

— आंख की पलकों में सुजन या किनारे का लाल होना ।

— प्रकाश के प्रति अधिक संवेदनशील जान पड़ता है ।

— चीजों को पूरी पहचानने के लिए देखने की कोशिश में शरीर को अकड़ा लेना है ।

— पढ़ने की अवधि में उसका ध्यान केन्द्रित नहीं रह पाता है ।

— आंखों से पानी आता है ।

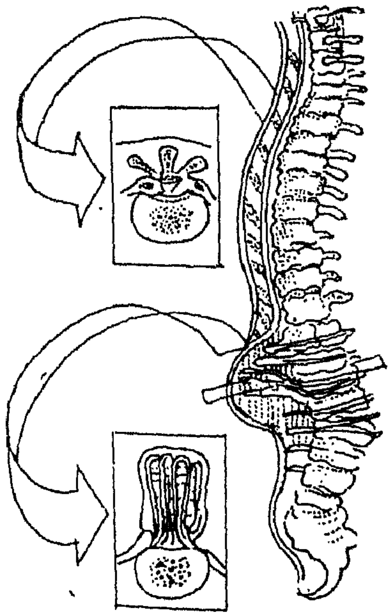
— आंखों की पलकें बहुत ज्यादा होती हैं और बार-बार झपकता है ।

— चलते समय गलत कदम रखता है ।

---

4 — अस्थि विकार ग्रस्त बच्चे या विकलांग बच्चे : - अस्थि विकार या विकलांगता इस कोटि में रखी जाती है । इनको भी दो श्रेणियों में बांटा जा सकता है । सामान्य विकलांता और कठिन विकलांगता ।

(अ) विकलांग बच्चा उसको माना जाता है जिसकी हड्डी में कोई विकार या गड़बड़ी हो गई हो जिसके कारण उसकी सामान्य गतिविधि में हड्डी जोड़ तथा मांस पेशियों की असहजता इतनी बाधा उत्पन्न करती हो कि नियमित कक्षा में आने के लिए कुछ विशेष प्रबंध की जरूरत हो । बच्चों में कुछ दोष जन्मजात होते हैं जैसे कुल्हे की हड्डी का सरकना, पैरों का आपस में जुड़ा होना, मेरुदण्ड का द्विखंडन, पोलियो से प्रभावित अंग तथा हड्डियों और जोड़ों की अक्षमता एवं रीढ़ की हड्डी में दोष । नीचे दिए गये चित्र से इस समस्या के बारे में और जानकारी मिलती हैं ।



चित्र नं० 8 दोषयुक्त रीढ़ की हड्डी



चित्र नं० 9 बालक रीढ़ की हड्डी की समस्या के साथ

(ब) इस श्रेणी की अपंगता भयंकर होती है। यह इतनी अधिक होती है कि बच्चे को अस्थाई या स्थाई तौर पर अस्पताल में भर्ती कराया जाता है उन्हें तो कक्षा में संमन्वित किया जा सकता है लेकिन जो बच्चे स्थाई रूप से भर्ती किए जाते हैं, उनके कार्यक्रम को अस्पताल से संबंध करके तैयार करने की आवश्यकता होती है।

जो बच्चे विकलांगता के कारण असमर्थ हैं, उनको बहुत आसानी से पहचाना जा सकता है क्योंकि इनकी अक्षमता बहुत ही स्पष्ट होती है, आंख, कान, आदि की बीमारी से ग्रस्त बच्चों की तुलना में इसके बावजूद कुछ बच्चे ऐसे हो सकते हैं जिनमें यह दोष बहुत ही सामान्य कोटि का हो तथा जो हाल ही में पैदा हुआ हो और जिसकी ओर ध्यान न दिया गया हो। इस तरह के बच्चों को नीचे दिए व्यवहार संबंधी लक्षणों के आधार पर पहचाना जा सकता है।

तालिका 2.5 विकलांग बच्चों की पहचान के लिए प्रश्न सूची

— बालक की पेशी का खराब नियंत्रण अथवा उसमें तालमेल का अभाव, बच्चा दो या अधिक पेशियों की क्रिया के बीच समन्वय में असमर्थ ।

— भद्दे ढंग से चलता है या चलने में झटका खाकर एक तरफ झुकता है ।

— शारीरिक व्यायाम के समय दर्द के लक्षण प्रदर्शित करता है ।

— हिलते डुलते हुए चलता है ।

विशेष स्वास्थ्य संबंधी समस्या वाले बच्चों से आशय उन बच्चों से हैं जिनका खराब स्वास्थ्य उन्हें निष्क्रिय बना देता है तथा जिनके स्वास्थ्य के बारे में विशेष सतर्कता बरतने की जरूरत पड़ती है इस प्रकार के बच्चों को निम्नांकित कोटियों में विभाजित किया जा सकता है ।

(अ) जिन बच्चों की स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं सामान्य श्रेणी की होती है उन्हें शिक्षा योग्य एकीकृत शिक्षा समूह में रखा जाता है क्योंकि उनकी स्वास्थ्य समस्या उनकी शैक्षिक योजना में कोई बाधा नहीं डालती है । लेकिन उनकी नियमित डाक्टरी परीक्षा कराते समय आवश्यक सावधानी रखी जानी चाहिए ।

(ब) कुछ बच्चों की स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं अधिक गंभीर होती है तथा नियमित स्कूल में उनको नहीं रखा जा सकता है । उनका स्वास्थ्य उनको शिक्षा योजना में विघ्न डालता है । ऐसे बच्चों की चिकित्सा संबंधी देखरेख लगातार करने की जरूरत होती है । ये सामान्य कक्षा में अकादमिक तथा गैर अकादमिक गतिविधियों में भाग लेने योग्य नहीं होते हैं । जिन बच्चों को हृदय संबंधी समस्या होती है या मिरगी जैसे रोग हों और जिनको 10-15 मिनट पढ़ाने के बाद आराम की आवश्यकता पड़ती है, ऐसे बच्चों को आम बच्चों की कक्षा में बैठाना कठिन होता है क्योंकि उनको लगातार स्वास्थ्य विषयक देखभाल और अध्यापक की सतर्कता चाहिए । जिन बच्चों की स्वास्थ विषयक समस्याएं गंभीर होती है उनकी शिक्षा या तो घर पर होनी चाहिए, या अस्पताल में अथवा स्कूलों में विशेष कक्षाओं का प्रबन्ध करके होनी चाहिए । कुछ स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं पर नीचे विचार किया गया है । इनको विशेष स्वास्थ्ययुक्त समस्याओं के अंतर्गत लिया जाता है । ये समस्याएं असमर्थ या अपंग बच्चों में भी हो सकती है । इनके लक्षणों की जानकारी तथा इनके आगामी परिणाम

जानकारी से अध्यापक इन समस्याओं से पैदा होने वाली कठिनाईयों को कम कर सकता है तथा उस बच्चे को अन्य बच्चों की तरह विकसित होने में उसकी मदद कर सकता है ।

मिरगी या अपस्मार :- बच्चों की यह विशेष प्रकार की स्वास्थ्य संबंधी समस्या है । इस समस्या के लक्षण इस प्रकार के होते हैं : बच्चा इतने भयंकर तरीके से काँपता है जैसे उसे हिस्टीरिया हो गया हो, मूर्च्छा के दौरे प्राय: आते रहते हैं, बच्चा बेहोश हो जाता है, गिरकर भयंकर तरीके से हाथ पैर चलाता है, बच्चे का शरीर पीला पड़ सकता है, लगातार पलकें झपकाता है, निरुद्देश्य क्रियाएं करता है जैसे हाथों को मलना, शरीर के अन्य भागों को मलते रहना, कपड़े उतारने लगना आदि ।

यह समस्या मस्तिष्क में चोट के कारण या मस्तिष्क के एक अवयव में अनावश्यक वृद्धि के कारण होती है । दौरे को रोकने के लिए कुछ दवाएं उपलब्ध हैं तथा बढ़े हुए अवयव को शल्य क्रिया के द्वारा समाप्त किया जा सकता है । इसको स्वास्थ्य संबंधी विशेष समस्या माना जाता है ।

चूंकि दौरे पड़ने पर रोगी को किसी प्रकार की पीड़ा नहीं होती है इसलिए इस बात को याद रखना आवश्यक है कि इस दौरान अध्यापक शांत रहे तथा बच्चे के हिलने-डुलने को रोके नहीं । मिरगी वाले बच्चे के आस पास से दौरे के समय ऐसी सभी चीजों को वहां से हटा देना चाहिए जिनसे उसको चोट लगने की संभावना हो । लेकिन उसको हाथ-पैर मारने को रोका नहीं जाना चाहिए । यदि मुंह खुला हो तो उसमें रूमाल जैसा मुलायम चीज रख देनी चाहिए जिससे दांतों से जीभ कटने से बच जाए । दौरे के बाद बच्चे को आराम करने की इजाजत दी जानी चाहिए । इसके बाद इस घटना की सूचना अभिभावकों तथा डाक्टर को दी जानी चाहिए । इस प्रकार की स्वास्थ्य समस्या के कारण बच्चों में इस छात्र के बहिष्कार करने की भावना पैदा हो सकती है । अत: जब यह घटना घटे तो शेष कक्षा के छात्रों के इसके बारे में बताया जाना चाहिए । अध्यापक मिरगी के कारणों को अन्य अध्यापकों को तथा समुदाय के सदस्यों को समझाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकता है कि ऐसा किसी भूत-प्रेत या प्रेतात्मा के कारण नहीं होता है बल्कि यह एक प्रकार का मस्तिष्क का रोग होता है । यह चोट लगने या और किसी अवयव के अनावश्यक रूप से बढ़ जाने के कारण होता है । मानसिक दृष्टि से ऐसा बच्चा आम बच्चों की तरह होता है । इससे बेहतर समाजिक, संवेगात्मक और शैक्षिक रूप से इन छात्रों का समन्वय करने में मदद मिलती है ।

मधु मेह की समस्या से ग्रस्त बच्चे :- जिन बच्चों में मधुमेह की समस्या होती, उनमें निम्नांकित लक्षण नजर आते हैं :- बार-बार पेशाब आना, आवश्यक से अधिक प्यास, बहुत अधिक भूख, वजन का घटना-बढ़ना (प्राय: घटना), अनिद्रा रोग, कमजोरी, अधिक समस्याओं का सामना करता रहता है, *प्राय: चर्म संबंधी गड़बड़ी जैसे फोड़ा फुंसी तथा खुजली भी रहती है ।*

आपके विद्यालय में पढ़ने वाले सामान्य बच्चों और विकलांग बच्चों, दोनों को ही मधुमेह की समस्या हो सकती है । अध्यापक के रूप में आपसे आशा की जाती है कि एकदम आरंभिक अवस्था में ही आप इन लक्षणों के जरिए ऐसे बच्चों को पहचान लें । यह एक ऐसी समस्या है जो शरीर में बनने वाली इन्सूलीन से जुड़ी हुई है । यदि उचित समय इन्सूलीन दी जाए तो इस पर काबू पाया जा सकता है । इसमें अध्यापक की भूमिका यह हो सकती है कि वह बच्चे का डाक्टरी परीक्षण कराए तथा जैसी डाक्टर की सलाह हो उसके अनुसार दवा तथा भोजन लेने के लिए बालक एवं उसके माता-पिता को सूचित करें ।

दमा :- आमतौर पर कक्षा में इस समस्या को नजरदांज कर दिया जाता है लेकिन इसमें बच्चों के लिए सामाजिक और संवेगात्मक समस्याएं पैदा होती है । इसलिए अच्छा होगा यदि शिक्षक इस समस्या से अवगत रहे । एलर्जी के कारण बच्चे को सांस लेने में परेशानी होती है । आमतौर पर इसमें जो लक्षण दिखते हैं वे इस प्रकार होते हैं । सांस लेने में परेशानी (लंबी-लंबी सांस खीचता है) चेहरे का रंग उड़ जाता है (प्राय: पीला पड़ जाता है) नाक से सांस लेते समय हांफता है इसका मुख्य कारण वे पदार्थ हैं जिनसे मरीज को एलर्जी होती हैं जैसे धूल, परागकण या कोई पौधा आदि आदि । यह संवेगात्मक प्रतिक्रिया की वजह से अथवा अत्यधिक शारीरिक श्रम करने की वजह से भी हो सकता है अथवा इंजेक्शन के जरिए दवा दी जा सकती है । इनसे आराम तो मिल जाता है लेकिन रोग जड़ से नहीं जाता है । जिस कक्षा में इस प्रकार के बच्चे हैं, अध्यापक उन्हें एलर्जी करने वाले पदार्थों जैसे धुल या पराग कणों से अलग रखकर उनकी मदद कर सकता है । अध्यापक को ऐसे बच्चों को ऐसा काम नहीं देना चाहिए जिसमें बहुत अधिक परिश्रम की जरूरत पड़ती हो । अध्यापक से इस बात की भी आशा की जाती है कि वह बच्चे की सहायता करे जिससे बच्चा कक्षा के अन्य बच्चों में घुल मिल सके तथा बच्चे को इस प्रकार की समाजिक गतिविधियों में लगाए जिनमें बहुत ज्यादा कठोर परिश्रम न करना पड़ता है ।

बच्चों का गाठिया रोग :- छोटे बच्चों के जोड़ों में एक प्रकार का दर्द होता है । इसे ही बच्चों का गठिया रोग कहा जाता है । ऐसे बच्चों के चर्म पर चकत्ते बनते हैं, आंखें सूजती हैं तथा लाल हो जाया करती हैं । इससे बच्चे का विकास बिगड़ सकता है क्योंकि इस बीमारी का



चित्र नं० 10 बालिका मोटे होल्डर वाली पैन्सिल से लिखने का प्रयास कर रही है

आक्रमण शरीर के जोड़ों पर होता है। इससे बच्चे के शारीरिक विकास की दिशा बदल सकती है। अगुलियों में सूजन तथा दर्द होता है, कोहनी, कलाई, घुटनों, कूल्हे तथा पैरों में भी दर्द होता है। बीमारी जब कठिन होती है, और उसका उचित समय पर इलाज नहीं किया जाता तो जोड़ जम जाते हैं और चलने फिरने में बहुत अधिक तकलीफ होती है। बच्चों का गठिया शरीर के जोड़ों के तंतुओं का असाध्य रोग होता है। दवाएं तथा खास तरह के व्यायाम इसको भयंकर रूप धारण करने से रोक सकते हैं। इसमें अध्यापक की भूमिका काफी महत्वपूर्ण होती है। उसे इस समस्या को समझना चाहिए लेकिन उसको अधिक संरक्षणात्मक भी नहीं होना चाहिए। ऐसे बच्चों को अपना काम पूरा करने के लिए ज्यादा समय देना चाहिए। बच्चा कक्षा में अपना तालमेल कायम कर सके इसके लिए उसको विशेष प्रकार के सहायक उपकरण उपलब्ध कराए जाने चाहिए जैसे सहायक लेखन सामग्री, विशेष प्रकार के कागज तथा पेंसिल आदि। चूंकि ये बच्चे शारीरिक रूप से काफी कमजोर होते है, अध्यापक को उन पर इस बात के लिए दबाव नहीं डालना चाहिए कि वह बच्चा हर गतिविधि में भाग ले। ऊपर दिए गए चित्र में बालिका को मोटे होल्डर वाली पैन्सिल की सहायता से सामान्य बच्चे की तरह लिखने के लिए उत्साहित किया जा रहा है।

रक्तालपता :- रक्तालपता (एनीमिया) शरीर की ऐसी अवस्था है जिसमें बच्चा काफी अधिक खून की कमी का शिकार होता है। उनको एक विशेष अंतराल के बाद दर्द होता है, कमजोर हो

सकते है, पीलिया हो सकता है, तथा पैरों में फोड़ें फुंसी से पीड़ित हो सकते हैं। उनके पेट, घुटने, कंधे और शरीर के जोड़वाले अन्य हिस्सों में दर्द हो सकता है। उनको लगातार सिर दर्द होता है और कभी-कभी बेहोश भी हो जाते हैं उनके कानों में बजने जैसी आवाज होती है और आंखों के सामने धब्बे से उड़ते नजर आते हैं। इस रोग का मुख्य कारण रक्त कणों में लाल रंग के कणों का अभाव है जिसको हिमोग्लोबिन कहा जाता है इस रोग के बाद लाल रंग के रक्तकणों का आकार बदल जाता है। और वे हंसिए के जैसे दिखने लगते हैं। यदि रोग भयंकर रूप ग्रहण कर चुका है तो रोग का जड़ से समाप्त होना संभव नहीं होता है। जिस बच्चे को यह रोग हो उसको अक्सर आराम की जरूरत पड़ती रहती है तथा आगे उसे रोग न लगे, इससे उसे रक्षा की आवश्यकता पड़ती है। अध्यापक को चाहिए कि ऐसे बच्चे को अपना काम पूरा करने के लिए ज्यादा समय दे। चूंकि इसके चलते आक्सीजन का अभाव होता है, इसलिए इस बात की सिफारिश की जाती है कि उसको बीच-बीच में अस्पताल में इलाज के लिए भेजा जाए। इस प्रकार के बच्चों को कोई भी अध्यापक नीचे दी गई प्रश्नावली के आधार पर पहचान सकता है।

तालिका 2.6 — स्वास्थ्य की समस्या से ग्रस्त बच्चों की पहचान के लिए प्रश्नसूची

— बहुत आसानी से थक जाता है।

— अत्यधिक बेचैनी।

— बहुत धीमा और निष्क्रिय।

— व्यायाम के बाद प्रायः सांस लेने में दिक्कत।

— प्रायः सूखी खांसी रहा करती है, सीने में दर्द की शिकायत करता है (शारीरिक श्रम/थकान के बाद ऐसा होता है)।

— गालों, होठों तथा अगुलियों की नोकों का रंग हल्का नीला बना रहता है।

— बहुत अधिक असावधानी की स्थिति बनी रहती है।

— प्रायः मूर्च्छा/बेहोशी आती है।

— बहुत जल्दी क्रोध आता है, उत्तेजित हो जाता है, बिना किसी कारण के उसमें ध्वंसात्मक प्रवृति जगा करती है

मानसिक पिछड़ापन :-

इस कोटि के बच्चों में हम निम्नांकित प्रकार के बच्चों को शामिल कर सकते हैं, शिक्षा के उद्देश्य से मानसिक पिछड़ापन, प्रशिक्षण की दृष्टि से पिछड़ापन तथा अभिरक्षणात्मक मानसिक पिछड़ापन।

(अ) शिक्षा की दृष्टि से मानसिक पिछड़ापन को इस प्रकार परिभाषित किया गया है। ऐसा बच्चा जो अपने स्कूल के विषयों में कम से कम पिछड़ा है। ऐसे बच्चों के साथ सामाजिक स्तर पर सामंजस्य कम करने की आवश्यकता पड़ती है। इस प्रकार के बच्चों को मानसिक रूप से पिछड़ा हुआ नहीं माना जाता है वह भी विशेष रूप से स्कूल-पूर्व स्तर पर। उनके लिए बार-बार हिदायतें दुहराने की आवश्यकता पड़ती है। आरम्भिक अवस्था में उनको चलने-फिरने, उछलने-कूदने तथा लिखने में समस्या होती है। (ब) काफी तैयारी के बाद गैर अशैक्षिक क्षेत्रों में ही प्रशिक्षण योग्य मानसिक रूप से पिछड़े हुए बालकों को एकीकृत किया जा सकता है। प्रशिक्षण योग्य मानसिक रूप से पिछड़े बालकों को रोजगारपरक विषयों में प्रशिक्षित किया जा सकता है। आरंभिक स्तरों पर अपनी दैनिक जीवन में उनको प्रशिक्षित करने की आवश्यकता पड़ती है, अपने व्यवहार की स्थिति के अनुसार बदलने की उनकी क्षमता काफी कमजोर होती है। दैनिक जीवन बिताने की कला भी उन बच्चों को सिखानी पड़ती है जिनमें अभिरक्षणात्मक मानसिक पिछड़ापन होता है। उनकी बुद्धिलब्धि का स्तर नीचा होता है (खास तरह की संस्थाओं या कक्षाओं में ही उनको शिक्षित किया जा सकता है। स्थिति के अनुसार अपने को ढालने की उनकी शक्ति बहुत ही कम होती है। उनका कक्षा के साथ तालमेल नहीं बैठाया जा सकता। उनको विशेष प्रकार की कक्षाओं की जरूरत होती है।

मानसिक रूप से पिछड़े बच्चों में कोई शारीरिक कमी नहीं दिखती है लेकिन सुझावों का पालन वे बहुत मंदगति से करते हैं। विलंबित विकास के कारण कक्षा में उनका निष्पादन कार्य प्रभावित होता है। इस प्रकार के बच्चों की पहचान उनके स्पष्ट व्यवहार को देखकर किया जा सकता है, अतः उनकी व्यवहारात्मक-सूची अधोलिखित है।

तालिका नं. 2.7 — मानसिक रूप से पिछड़े बच्चों को पहचानने के लिए लक्षणों की सूची।

— शैक्षणिक उपलब्धियां लगातार न्यून होती है।

— मूर्त वस्तुओं के प्रस्तुति करण पर बहुत अधिक निर्भर रहता है.

— अवधान की परिधि बहुत छोटी होती है।

— स्मरणशक्ति की अवधि भी कम होती है ।

— आत्मछवि बहुत ही अस्पष्ट होती है ।

— आत्मविश्वास का अभाव होता है ।

— संप्रेषण काफी सीमित दायरे में होता है ।

— बार-बार दुहराने और अभ्यास करने की आवश्यकता पड़ती है ।

— सामूहिक गतिविधियों में भी वह पहल नहीं करता है ।

— प्राय: ध्यान इधर-उधर और उखड़ा हुआ होता है ।

— तत्काल पुरस्कृत होना चाहता है ।

— असफलता का भय प्राय: दर्शाता रहता है ।

— पेशियों की तालमेल की क्षमता अच्छी नहीं होती ।

— अपने उग्र कठिनाईयों का सामना करता है ।

— हिदायतें समझने में कठिनाई महसूस करता है ।

— दोषयुक्त विकार : वाणी स्पष्ट न होने के कारण समझने में कठिनाई होती है क्योंकि वक्ता पक्षाघात या अन्य किसी विकार के कारण ठीक से बोल नहीं पाता है ।

— अतिचंचलता : कुछ क्षणों से ज्यादा एक जगह स्थिर होकर नहीं बैठ सकता है । हमेशा कुछ न कुछ करता रहता है, जैसे हाथ चलाना, अंगुलियों से थाप देना, किसी चीज को खींचना आदि ।

अधिगम संबंधी विकलांगता

बौद्धिक क्रियाकलाप में इस वर्ग के बच्चे अन्य बच्चों की तरह ही होते हैं। उनमें मानसिक पिछड़ापन नहीं होता है। उनमें दृष्टिदोष या श्रवणदोष भी नहीं होता है लेकिन उनको पढ़ने-लिखने, वर्तनी की शुद्धता तथा गणित के प्रश्न हल करने आदि बातों की दिक्कत होती है। इसका कारण मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया संबंधी दोष होता है, विशेष रूप से उनकी परिकल्पना क्षमता दुर्बल होती है। लिखने, बोलने, समझने तथा गणित के प्रश्न आदि हल करने में इनको काफी दिक्कत होती है। उनके मस्तिष्क में किसी गड़बड़ी के कारण ऐसा होता है अथवा उनमें संवेगात्मक/व्यवहार विषयक कोई कमी होती है। लेकिन ऐसा मानसिक पिछड़ेपन के कारण नहीं होता है। इनकी दो कोटियाँ हो सकती हैं (अ) सामान्य अधिगम विकलांगता तथा (ब) भयंकर अधिगम विकलांगता।

(अ) सामान्य स्कूलों में सामान्य रूप से अधिगमयुक्त विकलांग बच्चे को सिखाया-पढ़ाया जा सकता है। वे नियमित स्कूलों में ही शिक्षा ग्रहण करते हैं। आरम्भिक दौर में उनकी पहचान काफी कठिन होती है। आधारभूत अधिगम संबंधी कौशल को सीखने में भी उनको समस्याओं से जूझना पड़ता है। अधिगम के एक या दूसरे क्षेत्र में यह समस्या उत्पन्न हो सकती है लेकिन यह समस्या सामान्य कोटि की होती है। यदि शुरू में पता लग जाए तो बच्चे की मदद की जा सकती है। यह काम उसे उचित प्रशिक्षण देकर तथा अभ्यास के द्वारा किया जा सकता है चूंकि उनकी समस्या सामान्य किस्म की होती है इसलिए उनको आम स्कूलों की ऊँची कक्षाओं में भी एकीकृत किया जा सकता है। इसके लिए पाठ्यक्रम में सामान्य प्रकार का परिवर्तन करना होता है।

(ब) अधिगम संबंधी भयंकर अपंगता की कोटि में उन बच्चों की गिनती की जाती है जिनको आधारभूत अकादिमिक कौशल हासिल करने में भी दिक्कत होती है जैसे पढ़ना-लिखना आदि) यह समस्या उनके मस्तिष्क में किसी विकार या पर्यावरण विषयक के अभाव के कारण हो सकता है। इन बच्चों को आम स्कूलों में एकीकृत करने में बहुत अधिक कठिनाई होती है।

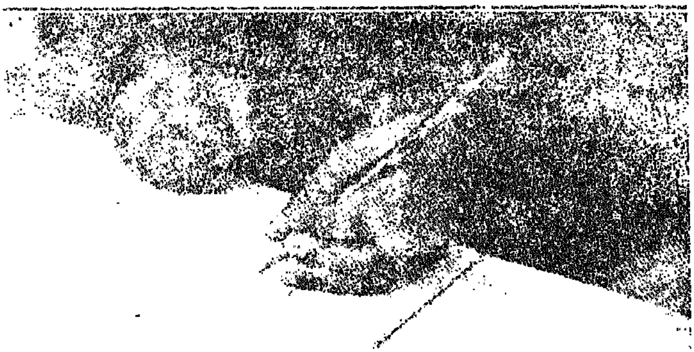
जिन बच्चों में अधिगम संबंधी दोष होता है उनकी व्यवहार संबंधी विशेषताएं अलग-अलग होती है। लेकिन इन सब की उपलब्धियां तथा बौद्धिक क्षमता के बीच बहुत अधिक कमी होती है। यही वह आधारभूत कमी है जिसका वे सामना करते हैं। लेकिन इससे जुड़ी अन्य दिक्कतें भी हो सकती है जैसे आधारभूत दक्षता से जुड़ी संवेगात्मक समस्या अथवा सामाजिक अनुकूलन की समस्या। अतः इन समस्याओं का वर्णन आगे किया गया है।

पढ़ने में असमर्थता :- इस प्रकार के दोष ग्रस्त बच्चे पढ़ने में असमर्थ होते हैं । इसके भी दो रूप देखने को मिलते हैं : जिन बच्चों पर इसका सामान्य प्रभाव होता है उनको पढ़ने में दिक्कत होती है लेकिन जिन बच्चों पर इसका भयंकर असर होता है वे पढ़ने, लिखने में बिल्कुल अशक्त होते हैं । इसे कभी-कभी "शब्द-अंधता" के नाम से भी पुकारा जाता है । जिन बच्चों पर इसका मामूली असर होता है, इस कोटि के बच्चे पहले से ही कक्षा में मौजूद होते हैं । यदि आरंभिक अवस्था में यह रोग पकड़ में आ जाए तो आवश्यक उपचार के बाद इन बच्चों को शेष कक्षा के साथ सुगमतापूर्वक एकीकृत किया जा सकता है । लेकिन जो बच्चा इसकी भयंकर चपेट में होता है उसके उपचार में गंभीर प्रयास तथा अभ्यास की आवश्यकता होती है ।

लेखन की अशक्तता :- इस रोग से प्रभावित बच्चे स्वत: स्फूर्ति रूप से लिखने में अशक्त होते हैं । इस अशक्ता के भी दो रूप होते हैं : सामान्य तथा भयंकर । जिन बच्चों में यह समस्या साधारण किस्म की होती है, उनको साफ-साफ लिखने की कला को सीखने में कठिनाई होती है । यदि इनकी पहचान शुरू में ही कर ली जाए तथा समय से इनकी मदद की जाए तो इनको शेष कक्षा की मुख्य धारा में सम्मिलित किया जा सकता है । लेकिन जिन बच्चों में यह दिक्कत अधिक गंभीर प्रकार की होती है वह किसी लेखन की नकल तो बिना उसका रूप बिगाड़े ही कर सकते हैं । लेकिन वे स्वत: स्फूर्त रूप से नहीं लिख सकते हैं । वह लिखने सीखने में असमर्थ होते हैं । यही उनकी पहचान है । भयंकर रूप से इस रोग से ग्रस्त बच्चों को उपचार संबंधी व्यायाम की जरूरत होती है और इसलिए लिखने-पढ़ने में शेष कक्षा के साथ उनको मिलाने में कठिनाई होती है । अगले पृष्ठ पर दिये चित्र में इन बच्चों की लिखने सम्बन्धित समस्याओं का वर्णन किया है । जिसमें 13 साल का बच्चा 119 बौद्धिक स्तर का है वर्णमाला लिखने में असमर्थ है, जैसे राम को मरा, नाक का कना लिखता है । यह चित्र अंग्रेजी में दिया है । इसकी हिन्दी इस प्रकार है ।

संप्रेषण को समझने की समस्या :- इस प्रकार के विकार ग्रस्त बच्चे लेखन, बोलने तथा पढ़ने में दिक्कतों का सामना करते हैं । जिनको यह रोग सामान्य किस्म का होता है, उनको बोली गई लिखाई गई भाषा को समझने में दिक्कत होती है । यहां तक कि बच्चा संकेत तथा हावभाव भी नहीं समझ पाता है । यदि समय रहते उपचार किया जाए तो इन बच्चों को सामान्य बच्चों के साथ समेकित किया जा सकता है अन्यथा इस बात की संभावना बनी रहती है कि स्पष्ट तथा प्रभाव-युक्त भाषा बोलने में इन बच्चों के सामने दिक्कतें आयेगी । जिन बच्चों में यह रोग गंभीर रूप धारण कर चुका होता है । वह न किसी भाषण को समझ पाता है और न लिखी भाषा ही उसकी समझ में आती है । वह लिखना-पढ़ना और बोलना भी नहीं सीख सकता है । संप्रेषण विषयक उसकी यह असमर्थता इस हद तक भी हो सकती है कि वह संकेतों तथा हाव-भाव द्वारा भी अपनी बात को दूसरों तक पहुंचाने में असमर्थ होता है । हो सकता है इस तरह के बच्चों

Learning Dizabilitiez



अधिगम विकलांगता
लिखना सीखना

लड़का 13 साल का 119 बौद्धिक स्तर वर्णमाला जानता है लेकिन लिख नहीं सकता । इसकी समस्या है :
मैडन को नारन
डोग को बोय्
नाक को मैक लिखता है

लड़की 6½ साल 106 बौद्धिक स्तर गिनती लिखती है मगर गिनती के बाद उल्टा लिखनी है

कुछ बच्चे शीशे की लिखावट की तरह लिखते हैं मगर पढ़ बिल्कुल टीक लेते हैं
यह क्रोस का निशान टीक से नहीं लगा सकते

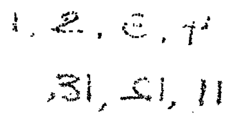
घेरे को पुरा करने में **असमर्थ**

LEARNING TO WRITE

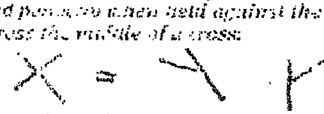
Boy, aged 13, IQ 119, knows the letters of the alphabet but cannot spell.

nam (man)
dog (boy)
nak (make)

[illegible] IQ 106. writes numbers backwards after the number [illegible]



[illegible] "mirror image" writers. Their words look [illegible] when held against the mirror.
[illegible] cross the middle of a cross:



[illegible] complete a full circle:



को कक्षा के साथ एकीकृत करना कठिन होता है। इनको गहन औपचारिक (रेमीडियल) व्यायाम की आवश्यकता होती है।

संख्या विषयक आयोग्यता :- जो बच्चा इस रोग से ग्रसित होता है, उसे साधारण अंकों का हिसाब लगाने में भी समस्या का सामना करना पड़ता है क्योंकि उसे अंक चिह्नों को समझने में तथा उनके आपसी संबंधों के जानने-समझने में भी दिक्कत होती है। यह रोग भी दो प्रकार का होता है। साधारण तथा असाध्य। सामान्य बच्चों के लिए गणित जो प्रश्न बहुत आसान होते हैं, उन सवालों को हल करने में भी इन बच्चों को काफी कठिनाई होती है। संख्याओं तथा उनके आपसी संबंधों के विषय में सीखना इनके लिए अपेक्षाकृत कठिन होता है। इस तरह के साधारण रोग वाले बच्चे कक्षा में पहले से मौजूद हो सकते हैं प्राथमिक स्तर पर उनको आसानी से नहीं पहचाना जा सकता। उनकी अयोग्यता उस समय सामने आती है जब वह संख्याओं के द्वारा गणित सीखने का श्रीगणेश करते हैं। जोड़ और घटाना चालू करते हैं। यदि इनकी पहचान यहीं पर कर ली जाए तथा उनके सुधार के लिए कदम उठाए जाएं, ऊंची कक्षाओं में भी सीख सकते हैं। परन्तु जब रोग का रूप असाध्य हो चुका है तो बच्चे के लिए सिर्फ दिक्कत ही नहीं होती, उसे अंक प्रतीकों तथा उनके संबंध को समझने और सिखने में भी काफी कठिनाई होती है, अर्थात् वह असमर्थ होता है। इसको अंकगणितीय योग्यता का ह्रास भी कहा जाता है। इस तरह के असाध्य मामलों का शेष कक्षा के साथ तालमेल नहीं बैठ पाता है। अतः इसके लिए गंभीर उपचार की आवश्यकता होती है। नीचे दी गई सूची के आधार पर उन बच्चों को पहचाना जा सकता है जिनकी चर्चा ऊपर की पंक्तियों में दी गई है।

तालिका 2.8 — अधिगम की दृष्टि से अशक्त बच्चों की पहचान के लिए लक्षण सूची

— अपना काम संगठित करने में कठिनाई महसूस करता है। तथा बहुधा वह कक्षा का कार्य देर में करके देता है।

— दूसरों के जवाब देने में सुस्त और धीमा लगता है।

— समय बताने में एवं दिन, महीना तथा ऋतुओं का क्रम से नामोल्लेख करने में और गणित की सारणी याद करने में दिक्कत महसूस करता है।

— लगता है कि कक्षा में या घर में दी जाने वाली हिदायतों को नहीं सुनता है। (बार-बार दुहराने का आग्रह करता है)।

— मौखिक हिदायतों को सही-सही याद नहीं रख सकता और जब दुहराने को कहा जाए तो दुहरा नहीं सकता।

— कक्षा में उसके निष्पादन (परफार्मेन्स) में बहुत ज्यादा असंगति होती है, समय-समय पर उसको देखकर लगता है कि काफी प्रतिभाशाली है, लेकिन स्कूल में बहुत कम अंक पाता है।

— थोड़े से भी व्यवधान से उसका ध्यान भंग हो जाता है।

— दांएं और बाएं को लेकर भ्रम में पड़ जाता है।

— इतना अधिक उत्तेजित हो जाता है कि क्षण भर के लिए भी कक्षा में शांति होकर नहीं बैठ सकता है।

— पढ़ते समय पंक्तियां छोड़ देता है अथवा एक ही पंक्ति को दो बार पढ़ जाता है।

— वर्तनी को अलग-अलग पढ़ने के बाद भी उससे शब्द बनाकर उसका उच्चारण करने में दिक्कत महसूस करता है। जैसे अ/ल/ग तो बोलेगा लेकिन अलग शब्द कहने में कठिनाई महसूस करेगा। इसे वह "अलग" भी कह सकता है।

— शब्दों के बारे में विचित्र प्रकार के अनुमान लगाते हैं जिनका कोई अर्थ नहीं निकलता है (जैसे "हटी के लिए "ह्यूजा" शब्द तथा "ट्रेनर के लिए "टर्नड")

— शब्दों को विपरीत क्रम से पढ़ता है जैसे "कल" को "लक" "सब" को "बस" आदि।

— वर्णों को गलत क्रम में रखता है जैसे प्लेट को लैफट और ऐक्ट को कैट (कट) पढ़ जाता है।

— शब्दों को छोटा बनाकर उसका उच्चारण करता है जैसे "सडेनली" को "सनली" तथा रिमेंबर को रेंबर।

— एक जैसे दिखने वाले शब्दों को गलत पढ़ता है जैसे हेल्प को डेल्ड, हाउस को हार्स।

— शब्दों को याद करने में दिक्कत महसूस करता है। वह सही वाक्य भी आसानी से नहीं बना सकता है।

— अंकों को गलत पढ़ता है, जैसे "6" की जगह" 9" पढ़ जाता है और 3 को 8। लिखने में अक्षरों के क्रम उलट देता है।

— जैसे "नकल" को नलक" बना देता है।

— 'प' की जगह 'य' तथा 'ब' को 'क' लिख जाता है।

— 6 को 9 की तरह बना देता है।

— बीच में अक्षर छोड़ जाता है जैसे "अमल" को "अलक" या शावक" का (शाक "लिख जाता है।

— अपनी तरफ से कभी-कभी अक्षर जोड़ देता है जैसे अंग्रेजी के स्कूल को इस्कूल तथा वस्तों को इस्वस्ता लिख जाता है।

— उच्चारण करने पर सही अक्षर नहीं लिख पाता है।

— जब किसी अक्षर को निकालने के लिए कहा जाता है तो वह इस प्रकार का कार्य करने में असमर्थ होता है।

— कहने पर वही अक्षर नहीं बता पाता है।

— अकादिमिक विषयों में दिक्कत महसूस करता है। कभी एक विषय में कमजोर होता है, कभी कई विषयों में, जो मिलकर एक विषय के रूप में पढ़ाए जाते हैं।

शैक्षिक दृष्टि से ऊपर जो परिभाषा दी गई है तथा जो वर्गीकरण किया गया है उससे एकीकृत शिक्षा की योजना और क्रियान्वयन से जुड़ी हुई कई समस्याएं स्पष्ट हो जाती है। इस जानकारी की मदद से अध्यापक बच्चों की साधारण कोटि की अपंगता या विकलांगता को पहचान सकता है।

मुख्य बातें

— अध्यापक को शैक्षिक परिभाषाओं का अनुसरण करना चाहिए जिसमें बच्चे ही एकीकृत शिक्षा के लिए उसकी काम करने की क्षमता विषयक संभावना पर विचार किया गया है।

— अध्यापक को इन तीनों पदों असमर्थता, विकलांगता एवं अक्षमता का अंतर समझना चाहिए जिससे बच्चे को शिक्षा के किस श्रेणी में रखा जाए जिससे कि उसकी योजना बनाई जा सके।

— आंशिक रूप से जो देख सकते हैं, उनका कक्षा में एकीकरण मुश्किल नहीं होता, बशर्ते की उनको छपे हुए बड़े अक्षरों वाली पाठ सामग्री उपलब्ध कराई जाए।

— इंद्रिय दोष युक्त बच्चों की स्वास्थ्य विषयक समस्याओं से ग्रसित बच्चों को अध्यापक की तरफ से विशेष देखभाल करने की आवश्यकता पड़ती है।

— हमारी शिक्षा व्यवस्था में पहले से ही ऐसे बच्चे मौजूद हैं जो मानसिक रूप से पिछड़े हैं किन्तु इस योग्य हैं कि उनको शिक्षा दी जा सके। अध्यापक पहले से ही उनसे एक ही विषय-वस्तु को बार-बार कहलाते या दुहरवाते हैं। उनके एकीकरण के लिए अतिरिक्त प्रयास की आवश्यकता नहीं है।

अध्याय-4

पाठ्यक्रम में बदलाव और शिक्षण की रणनीतियां

केन्द्र द्वारा प्रायोजित समेकित शिक्षा योजना में इस बात की परिकल्पना की गयी है कि विकलांग बच्चे भी उसी पाठ्यक्रम का अध्ययन करेंगे जिस पाठ्यक्रम को सामान्य स्कूलों में अध्ययन करने वाले बच्चे करते हैं। लेकिन उस पाठ्यक्रम में निर्धारित विषय वस्तु का कुछ अंश ऐसा होता है जिसको इंद्रिय बोध में असमर्थ अथवा मानसिक रूप से पिछड़े हुए बच्चे समझने में कठिनाई महसूस करते हैं। अतः पाठ्यक्रम में बदलाव की इसलिए आवश्यकता पड़ती है कि सामान्य स्कूलों में पढ़ने वाले, सीखने की दृष्टि से विकलांग बच्चे, वही अधिगम अनुभव प्राप्त करें जो सामान्य बच्चे प्राप्त करते हैं।

पाठ्यक्रम में परिवर्तन या बदलाव का स्वरूप क्या हो? यह इस बात पर निर्भर करेगा कि बच्चों में विकलांगता का स्वरूप और स्तर क्या है ? उदाहरण के लिए अस्थि दोष युक्त विकलांग बच्चों को सामान्य बच्चों का पाठ्यक्रम ही पढ़ाया जाएगा लेकिन उनके लिए भौतिक पर्यावरण में परिवर्तन की आवश्यकता होती है ताकि वे अच्छी तरह चल फिर सकें। आंशिक रूप से दृष्टिबाधित बच्चों को बड़े अक्षरों में मुद्रित पुस्तकों की आवश्यकता होती है जबकि बहरे और अंधे बच्चों को पहले से शैक्षिक गतिविधियों में तैयार करना होता है। इसके बाद ही उनको सामान्य बच्चों की कक्षा में सम्मिलित (एकीकृत) किया जा सकता है। जब जटिल अवधारणाओं को पढ़ाना हो, तब इनके पाठ्यक्रम में थोड़े बहुत बदलाव की भी आवश्यकता पड़ सकती है। प्रत्येक प्रकार के विकलांग बच्चों की शैक्षिक आवश्यकता के प्रति यदि अध्यापक जागरूक हैं तो ऐसी स्थिति में पाठ्यक्रम में थोड़ा परिवर्तन सुगम होने के साथ ही साथ सार्थक भी होता है। जो विकलांग बच्चे सामान्य बच्चों वाले स्कूलों में अध्ययन कर रहे हैं उनके पाठ्यक्रम में बदलाव के लिए निम्नांकित सिद्धान्तों को ध्यान में रखना चाहिए :

—पाठ्यक्रम में बदलाव से पाठ्यक्रम की मूल अवधारणा में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए क्योंकि उसमें फेरबदल का उद्देश्य सामान्य और विकलांग दोनों ही प्रकार के बच्चों को समान अधिगम अनुभव प्रदान करना होता है।

— अनुभव प्रदान करने के लिए पूरक गतिविधियों की योजना इस तरह बनाई जानी चाहिए कि नियमित कक्षा में जो कुछ पढ़ाया जा रहा हो उस अवधारणा का समग्र चित्र सामान्य कक्षा के सभी बच्चों को मिले एवं दोनों प्रकार के बच्चों के लिए बनाई गई शैक्षिक सामग्री का उद्देश्य समान होना चाहिए ।

— शिक्षण सामग्री में बदलाव इस तरह का नहीं होना चाहिए, जिससे कक्षा में पढ़ने वाले अधिकांश सामान्य बच्चों की पढ़ाई में बाधा उपस्थित हो । अध्यापक को अधिगम अनुभव के लिए सामग्री में इस प्रकार का बदलाव करना चाहिए कि इससे विकलांग तथा सामान्य बच्चों को समान रूप से प्रेरणा मिल सके ।

समेकित शिक्षा प्रणाली कक्षाओं में अध्ययन करने वाले विकलांग बच्चों की विशेष शैक्षिक जरूरतों की रोशनी में शैक्षिक सामग्री में बदलाव किया जाना चाहिए जिससे अधिकांश सामान्य छात्रों की कक्षा में रूचि बनी रहे और वार्तालाप में भाग ले सकें । बदलाव या सामान्य परिवर्तन की एक रणनीति यह भी हो सकती है कि प्रस्तावित शिक्षण की रूपरेखा पहले से तैयार कर ली जाए तथा यह जानना भी आवश्यक है, कि अधिगम के प्रमुख बिन्दुओं को परिवर्तित करने के परिणामस्वरूप उसके विभिन्न स्तरों पर उसका क्या स्वरूप हो सकता है ? उनकी किस प्रकार की जरूरत है? शैशिक सामग्री में बदलाव या फेरबदल की योजना, शिक्षण पद्धित में परिवर्तन की योजना, सहायक सामग्री की तैयारी तथा सामान्य कक्षा में चलाई जाने वाली सामूहिक गतिविधियों आदि की योजना बनाना, शिक्षा-अधिगम बिंदुओं के कतिपय नमूने हैं । इंद्रिय बोध की दृष्टि से बहुस्तरीय सामग्री के द्वारा उसी अधिगम अनुभव को कैसे बच्चों तक पहुंचाया जाए ? अध्यापक को इस प्रकार की भी योजना बनानी होती है ।

शिक्षण पद्धति और शिक्षण सामग्री में बदलाव की योजना समेकित शिक्षा प्रणाली में ऐसे तरीकों से बनाई जा सकती है, जो इस प्रकार है :

1 — शिक्षण सामग्री, पद्धति तथा नियमित शिक्षण में किसी भी प्रकार का परिवर्तन किए बिना समायोजन करना

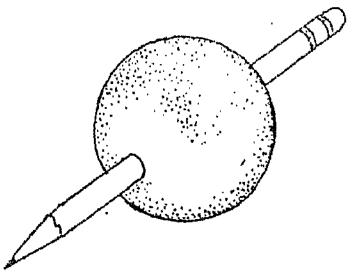
इस सेटिंग में भौतिक पर्यावरण में अध्यापक मामूली हेरफेर (बदलाव) करता है जिससे विकलांग बच्चे भी सामान्य बच्चों की तरह कक्षा में पढ़ाई जाने वाली गतिविधियों में भाग ले सकें । एक उदाहरण लें, कम सुनने वाले को, कक्षा की अगली पंक्ति में बैठने के लिए कहना जिससे उसे अध्यापक की बात सुनाई पड़ सके अथवा जिसे देखने में दिक्कत होती हो उस बच्चे को

आवर्धक युक्त लेंस वाला शीशा देना चाहिये ताकि सरलता से पढ़ सके। इसी प्रकार यदि अंधे बच्चे को ब्रेल लिपि की पुस्तक पढ़ने को दी जाती है तो उसका काम बहुत आसान हो जाता है या इससे उसका काम चल जाता है। जिस मेज-कुर्सी में समायोजन (ऐड्जस्टमेंट) की व्यवस्था होती है तो वहां विकलांग बच्चों के अनुकूल पर्यावरण बनाने में आसानी होती है। यदि मानसिक रूप से पिछड़े हुए बच्चे सामान्य बुद्धि वाले बच्चों की नियमित कक्षाओं में अध्ययन कर रहे हों तो सामान्य बच्चों द्वारा दिए गए उत्तरों की आवृति कराकर असामान्य बच्चों को ठीक बात सिखाई जा सकती है। इसी प्रकार सामान्य बच्चों की गतिविधियों में भागीदारी से अधिगम की दृष्टि से अशक्त बच्चों की विशेष समस्या का सामाधान खोजा जा सकता है और उसको भी दूर किया जा सकता है। उदाहरण लें, एक बच्चा (प) के स्थान पर (य) लिखता है तथा (सा) के स्थान पर (हा) बोलता है। इस स्थिति में अध्यापक सामान्य बच्चे से श्यामपट्ट पर इस प्रकार के शब्द लिखने को कह सकता है तथा अधिगम की दृष्टि से विकलांग बच्चे से इस शब्द की नकल करने के लिए कहा जा सकता हैं। इस तरह से इन बच्चों को काफी हद तक सुधारने के लिए संकेत दे सकते हैं अर्थात् बच्चे को उसकी गलती का परोक्ष रूप से अनुभव करा सकते हैं।

शिक्षण पद्धति और सामग्री का समायोजन : सहायक सामग्री की मदद से

इसमें सामान्य और विकलांग दोनों ही तरह के बच्चों के अधिगम संबंधी अनुभवों का उपयोग कक्षा में कठिन अवधारणाओं को स्पष्ट करने के लिए अध्यापकगण किया करते हैं। उदाहरण के तौर पर, यहां ठीक बच्चों की ध्वनियों को टेप करके अध्यापक उन बच्चों के उच्चारण दोष को सुधार सकते हैं जिन बच्चों में श्रवण संबंधी कोई विकार हो और शुद्ध उच्चारण करने में दिक्कत का सामना करते हों। ध्वनि की रेकार्डिंग न्यूनतम स्वरित युग्मों में होनी चाहिए जिससे कि श्रवण दोष वाले बच्चे भी पर्याप्त रूप से वाणी का प्रतिरूप विकसित कर सकें। अध्यापक इन ध्वनियों के आधार पर दिए गए बिम्बों से मेल खाती हुई सामग्री छात्रों को उपलब्ध करा सकता है। इस प्रकार अध्यापक बहरे बच्चों को वर्णमाला सीखने और सामान्य बच्चों को प्रत्येक ध्वनि का उच्चारण सीखने में मदद कर सकता है। इस तरह कक्षा में जो अवधारणाएं बताई जा रही हो, उसे स्पष्ट करने या समझने के लिए अंधे बच्चों को स्पर्शनीय सामग्री दी जानी चाहिए। उदाहरण लें, मान लीजिए, अध्यापक, पहाड़ों और चट्टानों के विषय में पढ़ा रहा है तो वह स्पर्शनीय सामग्री का उपयोग कर सकता है। यह सहायक सामग्री शेष सामान्य विद्यार्थियों के लिए भी उपयोगी होगी। इससे पहाड़ तथा चट्टान में अंतर समझने में उनको भी मदद मिलेगी। यद्यपि अस्थि विकार वाले विकलांग बच्चों को कक्षा में अमूर्त अवधारणाओं को समझाने के लिए किसी अतिरिक्त सहायक सामग्री की जरूरत पड़ती है। संभव है कि अगर शरीर के

ऊपरी हिस्से में कोई विकार है तो बच्चे को पर्याप्त रूप से आधारभूत ज्ञान प्राप्त करने में आरंभिक समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। अतः सहायक सामग्री की मदद से वह इनको सरलता से सीख सकता है जैसे यदि किसी बच्चे के दोनों हाथ ही न हों तो उसे लिखना सीखने में समस्या हो सकती है। ऐसी अवस्था में कृत्रिम अंगों को अपनाने तथा भौतिक चिकित्सा से अध्यापक, बच्चे की स्थिति पर नियन्त्रण करने में मदद कर सकता है। ऐसे बच्चे को अध्यापक मोटा कलम या मोटी पेंसिल दे सकता है जिसे बच्चा सुविधा पूर्वक पकड़ सके। इसी प्रकार अधिगम की दृष्टि से अशक्त तथा मानसिक रूप से पिछड़ा हुआ, लेकिन शिक्षा के योग्य बच्चे को अतिरिक्त अभ्यास पुस्तिका दी जाय। इससे बच्चे को विषय सीखने के लिए पुनरावृत्ति का अधिक अवसर मिलेगा।



चित्र नं० 1-पैंसिल, मोटे होल्डर के साथ

संसाधन शिक्षण के साथ शिक्षण सामग्री तथा शिक्षण पद्धति में बदलाव

अध्यापक को विकलांग बच्चे के अधिगम सम्बन्धी दिक्कतों की पहचान होनी चाहिए। यह पहचान विषयानुसार होनी चाहिए और उसी के अनुसार उपचार के लिए अभ्यासात्मक कदम भी उसे सुझाने चाहिए लेकिन इस प्रकार का अभ्यास संसाधन अध्यापक को कक्षा के बाहर आयोजित करना चाहिए। यह कार्य सामान्य काम के घंटों के दौरान विशेष प्रबन्ध के द्वारा किया जाना चाहिए। उदाहरण के लिए, ध्वनियों का अन्तर समझने की योग्यता प्रदान करने के लिए, अध्यापक कठिनाई वाले क्षेत्र पर अधिक अभ्यास के प्रश्न दे सकता है अर्थात यदि बच्चा भ, म, क ध्वनियों को सीखने में कठिनाई महसूस करता हो तो इस तरह की ध्वनियों वाले शब्दों के दो या तीन अभ्यास के लिए प्रश्न दिए जा सकते हैं। विषय की पहचान के बाद यह देखा जाए कि उसे कहां पर परेशानी हो रही है। संसाधन अध्यापक सुधारात्मक प्रश्न का अभ्यास दे सकता है। उसको इस प्रकार से प्रश्नाभ्यास बनाने चाहिए जिसमें हर स्तर पर अलग से ध्वनि का अभ्यास कराया जा

सकता है । अन्धे बच्चे की परेशानी को भी पहचाना जा सकता है । उदाहरण के लिए यदि अन्धा बच्चा ब्रेल लिपि को अंगुली के स्पर्श से ठीक से नहीं पढ़ पाता हो और उसकी अंगुलियों का संचालन दोषपूर्ण हो तो इस समस्या के समाधान के लिए नियमित अध्यापक को संसाधन अध्यापक की सहायता लेनी चाहिए । संसाधन अध्यापक ब्रेललिपि के दोषयुक्त पढने की आदत को समाप्त कर सकता है तथा संसाधन कक्षा में उसको नियमित प्रशिक्षण देकर उसके कार्य को सुधार सकता है । इसी प्रकार अध्यापक सभी प्रकार की विकलांगताओं से सम्बन्धित समस्यायुक्त क्षेत्रों की पहचान करेगा । अतः इस बात को उदाहरण के द्वारा हम विस्तार पूर्वक स्पष्ट करेंगे । उपर्युक्त निर्देशित सिद्धान्तों के आधार पर सामान्य स्कूलों में अध्ययन करने वाले विकलागों की आवश्यकतानुसार शिक्षण-सामग्री तथा शिक्षण-पद्धति में बदलाव के लिए शिक्षक को सामान्य कक्षा में प्रभावित करने वाले अधिगम कारकों तथा अधिगम प्रणालियों से संबंधित सूचनाओं की जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि अधिगम तथा शैक्षिक सामग्री में बदलाव दोनों ही काफी जटिल प्रकिया होती है, क्योंकि इसमें अधिगम से जुड़ी हुई लम्बी श्रृखला होती है । शिक्षण शैली एवं अधिगम परिवेश से जुड़े अनेक कारक इसमें महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं । यद्यपि सामान्य बच्चों की तरह अधिगम शैली में विकलांग बच्चा भी अन्य सामान्य बच्चों से भिन्न होता है, इसमें शैक्षिक कौशल प्राप्त करने की क्षमता होती है । विकलांग बच्चे की सीखने की प्रक्रिया में अन्तर होता है उदाहरण के रूप में तो श्रवण दोष वाले को चक्षु संकेतों वाले सहायक उपकरण की और नेत्रदोष वाले छात्र के लिए अधिक श्रवण उपकरणों की सर्वाधिक आवश्यकता होगी । अधिगम के लिहाज से क्षतिग्रस्त इद्रियों की पूर्ति के लिए अन्य प्रकार के विकलांग बच्चे विभिन्न प्रकार के सहायक उपकरणों का प्रयोग करते हैं । विकलांग और सामान्य बच्चे में यही अन्तर होता है कि सामान्य बच्चा स्वाभाविक प्रकिया से पर्यावरण की जानकारी प्राप्त करते हुए सीखना आरंभ करता है, इसके विपरीत विकलांग बच्चा सीमित पर्यावरण में सीखता है । जहां तक ऊंचा सुनने वाले बच्चे का प्रश्न है, जब से वह श्रवण दोष का शिकार हुआ है तभी से उसकी सुनने की क्रिया मंद हो गई है । इसके चलते बच्चे की भाषा तथा वाणी का विकास अवरुद्ध हो जाता है, यदि हम इन बातों में उसकी तुलना सामान्य बच्चे से करें तो यह बात स्पष्ट हो जाएगी कि इस बच्चे का पर्यावरण इस अर्थ में सीमित हो जाता है कि वह अपनी श्रवणेन्द्रियों का प्रयोग नहीं कर पाता है । इसके कारण उसका अधिगम अनुभव सीमित हो जाता है और उसकी यह क्षति इस प्रकार लगातार होती रहेगी जब तक उसकी इस विकलांगता के प्रति अध्यापक को जानकारी नहीं मिल जाती है । दृष्टि दोष से किसी वस्तु को पूरा देखने में समस्या होती है । इस बच्चे को हर वस्तु को संपूर्णरूप से देखने के लिए काफी संघर्ष करना पड़ता है इसके लिए वह अन्य इंन्द्रियों से काम लेता जिनमें मुख्य हैं स्पर्श इंद्रिय तथा श्रवण इंद्रिय । यदि हर कोटि की विकलांगता की जानकारी अध्यापक को हो जाती है और शिक्षण सामग्री तथा शिक्षण पद्धति में बदलाव के लिए आवश्यक मार्ग दर्शन प्राप्त हो जाता है जिससे इन बच्चों को आवश्यकतायें पूरी की जा सकें । इससे इन बच्चों को शैक्षिक स्तर पर अन्य बच्चों

के साथ एकीकृत करने में सहायता मिलती है ।

अपंगता को ध्यान में रखकर शिक्षण सामग्री और शिक्षण पद्धति में परिवर्तन के लिए जो पथप्रदर्शक के रूप में परामर्श दिये गये हैं वे इस प्रकार है ।

श्रवण विकार

केन्द्र द्वारा प्रायोजित एकीकृत शिक्षा योजना (संशोधित 1987) साधारण न्यून मात्रा में प्रभावित श्रवण दोष वाले बच्चों के एकीकरण पर अधिक जोर दिया गया है । पूर्व अकादमिक क्षमता में तैयारी के बाद अधिक गंभीर तथा भयंकर मामलों वाले बच्चों के एकीकरण की सलाह दी गई है। इसका यह अर्थ हुआ कि सामान्य या मामूली श्रवण विकार से ग्रस्त बच्चे या तो पहले से आपकी कक्षा में पढ़ रहे हैं, या फेल हो कर एक ही कक्षा में वर्षो से हैं या पढ़ाई बीच में छोड़ कर चले गये हैं । कहना यह होगा कि साधारण श्रवण विकार का पता लगाना बहुत कठिन होता है क्यों कि अन्य विकारों की तरह हम उसे देख नहीं पाते हैं । प्रारम्भिक कक्षाओं में दूसरे शारीरिक विकारों की तुलना में इसकी तरफ नियमित कक्षा के अध्यापक का ध्यान कम हो जाता है । अनुचित तरीके से कानों में एकदम नहीं पहुंचने से बच्चों के एक समूह को भाषा सीखने या स्मरण रखने में अधिक परेशानी होती है । अध्यापक को उनकी आधारभूत अधिगम की समस्याओं का ज्ञान होना चाहिए जिससे कि शिक्षण सामग्री को अधिक व्यवस्थित रूप में और सार्थक तरीके से परिवर्तन किया जा सके । यदि श्रवण विकार वाले बच्चों की पहचान अत्यंत आरभिक चरण में हो जाती है तो उन बच्चों के लिए भाषा सबंधी उपयुक्त शिक्षण सामग्री के विकास तथा उसकी योजना बनाने में मदद मिलती है । भंयकर तथा अधिक गंभीर रूप से विकार ग्रस्त सामग्री बनाने में बहुत गहन और औपचारिक योजना बनानी पड़ती है । यदि उनको पूर्व-अकादिमिक कौशल में प्रशिक्षित कर दिया जाता है तो उनका कक्षा में सामान्य बच्चों के साथ आसानी से एकीकरण हो सकता है ।

क्या अध्यापक के रुप में हम यह सोचते हैं कि ये बच्चे सामान्य अधिगम के प्रतिरूप को नहीं समझ पाते हैं । हां, लेकिन क्या यह भी सत्य नहीं है कि श्रवण दोषयुक्त छात्र भी पहले बच्चे हैं । क्योंकि सामान्य बच्चों की तरह ही उनको सभी अधिगम सोपानों से गुजरना होता है उदाहरण के लिए आरंभिक अवस्था में सामान्य बच्चे भी अमूर्त धारणाओं को नहीं समझ पाते हैं । बच्चे भी अमूर्त धारणाओं को समझने में कठिनाई का सामना करते हैं जीन प्याजे नामक मनोवैज्ञानिक का कहना है कि अच्छी तरह सुनने वाले भी अमूर्त अवधारणाओं को ग्रहण करने में समस्याओं का सामना करते हैं, विशेष कौशल सीखने की आरम्भिक अवधि में तो उनको कठिनाई अनुभव होती है, इसको वह कार्य के

पहले की अवस्था का नाम देता है। इस अवस्था में अवधारणा का समग्र चित्र समझने के लिए सुनने वाले तथा सुनने में असमर्थ दोनों प्रकार के बच्चों को अधिक मूर्त अनुभवों की आवश्यकता पड़ती है। लेकिन अमूर्त अवधारणा की रचना प्रक्रिया को समझने में श्रवण दोष वाले बच्चों को कुछ अधिक परेशानी झेलनी पड़ती है। ये बच्चे सामान्य बच्चों की तरह ही अवधारणा सीखने के लिए सभी सोपानों को पार करते हैं लेकिन उनको इन अवधारणाओं पर अधिकार प्राप्त करने के लिए अलग तरह के अधिगम अनुभव की जरूरत होती है। अध्यापक के रूप में सामान्य कोटि के श्रवणदोष युक्त बच्चे तथा गंभीर प्रकार के श्रवण दोष वाले बच्चे के अधिगम की समस्याओं से आप अवश्य परिचित होंगे। इस जानकारी के अतिरिक्त सहायक सामग्री उपलब्ध कराने में आपको मदद मिलेगी। जैसाकि पहले ही कहा गया है कि साधारण उपकरण या अतिरिक्त की सामग्री की आवश्यकता नहीं होती है इस प्रकार की सहायक सामग्री की आवश्यकता गंभीर किस्म के श्रवणदोषयुक्त विकलांग बच्चे की होती है। क्योंकि सामान्य कोटि के श्रवणदोष वाले बच्चे सुन सकते हैं तथा श्रवणेन्द्रियों के द्वारा प्राप्त होने वाली सूचना की कल्पना कर सकते हैं। इस जगह गंभीर रूप से श्रवणदोष ग्रस्त बच्चे वक्ता के ओष्ठ संचालन और दृश्य संकेतों पर अधिक निर्भर रहते हैं। सार्थक और प्रभावी ढंग से शिक्षण सामग्री की योजना बनाने के लिए अध्यापक को इन बच्चों के स्तर की आवश्यकताओं की पूर्व जानकारी होनी चाहिए। पाठ्य सामग्री की विषय वस्तु और शिक्षण पद्धति में इस तरह का समायोजन किया जाना चाहिए की इससे कक्षा के छात्रों के बहुमत के हितों पर कोई आँच न आने पाए, इसके विपरीत इससे उनका अधिगम अनुभव और सम्पन्न होना चाहिए।

बहुत सामान्य कोटि के श्रवण विकार वाले बच्चों का शेष कक्षा के साथ एकीकरण सीधे ही किया जा सकता है। उनको ठीक-ठीक बोलने की शैली को सीखने में समस्या होती है। आरंभिक अवस्था में उच्चारण तथा भाषा की दक्षता हासिल करने में कठिनाई होती है लेकिन ठीक-ठीक बोलने में यदि सही प्रशिक्षण दिया जाए तो उनका भाषा पर अधिकार करने और याद रखने की शक्ति सामान्य बच्चों जैसी ही होती है। अध्यापक को शिक्षण सामग्री की योजना इस तरह बनानी चाहिए कि उनकी आवज की गुरुता का सही-सही विकास हो सके। ध्वनि, लय अथवा वाणी की तीव्रता में मामूली सा परिवर्वन भी शब्द का भावार्थ बदल देता है। यहां तक कि गंभीर रूप से श्रवण विकार ग्रस्त बच्चे के लिए भी इन विशेषताओं का सीखना बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि उनको होठों का संचालन समझना पड़ता है जिसके लिए प्रत्येक शब्द के सही उच्चारण की समझ और प्रत्येक अभिव्यक्ति भंगिमा की जानकारी की जरूरत होती है।

पाठ्यक्रम में परिवर्तन के लिए मार्गदर्शन

श्रवण दोष वाले बच्चे को सामान्य कक्षा में पढ़ाने के लिए निम्नांकित बिन्दुओं के आधार पर अध्यापक को पाठ्यक्रम में फेरबदल करनी होगी वे इस प्रकार हैं :

— श्रवण शक्ति की कमी को पूरा करने के लिए अधिकाधिक दृश्य संकेतों या नेत्र संकेतों का प्रयोग किया जाना चाहिए। इन बच्चों को पर्याप्त ढंग से सुनाई नहीं देता है, इसलिए वे गलत भाषा सिखते हैं तथा उसके प्रयोग में भी त्रुटियां करते हैं। उनके सामने शब्दों को गलत ढंग से बोलने की समस्या होती है, इसके चलते वे शब्दों की वर्तनी भी सही तरीके से नहीं लिख पाते हैं। जिस तरह वे शब्दों को बोलते हैं वैसे ही लिखते भी हैं जैसे "टाइगर" शब्द का उच्चारण "टाइग्र" करेंगे और इसी तरह उसकी वर्तनी भी लिखते हैं, "क्लास" को "ग्लास" लिख सकते हैं।

इस प्रकार की अशुद्धिओं को ठीक करने के लिए दिए हुए वाक्य में प्रत्येक शब्द में प्रयुक्त ध्वनियों के उच्चारण के लिए अध्यापक को दृश्य संकेत देने की आवश्यकता होती। यदि एक संकेत से काम न चले तो कई संकेत देने होते हैं। इससे ठीक ढंग से बोलने में सहायता मिलती है। अध्यापक लिखने के लिए बच्चे को अतिरिक्त अभ्यास पुस्तिका दे सकता है। यह पुस्तिका बच्चों की आवश्यकता को ध्यान में रख कर दी जानी चाहिए। इनके अलावा अनेक प्रकार की सहायक सामग्री का उपयोग उच्चारण सुधारने के लिए किया जा सकता है। इससे श्रवण विकार वाले बच्चों को सही उच्चारण सीखने में मदद ही नहीं मिलेगी, बल्कि इससे उनको शुद्ध वर्तनी लिखने में भी सहायता मिलेगी। इस प्रकार के अभ्यास से सामान्य बच्चों को सही उच्चारण सीखने में सरलता होती है आइए नीचे दिए गए उदाहरण में हम देखें कि एकीकृत शिक्षा योजना में अन्य बच्चों को भी साथ लेकर अध्यापक श्रवणदोष युक्त बच्चों को किस प्रकार से सही उच्चारण सिखाता है।

कभी-कभी श्रवण विकार वाले बच्चे में एक ध्वनि को ही विकसित करने में अध्यापक को काफी समय और श्रम लगाना पड़ता है। इन दोषों के निपटाने के लिए अध्यापक चाहे तो विशेष अध्यापक की मदद ले सकता है। यदि अशुद्ध उच्चारण की समस्या अधिक गम्भीर नहीं है तो सामान्य बच्चों के साथ भागीदारी के द्वारा या व्यक्तिगत आधार पर कार्य कराकर अथवा विषयवस्तु में परिवर्तन के द्वारा इस दोष को दूर कर सकता है। इस काम को उस समय तक चलाया जा सकता है, जब तक समस्या का हल न हो जाए। हां, शिक्षण सामग्री तथा शिक्षण पद्धति में फेरबदल के समय जो एक साथ सावधानी बरतने की आवश्यकता है, वह यह कि कक्षा के बहुसंख्यक बच्चों

की रूचि को कायम रखना चाहिए । श्रवणदोष वाले बच्चे को किसी भी अवधारणा को समझने के लिए समग्र दृष्टिकोण की आवश्यकता होती । इसलिए ऐसे तथ्यों को ध्यान में रखना आवश्यक है, जो इस प्रकार है :—

— किसी पाठ्य विषयवस्तु के सभी चिह्नों और वस्तुओं की सूची पहले ही विद्यार्थियों को वितरित कर दी जानी चाहिए जिससे कि समन्वित कक्षा में पढ़ायी जाने वाली वस्तुओं की अवधारणाओं के अन्तर को वे देखें और विचार कर सकें । इससे कक्षा में अध्यापक के द्वारा पढ़ाई गई अवधारणा की स्पष्ट रूपरेखा ग्रहण करने में उनकी सहायता मिलती है । इसलिए चित्रों तथा वस्तुओं की सूची तैयार करनी आवश्यक है । इन चित्रों तथा वस्तुओं की सूची उनके पारस्परिक सम्बन्धों के अनुसार बनाई जानी चाहिए । श्रवण दोष वाले बच्चे को एक ही स्थान से उच्चारित होने वाली विभिन्न प्रकार की ध्वनियों में अन्तर स्पष्ट करने में कठिनाई होती है । इसलिए इस प्रकार का पाठ्यक्रम तैयार करना अच्छा होता है जिसमें कम से कम समान ध्वनि वाले शब्दों के युग्म हों । इससे शुद्ध ध्वनियों को सीखने में सहायता मिलती है ।

— अध्यापक को, गतिविधियों का स्थानापन्न इस तरह से नहीं ढूंढ़ना चाहिए जिसमें बच्चों को अधिगम अनुभव न प्राप्त हो सके । उदाहरणार्थ यदि कोई बच्चा किसी विशेष शब्द का उच्चारण नहीं कर सकता या किसी वाक्यांश को नहीं बोल सकता, लेकिन उसका अर्थ वह समझता है, एवं वह लिखित वाक्यों में इनका सही-सही प्रयोग भी कर सकता है । ऐसी स्थिति में इस शब्द या वाक्यांश का सही-सही उच्चारण करने के लिए बच्चे को बाध्य नहीं करना चाहिए । ऐसे मौखिक प्रश्न भी नहीं पूछने चाहिए जिनके उत्तर में उन शब्दों तथा वाक्याशों के प्रयोग की आवश्यकता पड़ती हो ।

— भाषा-कौशल को सिखाते समय समग्र पद्धति का उपयोग किया जाना चाहिए और विशेष समस्या वाले क्षेत्र के संदर्भ में ही सुधार किया जाना चाहिए । उदाहरणार्थ भाषा का अर्थ, ध्वनि तथा संरचना को अलग से नहीं सिखाया जाना चाहिए, बल्कि भाषा के किसी विशेष वाक्यांश के अवधारणा को समझने में समस्या उत्पन्न हो रही है तो ऐसी परिस्थिति में इसके उपचार को ध्यान में रखकर पाठ्य-योजना तैयार किया जाना चाहिए । इस पाठ की तैयारी में विशेष अध्यापक की भी सहायता ली जानी चाहिए ।

— प्रारम्भ में भाषा शिक्षण को बच्चे के अनुभव से जोड़ना चाहिए तथा सार्थक तरीके से इसकी योजना बनाई जानी चाहिए । क्योंकि श्रवण दोष युक्त बच्चा शब्द या वाक्यांश का अर्थ उस समय तक नहीं समझ पाता, जब तक कि उसको किसी ठोस वस्तु या परिस्थिति से जोड़ा न जाए ।

— कठिन वाक्यांशों तथा संवेगात्मक अवधारणाओं को सिखाने के लिए अध्यापक को कक्षा में क्रियात्मक परिस्थिति निर्मित करनी चाहिए । प्रसन्नता, नाराजगी, चिल्लाना एवं रोना जैसी अभिव्यक्ति को अध्यापक नाटकीय स्थिति में ढ़ाल कर पढ़ा सकता है।



चित्र नं 15क-प्रसन्नता से उछलता हुआ बच्चा



15ख-नाराज बच्चा

— अमूर्त अवधारणाओं को सिखाने के लिए अध्यापक दृश्य एवं श्रव्य जैसे सहायक उपकरण का प्रयोग कर सकता है ।

— भूमिका, अभिनय तथा नाटकीकरण से अमूर्त अवधारणाओं को समझने में सहायता मिलती है ।

— एकीकृत शिक्षा योजना की कक्षा में श्रवणदोष युक्त बच्चों की मौखिक भागीदारी के लिए लघु प्रश्न पूछने की पद्धति का अनुसरण किया जाना चाहिए ।



15ग-चिल्लाना



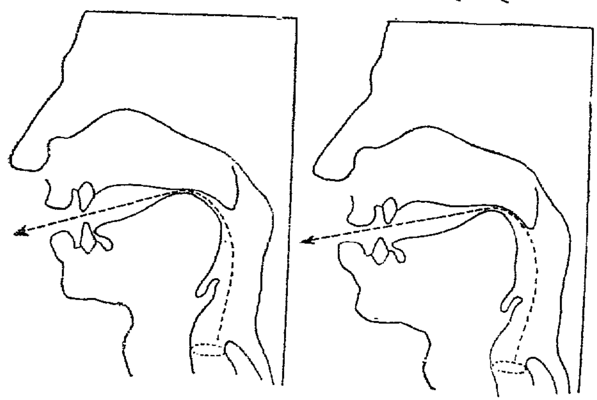
15घ-रोना

— प्राइमरी कक्षा के स्तर पर कविता लययुक्त वाचन के अनुसार करना चाहिए क्योंकि बालक उसे आनन्द के साथ अध्ययन करता है। कविता में प्रयुक्त उपमाओं के कारण उपयुक्त शब्दार्थ को याद करते समय बालक को भ्रमित होने की सम्भावना रहती है।

— शुद्ध लिखने और पढ़ने की क्षमता को विकसित करने के लिए श्रवणदोष युक्त बच्चे को पर्याप्त मात्रा में सहायक प्रश्नाभ्यासों की आवश्यकता होती है।

नमूना : **1** एकीकृत शिक्षा योजना में श्रवणदोषयुक्त बच्चों को शुद्ध उच्चारण सिखाना

शिक्षण बिंदु	शिक्षक का व्यवहार	छात्र का व्यवहार	परिवर्तन/फेरबदल
एकीकृत शिक्षा योजना की कक्षा में श्रवण दोषयुक्त बच्चों को 'ग' ध्वनि सिखाना ।	अध्यापिका बच्चों को कार्ड देगी, जिस पर 'ग' लिखा होगा ।		1 ग
	कार्ड पर लिखे हुए अक्षर को पढ़ने के लिए अध्यापिका कहेगी ।	छात्र कहते हैं कि यह अक्षर 'ग' है लेकिन श्रवण दोष वाले बच्चे इसका उच्चारण (ग) के स्थान पर (क) कर सकते हैं ।	2 अध्यापिका 'ग' तथा 'क' ध्वनि का उच्चारण करते हुए पेशी संचालन और चेहरे की अभिव्यक्ति पर ध्यान देने के लिए छात्रों से कहती है ।



ग क

शिक्षण बिंदु	अध्यापक का व्यवहार	छात्र का व्यवहार	परिवर्तन
 चित्र नं० 16- अध्यापिका सूची में आये हुए शब्दों को समझा रही है	करने के लिए कहती है जिसमे श्रवणदोष वाले बच्चे उसके चेहरे के हावभाव को ध्यान मे देख सके जब वह 'क' और 'ग' की ध्वनियों का उच्चारण कर रही होती है ।		
	अध्यापिका शब्दों की ऐसी सूची पेश करती है जिसमें 'ग' की स्थिति आरम्भ में, मध्य में और अंत में होती है ।	छात्र लिखते हैं ।	**गेम टाइगर टैग** **ग्लास जैगरी जग**
	अध्यापिका सूची में दिए गए शब्दों का प्रयोग करते हुए वाक्य बनाने के लिए छात्रों से कहती है ।		अध्यापिका सामान्य छात्रों एवं श्रवणदोष वाले छात्रों के उत्तरों को श्यामपट्ट पर लिखती है ।
			जिस शब्दावली का प्रयोग हुआ है उस वस्तु/स्थिति को स्पष्ट करने के लिए अध्यापिका मानचित्र, स्लाइड्स आदि का इस्तेमाल कर सकती है ।

इस प्रकार एकीकृत शिक्षा योजना की कक्षा में अध्यापकिा इस तरह की कठिन ध्वनियों का शुद्ध उच्चारण श्रवणदोष वाले बच्चों को सिखा सकती है ।

दृष्टि दोष युक्त बच्चों के लिए पाठ्य सामग्री में परिवर्तन की आवश्यकता

कम देखने वाले तथा अल्पदृष्टि वाले बच्चों की कक्षा में एकीकरण के लिए शिक्षण सामग्री तथा शिक्षण पद्धति में बहुत अधिक परिवर्तन की आवश्यकता होती है। अल्प दृष्टि युक्त बच्चों का एकीकरण दृष्टिहीन बच्चों की तुलना में अधिक कठिन है क्योंकि कम दृष्टि वाले बच्चों को बड़े अक्षरों वाली पाठ्य सामग्री, आवर्धक शीशा तथा विशेष प्रकार के फर्नीचर की आवश्यकता पड़ती है।

कक्षा में दृष्टिहीन बालकों के एकीकरण के लिए ब्रेल लिपि और गिनती सिखाने के लिए चौखटे (गिनतारा) के प्रयोग हेतु सीखने की आवश्यकता होती है। नियमित कक्षा में पढ़ने वाले बच्चे की आवश्यकता के अनुसार अध्यापक को शिक्षण सामग्री और शिक्षण पद्धति में परिवर्तन करने की आवश्यकता पड़ती है। यद्यपि सीखने की दृष्टि से कम देखने या न देखने वाले बच्चे की क्षमता सामान्य बच्चों जैसी ही होती है, सिर्फ अन्तर इतना होता है कि वह बच्चा ठीक से देख नहीं पाता या पूर्णतया नहीं देख सकता है। उदाहरण के लिए सामान्य बच्चा जन्मकाल से अपने समीपवर्ती विषय-वस्तु को आंखों की सहायता से जानना आरम्भ कर देता है। इसके अतिरिक्त



चित्र नं० 16–अल्पदृष्टि वाला बच्चा पढ़ने के अतिरिक्त सुनने में रुचि लेता है

दृष्टि दोष युक्त बच्चा श्रवणेन्द्रियों तथा अन्य इन्द्रियों की सहायता से अपने पर्यावरण का ज्ञान प्राप्त करना आरम्भ करता है। किसी भी विषय-वस्तु को सीखने के लिए दृष्टि की एक बहुत बड़ी भूमिका होती है क्योंकि इससे सार्वभौमिक स्तर पर संकल्पनात्मक बोध प्राप्त होता है।

आकार-प्रकार का ज्ञान पाने में रंगबोध, भार तथा संवेगात्मक अनुभव को प्राप्त करने में कम दृष्टि वाले बच्चों की तुलना में, दृष्टिहीन बच्चों को बहुत अधिक कठिनाई होती है क्योंकि इनमें से अधिकांश अवधारणाओं का आधार दृष्टि है। इसलिए अध्यापक को अधिगम अनुभव छोटी इकाइयों के द्वारा प्रदान करना होता है एवं अध्यापक के लिए यह भी आवश्यक है कि वह चरणबद्ध विधि (क्रमबद्ध) से अवधारणा को सिखाने का प्रयास करें। उदाहरण के लिए इस श्रेणी के बच्चे को "सुन्दर पुष्प" की आवधारणा सिखाने के लिये अध्यापक पुष्प की इन सुन्दरता की विशेषताओं जैसे उसकी 'सुगन्ध, 'ताजगी, गोलाई एवं मोटाई आदि को लेगा जिनको ये बच्चे महसूस कर सकें।

पाठ्यक्रम में परिवर्तन के लिए मार्ग दर्शन

मार्गदर्शन के संदर्भ में जिन तथ्यों का अग्रपृष्ठों पर उल्लेख किया गया है, उससे एकीकृत शिक्षा योजना की कक्षा में दृष्टिदोष युक्त बच्चों के लिए शिक्षण सामग्री में परिवर्तन करने के लिए सामान्य कक्षा के अध्यापक को सहायता मिलेगी :

— दृष्टि की न्यूनता को पूर्ण करने के लिए अधिकाधिक श्रव्य तथा स्पर्श सामग्री उपलब्ध कराई जानी चाहिए।

— कक्षा में किसी अवधारणा को स्पष्ट करते समय अधिक शाब्दिक एवं मौखिक संकेतों का उपयोग करना चाहिए।

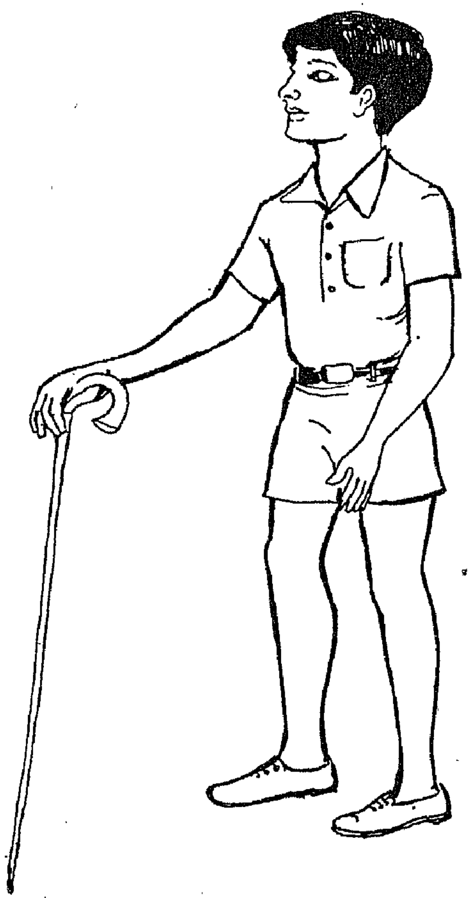
— अवधारणा का समग्र अनुभव प्रदान करने के लिए बच्चों को तीन आयाम वाली शिक्षण सहायता सामग्री उपलब्ध कराई जानी चाहिए।

— कक्षा का प्रबन्ध इस प्रकार का होना चाहिए कि अधिगम के लिए जो सहायक सामग्री बच्चे को दी गई है, उसका वह पर्याप्त मात्रा में सदुपयोग कर सके।

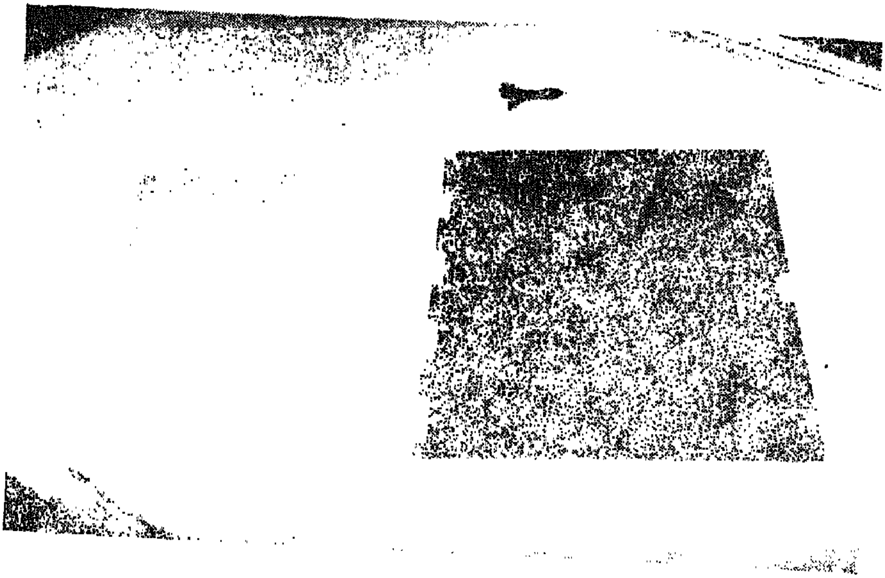
— अवधारणा की विशेष आवश्यक विशेषताओं का निर्धारण बच्चे की सीमाओं को ध्यान में रखकर किया जाना चाहिए।

— बच्चे को संपूर्ण अधिगम अनुभव प्रदान करने के लिए बहु-इन्द्रिय उपागम अपनाना

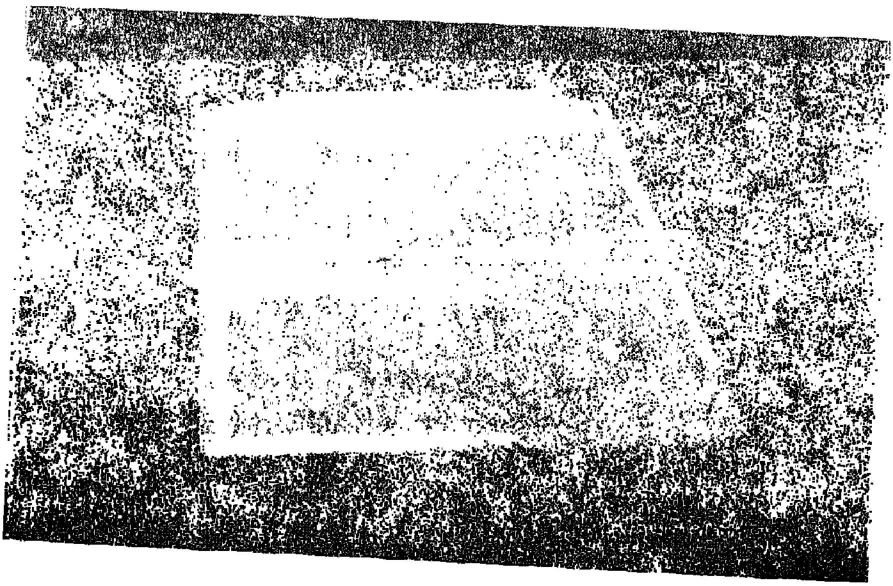
चाहिए। इन बच्चों के लिए क्षतिपूर्ति करने वाली सहायक शिक्षण सामग्री जैसे छड़ी का इस्तेमाल चलने फिरने के लिए, स्लेट एवं स्टाइलस ब्रेल को लिखना एवं पढ़ना सीखने के लिए, अबेकस (गिनतारा) गणित सम्बन्धित अवधारणा को सीखने के लिए और ब्रेलर का इस्तेमाल सामान्य कक्षा के शैक्षिक गतिविधियों के साथ चलने के लिए किया जाना चाहिए क्योंकि ब्रेल लिपी लिखने में काफी समय लेती है। नीचे दिये गये चित्रों में इन उपकरणों का विवरण है :



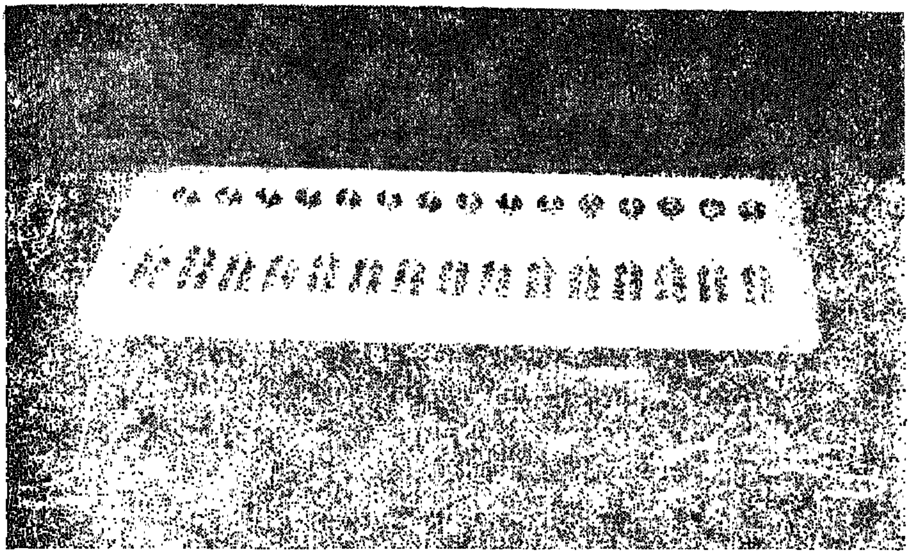
चित्र नं० 17क-छड़ी की सहायता से स्वतंत्र हूं



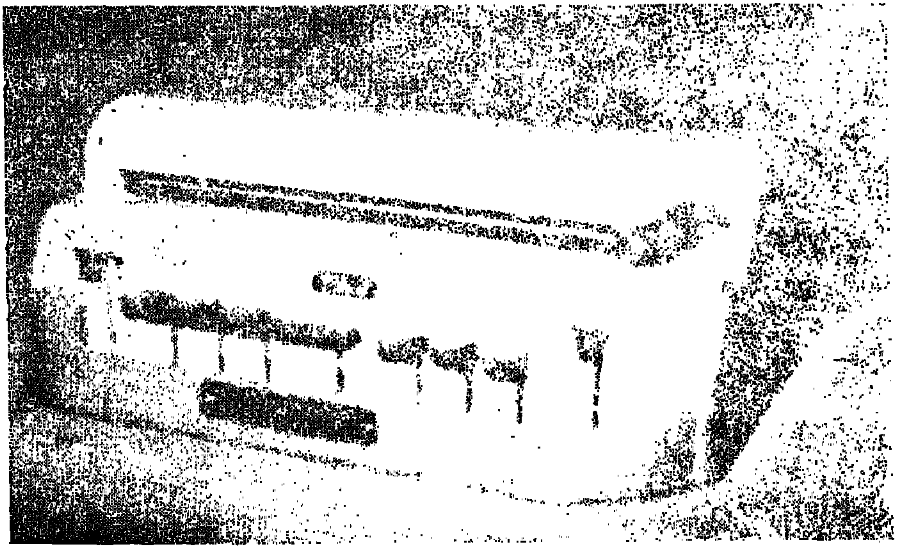
17ख-स्लेट और स्टाइलैस (प्लास्टिक)



17ग-स्लेट और स्टाइलैस



17घ-अबेक्स (गिनतारा)



17ङ-ब्रैलर

— शिक्षण सामग्री में परिवर्तन, मौखिक निर्देश के रूप में किया जाना चाहिए, जिसमें अतिरिक्त शिक्षण अधिगम के लिए सहायक सामग्री उपलब्ध कराई गई हो ।

— अध्यापक को मौखिक व्याख्याओं का उपयोग अधिक सार्थक और प्रभावी तरीके से करना चाहिए जिससे कि सीखने से सम्बन्धित समस्याओं को कम किया जा सके । इसी प्रकार सहायक सामग्री या उपकरण के प्रयोग से कक्षा के अन्य छात्रों के कार्य में बाधा उत्पन्न नहीं होनी चाहिए । जैसे टेपरिकार्डर के प्रयोग से अन्य छात्रों की पढ़ाई में बाधा नहीं पड़नी चाहिए ।

— अध्यापक को इस प्रकार के निर्देशों से बचना चाहिए, जिसमें दृष्टि की जरूरत न पड़ती है, जैसे देखो, ध्यान दो आदि ।

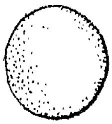
— कक्षा में कम दिखाई देने वाले छात्रों तथा दृष्टिहीन छात्रों के सम्मुख किसी पाठ को ले जाने से पहले कक्षा अध्यापक को विशेष अध्यापक की सहायता से अतिरिक्त सहायक सामग्री, जैसे स्पर्श सामग्री, ब्रेल लिपि तथा मोटे छापे वाले अक्षरों में तैयार करा लेना चाहिए ।



चित्र नं० 18-सामान्य बच्चा स्पर्श सामग्री बना रहा है

आगे दिए गए नमुने में बताया गया है कि एकीकृत शिक्षा की कक्षा में किस प्रकार की दृष्टिदोष युक्त बच्चे को विज्ञान पढ़ाने में अध्यापक श्रव्य और स्पर्श जैसी सहायक सामग्री का उपयोग करेगा :

नमुना—2 एकीकृत शिक्षा में दृष्टि दोष युक्त बच्चों को विज्ञान पढ़ाना

शिक्षण बिंदु	अध्यापक का व्यवहार	छात्र का व्यवहार	पाठ में परिवर्तन
कम भार और अधिक भार की अवधारणा	अध्यापक लोहे तथा रूई के गेंद, बच्चों को देगा जिससे कि वे अन्तर को महसूस कर सकें।	छात्र अपने हाथ में गेंद पकड़ेंगे।	1 ब्रेल लिपि में रूई तथा लोहा शब्द लिखकर गेंद पर चिपका दिया जायेगा।
	अध्यापक प्रश्न करता है कि कौन सी गेंद भारी है ?	छात्र कहते हैं कि लोहे की गेंद बहुत भारी है	2 लोहे की गेंद सब छात्रों को बांट दी जाती है।
चित्र नं० 19क लोहे की गेंद	दृष्टि दोष वाले बच्चों को अध्यापक रूई तथा लोहे के गेंद देगा	दृष्टि दोष युक्त बच्चा दोनों के भारों की तुलना करेगा।	3 हां, लोहे की गेंद बहुत भारी है।
	अध्यापक कहता है कि चलो, पता लगाएं कि कौन सी गेंद भारी है।	राजू (विकलांग) तौलता है।	4 सामान्य बच्चे भी तौलते हैं।
चित्र नं० 19ख रुई की गेंद	अध्यापक तौलने के लिए तुला लेता है।	राजू (विकलांग) लोहे की गेंदें तौलने के लिए कक्षा के सामने आता है	5 अध्यापक राजू से तथा अन्य छात्रों से भार के संदर्भ में बताने के लिए कहता है।

शिक्षण बिंदु	अध्यापक का व्यवहार	छात्र का व्यवहार	परिवर्तन
			6
	तुला के दोनों पलड़ों को स्पर्श करने में अध्यापक राजू की सहायता करता है।	राजू बताता है कि तुला का एक पलड़ा नीचे की ओर जा रहा है।	अध्यापक तौलने के लिए स्पर्श चिह्न का प्रयोग करता है।
			7
	अध्यापक तुला के दूसरे पलड़े में बाट रखने के लिए कहता है।	राजू 200 ग्राम का बाट तुला के दूसरे पलड़े में रखता है।	अध्यापक तौलने के लिए स्पर्श चिह्न को बाट पर लगवाता है। (सामान्य बच्चों से)
			8
	अध्यापक सवाल करता है कि अब तुमको कैसा लगता है ?	राजू कहता है कि नीचे वाला तुला का पलड़ा ऊपर उठ रहा है।	सामान्य छात्र तुला के पलड़े को छूने में राजू की सहायता करते हैं।
			9
	अध्यापक सामान्य बच्चे से पूछता है कि राजू क्या कर रहा है ?	वह लोहे की गेंद को तौल रहा है और अब दोनों पलड़े बराबर हैं।	राजू बाट को छूता है तथा उस पर लिखी गयी संख्या को बताता है।
			10
	हां, अब लोहे की गेंद और भार के बीच संतुलन है। इसका अर्थ यह है कि गेंद का भार 200 ग्राम है।	राजू संख्या पढ़ता है और 200 ग्राम बताता है और यह भी बताता है कि दोनों पलड़ों का धरातल समान है।	अध्यापक राजू से अपने दोनों हाथ पलड़ों के नीचे रखने को कहता है तथा उनके धरातल का पता लगाने को कहता है।

शिक्षण बिंदु	अध्यापक का व्यवहार	छात्र का व्यवहार	परिवर्तन
	राजू ! अब तुम आओ और रूई की गेंद तौलो । अध्यापक अन्य छात्रों से कहता है देखो कि राजू क्या कर रहा है ?	राजू रूई की गेंद को तौलता है । वह रूई की गेंद तौलने के लिए 50 ग्रा. का बाट रखता है ।	11 अध्यापक सामान्य बच्चों से अलग-अलग दोनों गेंदों को तौलने के लिए कहता है ।
		राजू बाट पर लिखी संख्या को छूकर पढ़ता है ।	12 अध्यापक सामान्य छात्र से स्पर्श के लिए अंक को बाट पर चिपकाने के लिए कहता है ।
	अध्यापक राजू और अन्य छात्रों से रूई की गेंद का भार पूछता है ।	सभी बताते हैं कि इसका भार 50 ग्राम है ।	13 लोहे की गेंद और रूई की गेंद अंधे बच्चों के हाथों में दी जाती है जिससे कि वे दोनों में अन्तर को महसूस कर सकें ।
	अध्यापक स्पष्ट करता है की रूई की गेंद 50 ग्रा. की तथा लोहे की गेंद 200 ग्रा. की है । रूई की गेंद लोहे की गेंद से बड़ी दिखती है । क्या आप बता सकते हैं किस गेंद का भार अधिक है ?	लोहे की गेंद का भार अधिक है, क्योंकि इसका भार 200 ग्रा. है ।	14 दोनों बाट को सब बच्चों को दे दिये जाते हैं ।
	हां, लोहे की गेंद का भार रूई की गेंद के भार से अधिक है।		

इस स्थिति की जानकारी को अध्यापक बार-बार मौखिक रूप से देता है । इससे दृष्टिहीन वाले बच्चों के लिए इस अवधारणा को समझने में सरलता होती है । जैसा की ऊपर के नमूने मे स्पष्ट है कि ज्यादा से ज्यादा श्रवण तथा स्पर्श अनुभव प्रदान करने के लिए सामान्य विद्यार्थियों की भागीदारी का उपयोग किया जा सकता है ।

मानसिक रुप से पिछड़े हुए बालकों के लिए पाठ्य सामग्री में परिवर्तन

हम में से हर आदमी जानता है कि, शिक्षा के योग्य लेकिन मानसिक रूप से पिछड़े हुए तथा अधिगम की दृष्टि से साधारण रूप से विकलांग बच्चे हमारी दैनिक क्रिया कलापों की कक्षाओं में पढ़ रहे हैं । अध्यापक उनकी आवश्यकताओं को समझे बिना ही व्यर्थ का प्रयास करते रहे हैं । समाज का सदस्य होने के कारण अध्यापक इस बात के प्रति सचेत हो सकता है कि विशेषरूप से ग्रामीण क्षेत्रों में सामाजिक अंधविश्वासों के कारण मानसिक रूप से पिछड़े हुए बच्चों की ओर ध्यान ही नहीं दिया जाता है जैसे कुछ लोग इसको देवी देवताओं के प्रकोप का फल मानते हैं । इस तरह के अंधविश्वासों से छुटकारा पाने एवं समस्या की जल्दी पहचान में अध्यापक उनकी मदद कर सकता है तथा इस प्रकार के बच्चों को आरंभ में ही शिक्षित किए जाने की कोशिश की जा सकती है । जो बच्चे पहले से ही औपचारिक स्कूलों में पढ़ रहे हैं, अध्यापक को उनकी सीमाओं से परिचित होना चाहिए तथा आवश्यकतानुसार उनकी शिक्षण सामग्री में इस तरह का परिवर्तन किया जाना चाहिए कि नियमित कक्षा में अध्ययन करने वाले बहुसंख्यक बच्चों की पढ़ाई में इन बच्चों के कारण कोई समस्या न उत्पन्न हो ।

कभी-कभी अध्यापक सोचते हैं कि शिक्षा के योग्य मानसिक रूप से पिछड़े हुए छात्रों का कक्षा में एकीकरण का अर्थ उनके ऊपर अतिरिक्त दायित्व का बोझ डालना है क्योंकि उनका शैक्षिक निष्पादन बहुत कम होता है उनके लिए अधिक आवृत्ति की आवश्यकता होती है और प्रत्येक दृष्टि से उनका विकास रुक-रुक कर विलंब से होता है । अपनी न्यून स्मरण शक्ति तथा असावधानी पूर्वक व्यवहार के चलते उनमें थकान के लक्षण प्राय: दृष्टिगत होते हैं और संभव है कि सभी तरह की गतिविधियों से वे अपने को अलग रखें जिसके कारण समुचित शिक्षा की कक्षा में अध्यापक के लिए उनका व्यवहार नियन्त्रण से बाहर हो जाए । क्या अध्यापक यह सोचते हैं कि इन बच्चों को शैक्षिक सुविधाओं से वंचित रखकर वे इस समस्या से मुक्ति पा सकते हैं ? यह जानकर हैरानी होगी कि इनमें से ज्यादा बच्चे तो हमारी सामान्य कक्षाओं में पहले से ही पढ़ रहे हैं । वे बच्चे सामान्य बच्चों की तरह ही है परन्तु उनकी मानसिक क्षमता में अंतर है, सामाजिक समायोजना । अधिगम के ढंग और सामाजिक परिपक्वता के स्तर में भेद है लेकिन पिछड़ी मानसिक क्षमता के चलते शैक्षिक सामग्री में उन्हें अधिक आवृत्ति की आवश्यकता पड़ती



चित्र नं० 20-सीखे हुए पाठ को पढ़कर समझने में कठिनाई

है तथा उनका समाजीकरण बहुत ही धीमी गति से होता है। इसी प्रकार अधिगम संबंधी दोष वाले बच्चे भी हमारी नियमित कक्षाओं में मौजूद होते हैं। और हम लोग कम से कम प्रारंभिक अवस्था में उनकी पहचान नहीं कर पाते हैं। शैक्षिक रूप से मानसिक पिछड़ेपन वाले बच्चे तथा अधिगम की दृष्टि से अशक्त बच्चे में यह अंतर होता है कि मानसिक रूप से पिछड़ा हुआ बच्चा जीवन के हर क्षेत्र में कठिनाइयों का सामना करता है, जबकि अधिगम की दृष्टि से पिछड़ा हुआ बच्चा किसी एक विषय में पिछड़ा होता है परन्तु जीवन के अन्य क्षेत्रों में वह सामान्य होता है। इसलिए इन दोनों के लिए शिक्षण सामग्री में परिवर्तन करने के पीछे जो सिद्धांत काम करते हैं, वे दोनों के लिए एक समान नहीं होंगे क्योंकि एक के लिए विशेष विषय में सुधार को ध्यान में रखकर पाठ में परिवर्तन करना होगा जबकि मानसिक रूप से पिछड़े हुए बच्चे को सिखाने के लिए प्रत्येक विषय में उपचारात्मक फेरबदल करने होंगे। शैक्षिक दृष्टि से मानसिक रूप से पिछड़े हुए बच्चों की शिक्षण समाग्री में परिवर्तन के लिए निर्देशक नियम नीचे दिए गए हैं :

पाठ्यक्रम में परिवर्तन के लिए मार्गदर्शन

इस प्रकार के बच्चों के लिए शिक्षा की योजना इतनी लचीली होनी चाहिए कि खेल तथा आराम के बीच में संतुलन कायम रखा जा सके क्योंकि मानसिक रूप से पिछड़े हुए बच्चों के लिए काफी आराम करने की आवश्यकता होती है, खासतौर पर प्राथमिक कक्षाओं में, क्योंकि उनकी अवधान शक्ति और स्मरण शक्ति दोनों ही बहुत कमजोर होते हैं :

— इनकी अधिगम गतिविधियों का आयोजन खेल, शारीरिक गतिविधियों और संगीत के माध्यम से किया जाना चाहिए । इस प्रक्रिया के द्वारा उनके मस्तिष्क पर स्थाई प्रभाव पड़ता है ।

— आधारभूत तथ्य सिखाने के लिए अध्यापक को विकास क्रम का ठीक ढंग से अनुसरण किया जाना चाहिए । ये बच्चे आधारभूत ज्ञान अर्जित करने में बहुत अधिक समय लेते हैं । सामान्य बच्चों की तरह वे दो बातें एक समय में नहीं सीख सकते हैं जैसे 1 से 5 तक की संख्या सीखना । बच्चों को 1 से 5 तक की संख्या सिखाने के लिए मौखिक अभ्यास की जरूरत हो सकती है, दी गई संख्याओं के साथ संख्याओं का मिलान करना एवं दिए गए चित्रों के साथ संख्याओं का मिलान करना आदि । 1 से 5 तक की संख्या लिखना सीखने के लिए भी काफी अभ्यास की आवश्यकता पड़ सकती है ।

— संज्ञानात्मक योग्यता के विकास के संदर्भ में तथा पेशियों के बीच समन्वय स्थापित करने की दृष्टि से उनकी शिक्षण सामग्री और शिक्षण पद्धति में परिवर्तन एवं अनुकूलन करने की आवश्यकता पड़ सकती है ।

— ऐसी गतिविधियां जिनमें हाथों और नेत्रों के संचालन के मध्य तालमेल की आवश्यकता होती है ।

— ऐसी गतिविधियां जो स्मरण शक्ति के विकास में सहायक होती है ।

— ऐसी गतिविधियां जो ध्वनियों में भेद की क्षमता के विकास में सहायता करती हों ।

— ऐसी गतिविधियां जो भाषा-क्षमता को बढ़ाती हों, जैसे साधारण तथा संयुक्त वाक्य को पूरा करना, वाक्यांश पढ़ने-लिखने की दक्षता को बढ़ाना और ऐसी गतिविधियां जो बच्चे के इंद्रिय बोध के विकास में सहायक हों ।

— समन्वित शिक्षा में अध्यापक का दायित्व यह होता है कि वह बच्चों को अपनी रूचि के अनुसार गतिविधि को चयन करने के लिए प्रोत्साहित करता हो । दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि किसी विशेष कौशल को सिखाने के लिए बच्चे द्वारा चुनी गई परिस्थिति का शिक्षक को लाभ उठाना चाहिए ।

— किसी संकल्पना को समुचित विधि से सीखने के लिए, अध्यापकों को सभी आवश्यक सहायक उपकरण और सहायक शिक्षण सामग्री, बच्चे को उपलब्ध करानी चाहिए।

— कक्षा का वातावरण पूर्णरूपेण सौहार्दयुक्त और अनुकूल होना चाहिए जिससे कि बच्चे की क्षमता का अधिकतम विकास हो सके।

— सामाजिक रूप से अन्य व्यवहारों को सीखने में अध्यापक को बच्चों की सहायता करनी चाहिए। समुचित शिक्षा के निर्धारण में मानसिक रूप से पिछड़े हुए बच्चों के शिक्षण सामग्री में परिवर्तन करने के उद्देश्य से एवं अंर्तदृष्टि को विकसित करने के लिए उपयुक्त प्रतिरूप लाभप्रद हो सकता है।

नमूना-3 वाक्य रचना के माध्यम से मानसिक रूप से पिछड़े हुए बच्चों को एक वचन तथा बहु वचन की अवधारणा को सिखाना

शिक्षण बिंदु	अध्यापक का व्यवहार	छात्र का व्यवहार	परिवर्तन
सामान्य वाक्य रचना के माध्यम से एक वचन और बहुवचन की अवधारणा को सिखाना।	अध्यापिका कुछ चित्र दिखाकर छात्रों से प्रश्न करती है कि यह क्या है ?	छात्र उस चित्र का नाम बताता है	चार्ट 1 अ — पुस्तक, कलम, पेंसिल ब — पुस्तकें, कलमें, पेंसिलें
	अध्यापिका पूछती है कि चार्ट के 'अ' भाग में तथा चार्ट के 'ब' भाग में दिए गए चित्रों में क्या अंतर है ?	अ में एक पुस्तक, एक कलम तथा एक पेंसिल का चित्र है ब में पुस्तकें, पैंसिलों और कलमों के चित्र बने हैं।	



चित्र नं० 21अ एक पुस्तक



21ब एक पैंसिल



21स एक कलम

अध्यापिका पुस्तकों, पैंसिलों एवं कलमों की तस्वीर दिखाती है।



21द पुस्तकें



21य पैंसिलें



21ल कलमें

2

अध्यापिका उनसे साधारण वाक्यों में 'एक पुस्तक' तथा 'पुस्तकें' शब्दों का प्रयोग करने के लिए कहती है।

सामान्य विद्यार्थी आसानी से वाक्य बना लेते हैं किन्तु मानसिक रूप से पिछड़े बच्चे पुस्तक और पुस्तकें शब्दों का वाक्यों में प्रयोग करने में कठिनाई महसूस करते हैं।

अध्यापिका बालकों के द्वारा दिये गये उत्तरों को श्यामपट्ट पर लिखती है।

शिक्षण बिंदु	अध्यापक का व्यवहार	छात्र का व्यवहार	परिवर्तन
	मानसिक अवरूद्ध के लिए अध्यापिका मोडल वाक्य बनाकर बच्चों को देकर उनको वाक्य बनाने में मदद करती है।	छात्र चार्ट का प्रयोग करते हैं तथा वाक्य रचना की नकल करते हैं।	3 यह एक कलम है। ये लड़के हैं।
	अध्यापिका मानसिक रूप से पिछड़े हुए बच्चे (राम) से पुस्तक शब्द का प्रयोग करते हुए वाक्य बनाने के लिए कहती है।	राम वाक्य बनाता है लेकिन एक वचन और बहुवचन की अवधारणा को समझ नहीं पाता है।	4 अध्यापिका, छात्रों द्वारा दिए हुए वाक्यों को श्यामपट्ट पर लिखती है।
	चार्ट अ तथा चार्ट ब में अध्यापिका दिखाती है और बताती है कि कुछ एकवचन एवं बहुवचन शब्दों को यहां लिखा गया है जैसे चार्ट अ में एक गुड़िया, कुत्ता, बिल्ली, पुस्तक, कलम, पेंसिल का चित्र बना है तथा चार्ट ब में कुत्तों, बिल्लियों, पुस्तकों, कलमों, पेंसिलों के चित्र बने हुए हैं।		5 चार्ट अ — चार्ट ब एक चित्र — कई चित्र एक कुत्ता — कुत्ते एक बिल्ली — बिल्लियाँ एक पुस्तक — पुस्तकें एक कलम — कलमें एक पेंसिल — पेंसिलें

अध्यापिका मानसिक रूप से पिछड़े हुए लेकिन शिक्षा के योग्य बालक से दी गई सारिणी की सहायता से वाक्य पूर्ति करने के लिए कहती है तथा सामान्य बच्चों से इसी प्रकार के कुछ और वाक्य लिखने के लिए कहा जाता है ।

विद्यार्थी वाक्य बनाते हैं ।
विद्यार्थी पढ़ते हैं ।
दी गई संरचनाओं को वे छात्र ध्यान से देखते हैं एवं उसकी नकल करके नए वाक्य बनाते हैं ।

6

अध्यापिका उनके उत्तर श्यामपट्ट पर लिखता है ।

7

बच्चों को संकेत देने के लिए अध्यापिका नमूनें के रूप में कुछ वाक्य लिखता है ।

अध्यापिका छात्रों से उनकी अभ्यास पुस्तिकाओं से उत्तर पढ़ने के लिए कहती है ।
अध्यापिका यह बताती है कि इन वाक्यों में हम लोग कर्ता, क्रिया, कर्म का प्रयोग कर रहे हैं । इस बात को नीचे दी गई सारणी की मदद से समझाती है ।

कर्ता	कर्म	क्रिया
यह	पुस्तक	है
ये	लड़कियाँ	हैं

ये लड़के हैं ।
ये लड़कियाँ हैं ।
ये अध्यापक हैं ।

शिक्षण बिंदु	अध्यापक का व्यवहार	छात्र का व्यवहार	परिवर्तन
	अध्यापिका दूसरी सारिणी प्रस्तुत करती है और बच्चों से दिए गए वाक्यों में से कर्ता, कर्म तथा क्रिया छांटने के लिए कहती है ।		8 अध्यापिका सारिणी प्रस्तुत करती है और मानसिक रूप से पिछड़े हुए लेकिन शिक्षा के योग्य बच्चे से नीचे दी गई सारिणी के आधार पर वाक्य रचना के लिए कहती है ।
	पुस्तक, कलम तथा पेंसिल शब्दों का प्रयोग करते हुए अध्यापिका बच्चों से इसी प्रकार के वाक्य बनाने के लिए कहती है ।	छात्र वाक्य रचना करते हैं । वाक्य को नकल करने में मानसिक रूप से पिछड़े किन्तु शिक्षा के योग्य बच्चे को कठिनाई हो सकती है ।	ये पुस्तकें हैं । यह कलम है । ये पेंसिलें हैं
	अध्यापिका, दी गई सारिणी को देखने के लिए छात्रों से कहती है जिससे कि वे पुस्तक, पेंसिल और कलम शब्द का इस्तेमाल करते हुए वाक्य रचना कर सकें ।		
	अध्यापिका हर विद्यार्थी से अपने उत्तर बताने के लिए कहती है	छात्र अपनी अभ्यास पुस्तिकाओं से वाक्य पढ़ते हैं ।	9 अध्यापिका इन वाक्यों को श्यामपट्ट पर लिखती है जिससे मंदगति से सीखने वाले पुनरावृत्ति कर सकें ।

10

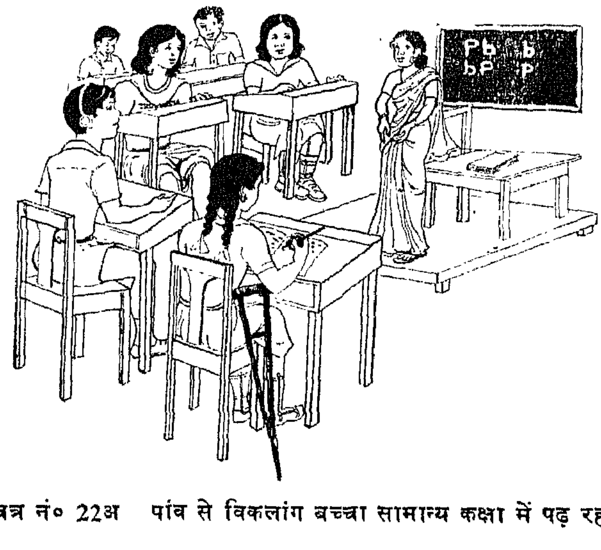
सभी छात्रों से श्यामपट्ट पर दिए गए वाक्यों से अपने उत्तर को मिलाने के लिए कहा जाता है ।	छात्र तुलना करते हैं (मिलाते हैं) और गलती सुधारते हैं ।	जिन पट्टियों पर ये वाक्य लिखे हैं; अध्यापिका मानसिक रूप से पिछड़े हुए शिक्षा के योग्य बच्चों को उन्हें देती है ।

इस प्रकार मानसिक रूप से पिछड़े लेकिन शिक्षा के योग्य बच्चों को एकीकृत शिक्षा योजना में अध्यापिका पुनरावृत्ति के लिए अभ्यास करा सकती है और ये बच्चे भी बिना किसी कठिनाई से सामान्य बच्चों के साथ पढ़ सकते हैं ।

अस्थि संबंधी विकलांगता के लिए पाठ्य सामग्री में परिवर्तन की आवश्यकता

कक्षा में अध्यापकों के समक्ष अस्थि विकलांगता वाले बच्चे होते हैं और ऐसे भी बच्चे होते हैं, जो स्वास्थ्य संबंधी किसी अन्य समस्या से ग्रस्त हों। यद्यपि इन बच्चों को अधिगम विषयक किसी समस्या का सामना नहीं करना पड़ता है लेकिन अध्यापक को उनकी कक्षा की नियमित गतिविधियों (अकादमिक तथा गैर अकादमिक) को लेकर चिंता हो सकती है। संभव है कि अध्यापक को समेकित शिक्षा कक्षा के परिवेश में इन बच्चों को उपलब्ध कराई जाने वाली सुविधाओं की जानकारी न हो।

ऐसे बच्चे भी हो सकते हैं जिनके निचले अंग में विकार हो सकते हैं, जिनके ऊपरी अंग में विकार हो सकते हैं, जिनके चालढ़ाल में विकार हो सकता है, जैसे कोई पैर भीतर की ओर झुका कर चलता हो, और दूसरा बाहर की तरफ निकाल कर चलता हो, अंगुली या अंगूठा गायब हो सकता है बिना हाथ अथवा बिना पांव का हो सकता है, कुबड़ा हो सकता है या अन्य प्रकार की कोई स्वास्थ्य जैसी समस्या बच्चे के साथ हो सकती है।

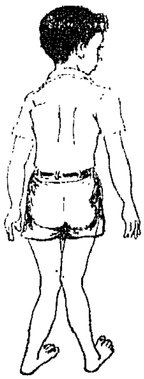


चित्र नं० 22अ पांव से विकलांग बच्चा सामान्य कक्षा में पढ़ रहा है

समग्र शिक्षा की दृष्टि से अस्थि विकार वाले अथवा स्वास्थ्य विषयक अन्य समस्या वाले बच्चों के साथ बहुत अधिक कठिनाई नहीं होती है क्योंकि इनके साथ कोई अधिगम की समस्या

नहीं होती है। जिन बच्चों को शरीर के नीचे के हिस्से में अस्थि विकार होते हैं, उनकी शारीरिक मदद के लिए संभव है किसी उपकरण की आवश्यकता हो जैसे विशेष सहायक उपकरण, यातायात की सुविधा आदि। उनको एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचने के लिए मदद की जरूरत हो सकती है।

चलने से सम्बन्धित दोष :

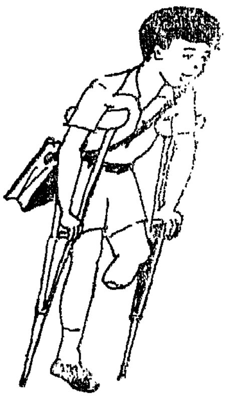


22ब–अन्दर पैर रखकर चलता है



22स–बाहर पैर निकालकर चलता है

लेकिन जिन बच्चों के शरीर के ऊपरी भाग में अस्थि संबंधी कोई विकार होता है उनको ऐसी गतिविधियों में भाग लेने में दिक्कत होती है जिसमें पेशी शक्ति की आवश्यकता पड़ती है।

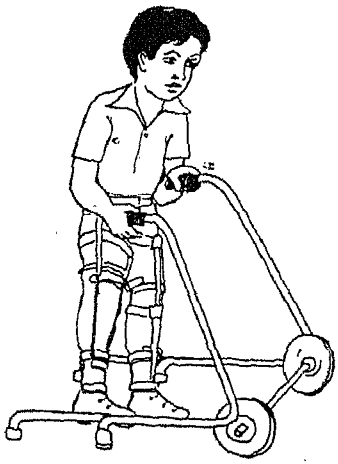


22ह–बच्चा बैसाखी के साथ



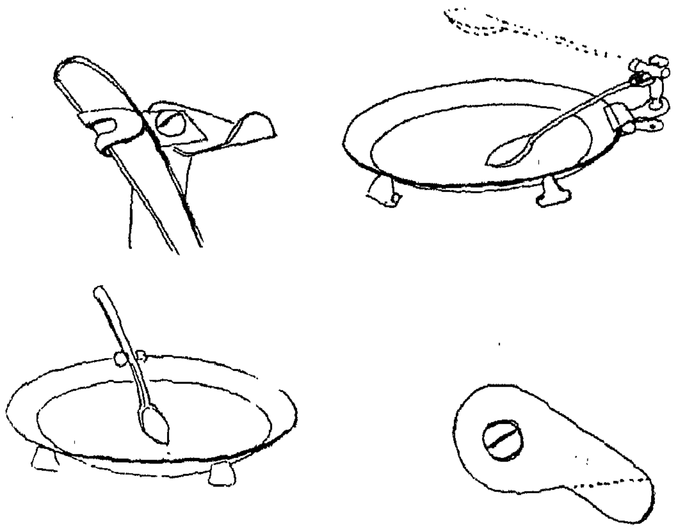
22य–बच्चा कृत्रिम पांव के साथ

इन बच्चों को लिखना सीखने में तथा प्रयोगात्मक कार्य करने में दिक्कत हो सकती है। भौतिक चिकित्सा करके तथा कृत्रिम अंग लगाकर इनकी कार्य क्षमता में सुधार लाया जा सकता है। आम कक्षाओं में इन बच्चों को शिक्षित किया जा सकता है। इसलिए कि इनकी शारीरिक विकलांगता का इनके अकादमिक निष्पादन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, उनकी शारीरिक स्थिति में थोड़ी बहुत समायोजन/बदलाव की आवश्यकता होती है। साफ-साफ लिखना सीखने के लिए

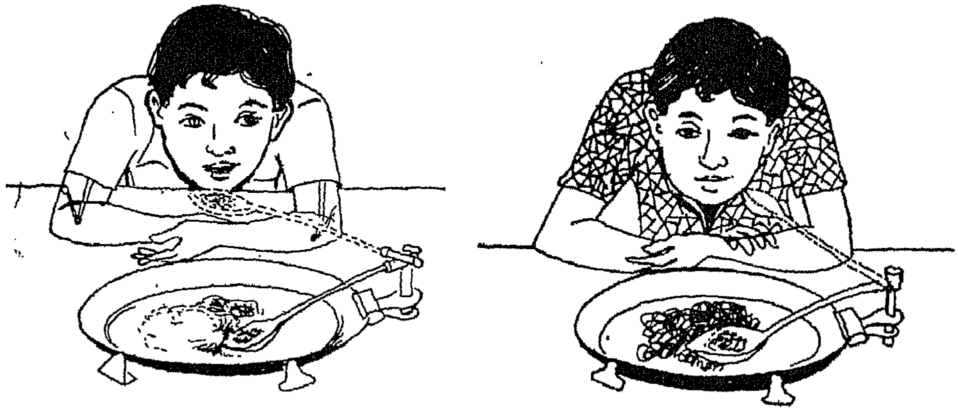


22ल–बच्चा कृत्रिम पांव के साथ चलना सीख रहा है

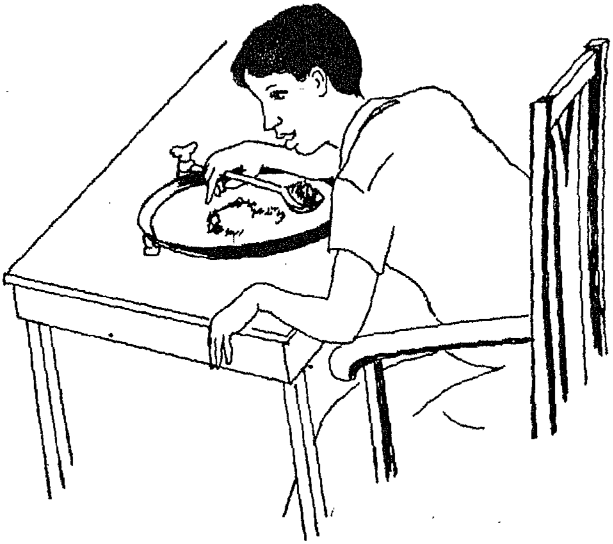
इनको अध्यापक की मदद की आवश्यकता होती है, इनको अध्यापक की ओर से प्रोत्साहन की भी आवश्यकता होती है। इनकी क्षमता स्तर को देखते हुए विभिन्न गतिविधियों में इन्हें शामिल किया जा सकता है जैसे चित्र कला, रेखा चित्र बनाना, रंगों का काम करना तथा खेल खेलना आदि। संभव है कि इन बच्चों में अपनी सीमाओं का कुछ प्रभाव हो और बाहर से मंदबुद्धि जैसे लगे तथा नकारात्मक सामाजिक प्रतिक्रिया के चलते कक्षा में तालमेल बनाने में इनको दिक्कतों का सामना करना पड़े। अध्यापक के रूप में आपको यह पता होना चाहिए कि इन बच्चों के साथ किस तरह का व्यवहार किया जाना चाहिए? इस प्रकार की समस्या कक्षा में सामान्य बच्चों के सामने भी आ सकती है, इसलिए अध्यापक को इन समस्याओं को लेकर परेशान नहीं होना चाहिए। अभिरुचि तथा सुझाव के अनुसार सभी बच्चों को कक्षा की गतिविधियों में शामिल करना चाहिए। इन विषयों में असामान्य कार्य निष्पादन पर अध्यापक को जोर देना चाहिए। इन बच्चों के कक्षा में एकीकरण के लिए ऐसे बदलाव (समायोजन) सुझाए जाते हैं, जो इस प्रकार हैं:



चित्र नं० 23अ—अस्थि सम्बन्धित विकलांग बच्चों के उपयोग में आने वाले उपकरण



23ब—ऊपरी हिस्से से विकलांग बच्चे चम्मच का उपयोग करना सीख रहे हैं
(अनुकूलित उपकरणों के साथ)



23स-बच्चा अनुकूलित चम्मच के साथ



23ह–बच्चे अनुकूलित चम्मच के साथ खाना खा रहे हैं



चित्र नं० 24—मोटे होल्डर की पेंसिल लिखने में मदद करती है

पाठ्यक्रम को अनुकूल बनाने के लिए निर्देश

— स्कूल में स्वतंत्रतापूर्वक चलने फिरने के लिए बच्चों को पहिएदार कुर्सी, बैसाखियों, पट्टे, कमानी आदि सहायक उपकरणों की आवश्यकता होती है। इसलिए अध्यापक को इस तरह बैठने के लिए इंतजाम करना चाहिए कि कक्षा में कोई व्यवधान न पैदा हो सके।

— लिखने और पढ़ने के लिए उनको कुछ विशेष प्रकार के उपकरणों की आवश्यकता होती है, जैसे, पुस्तक को लैंपबोर्ड में लगाने वाला उपकरण, पन्ना पलटने में मदद करने वाला उपकरण, मोटे कलम तथा उनको थामने के लिए सहायक उपकरण आदि। ये सुविधाएं उनको उपलब्ध कराई जानी चाहिए।

— किसी भी प्रकार का शिक्षण आरम्भ करने के पूर्व अध्यापक को यह देखना चाहिए कि सफलतापूर्वक अधिगम कार्य संपन्न करने के लिए हर बच्चे के पास उसकी आवश्यकता के अनुकूल फर्नीचर है या नहीं तथा बच्चा कक्षा में स्वस्थ महसूस कर रहा है या नहीं।

— इसी प्रकार भौतिक परिस्थिति में परिवर्तन करके अध्यापक इनके लिए खेलकूद, रेखाचित्र, चित्रकारी आदि गतिविधियों का आयोजन कर सकता है। ऐसा करना इसलिए आवश्यक है कि अस्थिदोष के कारण विकलांग बच्चे सामान्य बच्चों के सामने हीन भावना का अनुभव न करें।

— चूंकि आरंभ में बच्चे का विकास काफी तेजी से होता है, इसलिए बच्चों के बनावटी हाथ-पांव या अन्य उपकरणों को जल्दी जल्दी बदलने की आवश्यकता होती है क्योंकि यह एक साल से अधिक शायद ही उनके उपयोग के उपयुक्त हो। अध्यापक को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि आवश्यकता के अनुसार इनमें नियमित रूप से परिवर्तन किया जाए।

— अध्यापक को इस बात की पूर्ण जानकारी होनी चाहिए कि बच्चों को जो बनावटी हाथ-पांव अथवा पेटी आदि लगाई गई हैं, वे कार्य करने में सहायक हैं और वह बच्चा उनका प्रभावी तथा सही विधि से उपयोग कर रहा है। यदि उपर्युक्त उपकरण में कोई दिक्कत आ रही है तो अध्यापक को किसी कृत्रिम अंग लगाने वाले की मदद लेने के लिए सिफारिश करनी चाहिए।

— कम से कम छोटे विद्यार्थियों के लिए हाथ-पांव लगाने वाले सामान्य यंत्रों तथा उनके रख रखाव की मोटी जानकारी अध्यापक को होनी चाहिए।

— बच्चों के खिलौने के कक्ष तथा पुस्तकालय में इस्तेमाल किए जाने वाले फर्नीचर की ऊंचाई ऐसी होनी चाहिए जो बनावटी अंगों के हिसाब से इधर उधर या ऊपर नीचे हो सके जिससे कि कृत्रिमांगों को इस्तेमाल करने के समय इनसे उनको कोई व्यवधान न उत्पन्न हो।

— अध्यापक की कक्षा को इस प्रकार संगठित करना चाहिए कि पहिएदार कुर्सी आदि को इधर उधर टहलने में तथा कक्षा में बैठने में कोई असुविधा न हो।

— कृत्रिम अंगों वाले बच्चों को, हो सकता है, कक्षा में पहुंचने के लिये अतिरिक्त समय लगे। अध्यापक सामान्य बच्चों से कह सकता है कि उसकी गाड़ी को ठेलने में उनकी मदद करें।

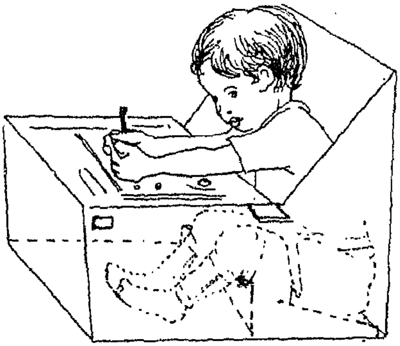
— बैठने से (मुद्रा से आसन) संबंधी आदतों को सावधानी से अध्यापक को देखना होगा ताकि उनमें गलत मुद्रा में बैठने की आदत न पड़ जाए।

— गठिया जैसी बीमारी वाले बच्चों के मामले में लंबे समय वाला काम, जैसे लिखने का काम, नहीं देना चाहिए। बच्चे के लिए यह कार्य कष्टदायक सिद्ध हो सकता है।

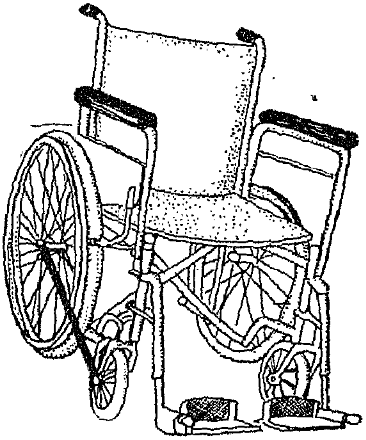
— स्वास्थ्य संबंधी विशेष समस्या से ग्रस्त बच्चे को अपना काम पूरा करने के लिए अतिरिक्त समय दिया जाना चाहिए।

— सामान्य बच्चों को अध्यापक की ओर से कठोर चेतावनी दी जानी चाहिए कि वे विकलांग बच्चों के साथ शरारत न करें वैसे अनावश्यक रूप से उनकी पहिएदार कुर्सी को ढकेलने, उनको छेड़ना, उनकी बैसाखी या इसी प्रकार के कृत्रिम अंगों को उनसे छिपाना या दूर रख आना आदि न करें ।

— इनके शारीरिक व्यायाम के लिए अध्यापक समूह में कराए जाने वाले व्यायाम में आवश्यक संशोधन कर सकता है ।



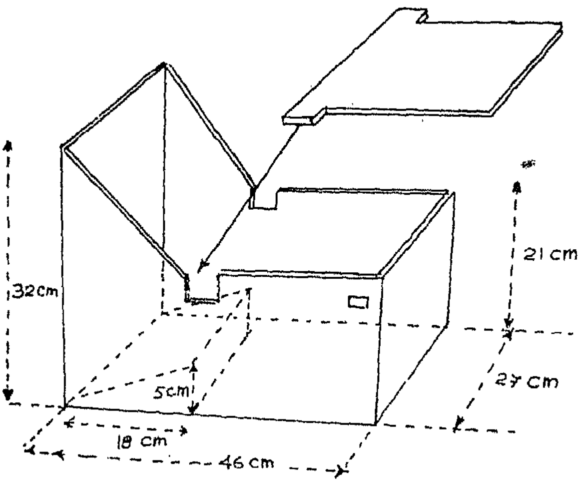
चित्र नं० 25क—उपयुक्त बक्सा बच्चे को ठीक बैठाने के लिए

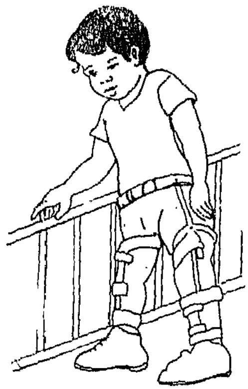


25ब—पहिये वाली कुर्सी

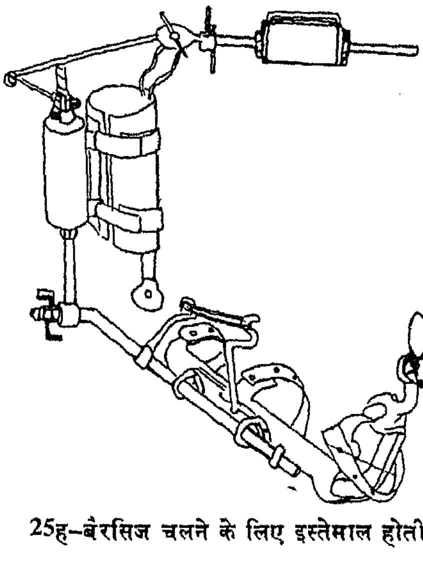


25स-बच्चा पहियेदार कुर्सी से आत्मनिर्भर है

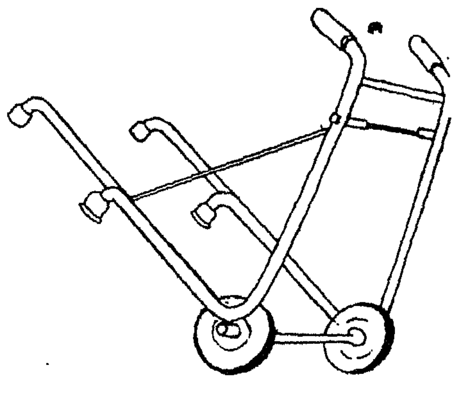




25स–बच्चा कृत्रिम अंगों के साथ चलना सीख रहा है



25ह–बैरसिज चलने के लिए इस्तेमाल होती है



25य–चलना सिखाने के लिए उपकरण



चित्र नं० 26-ऊपरी हिस्से वाला विकलांग बच्चा टाइप कर रहा है

— सामान्य विद्यार्थियों द्वारा पैदा की गई सामाजिक समस्याओं को कम करने के लिए अध्यापक को सहकारी अधिगम परिवेश बनाने की कोशिश करनी चाहिए, इसके लिए अध्यापक प्रदर्शनियों को आयोजित कर सकता है, फिल्म प्रदर्शन का इंतजाम कर सकता है आदि। इससे विकलांगों की पूर्ण गतिविधियों को प्रदर्शित करने का अवसर मिलता है।

— अस्थि दोष वाले और स्वास्थ्य संबंधी विशेष समस्या से ग्रस्त विद्यार्थियों को कक्षा में नियमित रूप से आने के लिए अध्यापक द्वारा प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। पाठ्यक्रम संबंधी समस्त गतिविधियों में भाग लेने के लिए भी उनको प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।

— विशेष स्वास्थ्य समस्या वाले बच्चों के साथ व्यवहार में सावधानी बरतनी चाहिए एवं उनके साथ व्यवहार करने में अधिक धैर्य और समझदारी की आवश्यकता होती है।

नमूना 4 : एकीकृत शिक्षा में ऊपरी अंग के विकलांग बच्चों को लिखना सिखाना

शिक्षण बिंदु	अध्यापक का व्यवहार	छात्र का व्यवहार	परिवर्तन
अक्षर लिखना सिखाना अस्थिविषयक विकलांगता वाले बच्चों को अक्षर लिखना सिखाते समय एक जैसे आकार के वर्णों को सिखाना ठीक रहता है। (जैसे प तथा य/ब आदि)	अध्यापक बच्चों को कार्ड देता है जिन पर अनेक रंगों में 'प' वर्ण लिखा गया है। वह बताता है कि यह प है।	छात्र कार्ड हाथ में लेकर प अक्षर को ध्यान से देखेंगे।	1 कार्ड को इस तरह रखा जाता है कि अस्थि विकलांगता वाले बच्चों की ऊंचाई के अनुकूल हो और वे उसे छू सकें तथा देख सकें।
	अध्यापक दूसरा कार्ड देता है जिस पर प लिखा हुआ है।	छात्र कार्ड को ध्यान से देख रहे हैं।	
	अध्यापक उनसे दोनों की बनावट में अंतर का पता लगाने के लिए कहता है।	वे दोनों पर लिखे अक्षरों में अंतर को ध्यान से देखते हैं।	2 निम्नांकित अक्षरों वाले कार्ड प | य य | प
	अध्यापक बच्चों को एक कार्ड देता है तथा इस पर बच्चों से प और य लिखने के लिए कहता है।	छात्र प और य अक्षर लिखते हैं।	3 अस्थि विकलांग बच्चों की मेज पर इस कार्ड को स्थिर करके लगा दिया जाता है तथा उनको मोटी पेंसिलें दे दी जाती है ताकि वे पेंसिल को सही तरीके से पकड़ सके।

प	य	प प	य य	प य	प य	य य

		4 प तथा य वर्ण लिखे गए कार्ड अध्यापक देता है। ये वर्ण अपूर्ण हैं (आकार में)
दिये गये कार्डों पर अध्यापक बच्चों को कई रंगों में प/य वर्णों को लिखने के लिए कहता है।	प और य लिखकर छात्र उनमें रंग भरते हैं।	5 छात्रों को रंग दिए जाते हैं जिनको पेंसिलों या होल्डरों में लगाया गया है।
इन वर्णों का अभ्यास करने के लिए अध्यापक स्लेट देता है।	स्टैंड स्लेट पर छात्र य/प लिखते हैं।	6 इन वर्णों में ठीक से रंग भरने के लिए सामान्य छात्र विकलांग छात्रों की सहायता करते हैं।
दिए गए कार्डों पर प और य लिखने के लिए प्लास्टिक स्टैंड और खाली जगह से युक्त प तथा य छात्रों को दिए जाएंगे।	छात्र लिख रहे हैं।	7 छात्रों को खाली प तथा य आकार वाले प्लास्टिक के स्टैंड दिए जाएंगे।

प्रथम कक्षा के सामान्य और अस्थि विकलांग दोनों ही प्रकार के बच्चों को प और य अक्षर लिखना सीखने में आनन्द आएगा। इससे ऊपरी अंग के अस्थि विकार वाले बच्चों को उचित समन्वय और पेशी शक्ति को विकसित करने में सहायता मिलेगी तथा वे प और य की तरह समान आकार वाले अन्य अक्षरों को भी लिखना सीख सकेंगे। इस तरह एकीकृत शिक्षा की कक्षा में सामान्य छात्रों में तथा ऊपरी हिस्से में अस्थि विकलांगता वाले बच्चों में लेखन कौशल को विकसित करने में अध्यापक सफल हो सकेगा।

अधिगम की दृष्टि से विकलांग बच्चों के लिए पाठ्य सामग्री में परिवर्तन

अध्यापक के रूप में काम करते हुए आपको ऐसे बच्चे मिले होंगे जो पढ़ने में, लिखने में अथवा अंक गणित में बराबर अशुद्धियां करते हैं। आधारभूत अकादमिक कौशल के एक या एक से अधिक विषय में उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ता है लेकिन बौद्धिक विकास की दृष्टि से इंद्रिय बोध के स्तर पर तथा सामाजिक और भावात्मक विकास की दृष्टि से वे बिल्कुल सामान्य बच्चे होते हैं। जिन बच्चों में यह कमी अत्यन्त कम मात्रा में होती है उनको पूर्व प्राथमिक स्तर पर पहचानना कठिन काम होता है। इनकी पहचान तभी हो सकती है जब अध्यापक और अभिभावक आधारभूत कौशल सिखाने का भरसक प्रयास कर रहे हों तथा इनमें एक शैक्षिक सामग्री के विकास में लगा हो ताकि समय के रहते हुए इनकी इस कमी को दूर किया जा सके। इन सब प्रयासों के अतिरिक्त वे अकादमिक कार्य ठीक से नहीं कर पाते हैं। वे ऐसी अशुद्धियां तीसरी एवं चौथी कक्षा में करते हैं, जैसे पहली कक्षा का सामान्य छात्र करता हो। उनकी विशेष प्रकार की अधिगम संबंधी असमर्थता/अयोग्यता को दूर करने के लिए पाठ्यक्रम में थोड़े से परिवर्तन की आवश्यकता पड़ती है। नीचे मार्गदर्शन के लिए कुछ निर्देश दिए गए हैं। इससे शैक्षिक सामग्री में फेरबदल करने में अध्यापक को मदद मिलेगी तथा इन बच्चों की आवश्यकतानुसार वह अपने पढ़ाने के तौर तरीकों में भी परिवर्तन करेंगे।

पाठ्यक्रम में परिवर्तन के लिए निर्देश

— अधिगम संबंधी अयोग्यता को ठीक करने के लिए अर्थात् विशेष अक्षर को पहचानने के लिए बच्चे को अभ्यास दिया जाना चाहिए जिसके लिखने, बोलने या पहचानने में उसको कम दिक्कत महसूस हो।

— इस तरह से अभ्यास के लिए प्रश्न बनाया जाना चाहिए कि जिससे विविध आकार, रंग रूप वाले अक्षरों का इस्तेमाल किया गया हो। इससे उनकी पहचान सम्बन्धित अधिगम समस्याओं का समाधान होता है।

— बच्चा जिस तरह की कठिनाई का सामना कर रहा है, उस कठिनाई को आधार बनाकर अनुच्छेद, वाक्य और शब्दों वाले प्रश्नाभ्यास तैयार करने चाहिए। विशेष प्रकार के कौशल में प्रवीण होने के लिए बहुत अधिक अभ्यास करने की आवश्यकता होती है प्रत्येक कौशल का अभ्यास अत्यंत सार्थक तरीके से कराया जाना चाहिए। इस अभ्यास को तब तक नियमित जारी रखा जाना चाहिए जब तक कि बच्चा लिखने और बोलने के बीच उचित साहचर्य न स्थापित कर लें।

— जो अक्षर देखने में एक जैसे हों तथा जो ध्वनियों को सुनने में समान जान पड़ती हैं, उनको एक साथ नहीं सिखाया जाना चाहिए।

— अक्षरों को ठीक से लिखने के लिए तथा उनके सही उच्चारण करने के लिए जिससे अंतर स्पष्ट हो जाए, इसके लिए इंद्रिय बोधात्मक अनुभव प्रदान किया जाना चाहिए।

— अधिगम की दृष्टि से विकलांग बच्चे की अधिगम प्रक्रिया में सक्रिय रूप से सम्मिलित किया जाना चाहिए ताकि वह अधिगम में दिलचस्पी ले सके।

— इस बात को सुनिश्चित कीजिए कि बच्चे को लगातार व्यस्त रखा जाए और वह अध्ययन में रुचि लेता रहे।

— उपचार के लिए जो सत्र आयोजित किया गया हो उसमें इस तरह की गतिविधियों का आयोजन किया जाना चाहिए जिससे बच्चे की 80-90% तक सफलता मिल सके। क्योंकि सफलता का बोध बच्चे के लिए उत्साहवर्धन का कार्य करेगा।

— अधिगम कार्य को छोटे-छोटे समूहों में विभक्त करके कराया जाना चाहिए जिससे कि बच्चे को यह महसूस हो कि उसमें कार्य को सीखने की क्षमता है।

— शैक्षिक सामग्री का उद्देश्य इस प्रकार के कौशल का विकास करने के लिए होना चाहिए कि जिसमें बच्चे को समस्या का सामना स्वयं करके उसका हल निकालना पड़ रहा हो। अतः प्रयास इस बात के लिए किया जाना चाहिए कि अधिगम की गति बढ़ सके।

— बच्चे को एक अनुच्छेद दीजिए और उसमें अक्षर विशेष या शब्द विशेष को जितनी जल्दी से रेखांकित कर सके, उतनी जल्दी उसको रेखांकित करने के लिए कहिए।

— छात्र को इस बात के लिए प्रोत्साहित कीजिए कि वह शब्द को एक-एक पढ़कर पहचानने के बदले समग्र रूप से पहचानने का अभ्यास करें। उसको सही-सही इंद्रियबोधात्मक स्तर पर ग्रहण करने के लिए उत्साहित कीजिए परन्तु जोर मत दीजिए।

— जो बच्चे गणित सीखने में मंद है तथा जो पहाड़े याद नहीं कर पाते, न उसे विशेष प्रकार के गणितीय सम्बन्ध याद होते हैं। बजाए इसके लिए उनसे गुणा भाग कराया जाए, उनको पहाड़े की पुस्तक खोल कर और उसे देखकर गुणा भाग करने की अनुमति दी जानी चाहिए। इसके साथ ही संख्याओं के आपसी संबंध को पूर्णतः स्पष्ट करते हुए इसको याद करने में उनकी मदद करनी चाहिए।

— विकलांग बच्चे में लेखन तथा पठन-कौशल को विकसित करने के लिए इस प्रकार का प्रयास किया जाना चाहिए जैसे कि कठिनाइयों को विभिन्न स्तरों में विभाजित करके, एक शब्द के अनेक प्रश्नाभ्यास बना करके, वाक्यों में प्रयोग के प्रश्नाभ्यास कराकर खाली स्थानों को भरने वाले प्रश्नाभ्यास बनाकर, कहानी या पैराग्राफ देकर आदि ठीक-ठीक ढंग से पढ़ने और लिखने में सुधार किया जा सकता है।

नीचे एक ऐसा नमूना दिया गया है जिसका उपयोग ऐसे बच्चे के लिए किया जा सकता है जिसको विभिन्न आकार के रंगों में लिखने पर किसी एक संख्या को पहचानने में कठिनाई होती है। नीचे दिए गए तरीके से अध्यापक विभिन्न आकारों तथा रंगों में लिखी गयी संख्याओं को पहचानने में छात्र की मदद कर सकता है।

नमूना 6 एकीकृत शिक्षा में अधिगम विकलांगता वाले बच्चों को एक संख्या का ज्ञान करवाना

शिक्षण बिन्दु	अध्यापक का व्यवहार	छात्र का व्यवहार	परिवर्तन
			1
अधिगम की दृष्टि से विकलांगों को संख्याओं की पहचान सिखाना जब संख्याएं विभिन्न रंगों तथा आकारों में लिखी गई हों।	संख्या 'एक' लिखा हुआ कार्ड अध्यापक सभी बच्चों को देगा।	छात्र कार्ड लेकर उसको ध्यान से देखेंगे।	अध्यापक कार्ड पर लिखी हुई संख्या 'एक' को सभी आकारों तथा रंगों में लिखने के लिए कहता है।

अध्यापक संख्या '1' को श्यामपट्ट पर लिखेगा। अध्यापक विकलांग छात्र से कहेगा कि वह संख्या '1' वाले कार्ड को देखे तथा अपनी अभ्यास पुस्तिका में उसे लिखे।	छात्र देखते हैं तथा विकलांग बच्चा लिखता है।	2 एक संख्या वाले अनेक रंगों के कार्ड, स्लाइड का इस्तेमाल किया जाता है।
		3 छात्रों में '1' की संख्या कापी में लिखने को कहा जाता है तथा एक वस्तु का चित्र बनाने को भी कहा जाता है।
विविध आकारों में संख्या '1' लिखने में अध्यापक छात्र की मदद करता है	विकलांग छात्र अपना दिया गया काम पूरा करता है	4
श्यामपट्ट पर लिखे सबसे बड़े एक संख्या को काटने के लिए अध्यापक बच्चों से कहता है।	छात्र संख्या को काटते हैं।	5 हर आकार और रंग में लकड़ी के टुकड़े दिए जाते हैं।
विभिन्न रंगों में दिए गए लकड़ी के टुकड़ों पर अध्यापक छात्रों से एक की संख्या लिखने के लिए कहता है।	छात्र लिखते हैं।	लकड़ी के टुकड़ों को क्रम से लगाइए जिस पर संख्या 1 विभिन्न रंगों में लिखी गई हैं।

अध्यापक बच्चों से मिट्टी का ब्लॉक (लकड़ी के टुकड़ों जैसा) बनाने के लिए कहता है फिर अलग-अलग रंगों तथा आकारों में एक की संख्या लिखने के लिए कहता है। इस तरह से एकीकृत शिक्षा परिवेश में अध्यापक अधिगम की इस समस्या का समाधान कर सकता है।

मुख्य बातें

— सामान्य स्कूलों में विकलांग बच्चों को एकीकृत करने से अध्यापक के शिक्षण पर कोई असर नहीं पड़ता है।

— सामान्य स्कूलों में पढ़ने वाले विकलांगों को कुछ अधिगम अनुभव प्रदान किया जाना चाहिए। जो गंभीर रूप से विकलांगता से प्रभावित हैं, उनको आधारभूत अधिगम दक्षता में प्रशिक्षित करने के बाद ही सामान्य स्कूलों में भर्ती किया जाना चाहिए।

— शिक्षण सामग्री और शिक्षण विधि में फेरबदल की आवश्यकता विकलांगों को सामान्य स्कूलों में पढ़ाने के समय पड़ती है। इससे विकलांग बच्चों को समेकित करने में कोई कठिनाई नहीं होती।

— सभी तरह के विकलांगों को एक ही कक्षा में एकीकृत नहीं करना चाहिए क्योंकि विकलांगता में अन्तर और विभिन्नतानुसार शिक्षण सामग्री तथा शिक्षण पद्धति में फेरबदल का स्तर और स्वरूप अलग अलग होता है।

— उपलब्ध संसाधनों के माध्यम से बहुऐन्द्रिय अधिगमयुक्त अनुभव प्रदान किए जा सकते हैं।

— शिक्षण सामग्री को परिश्रम, साध्य तथा धनसाध्य अभ्यास नहीं मानना चाहिए क्योंकि स्कूलों में विभिन्न अध्यापकों द्वारा बनाई गई सहायक शिक्षण सामग्री का उपयोग बड़ी सरलता से किया जा सकता है। पाठकों में फेरबदल के लिए योजना तैयार करने में नियमित अध्यापक की मदद ले सकता है।

अध्याय-5

एकीकृत शिक्षा में विकलांग बच्चों के एकीकरण में अध्यापक का उत्तरदायित्व

जैसाकि आप जानते हैं कि एकीकृत शिक्षा योजना केन्द्र द्वारा आयोजित एक ऐसी योजना है जिसे क्रियान्वित करने के लिए केन्द्रीय सरकार, राज्यों तथा केन्द्र-शासित प्रदेशों की सहायता करेगी। इसका उद्देश्य ऐसे विकलांग बच्चों को शिक्षा के समान अवसर उपलब्ध करवाना है, जिनकी समस्या निम्न है :

(अ) अंग संचालन की दृष्टि से विकलांग बच्चे (अस्थि विषयक असमर्थता तथा सामान्य कोटि की श्रवण सम्बन्धी दोष वाले बच्चे।

(ब) बच्चे जिन्हें कम दिखाई देता है तथा एक आंख से न देख सकने वाले बच्चे प्रथम श्रेणी में आते हैं।

(स) 50-70 बुद्धि लब्धि वाले बच्चों का दल जो मानसिक रूप से अशक्त है, लेकिन जिन्हें पढ़ाया जा सकता है।

(द) कई तरह की आवश्यकताओं वाले बच्चे (अन्धे और अस्थि विषयक अशक्तता, श्रवण सम्बन्धी तथा अस्थि विषयक अशक्तता तथा मानसिक रूप से पिछड़ेपन वाले ऐसे बच्चे जिन्हें पढ़ाया जा सकता है, दृष्टि सम्बन्धी दोष तथा सामान्य कोटि की अशक्तता वाले बच्चे।

(ह) अधिगम की दृष्टि से अयोग्य बच्चे।

ऐसी अशक्तताओं वाले बच्चे की भी पूर्व तैयारी होने के पश्चात् उन्हें सामान्य स्कूलों में भर्ती किया जा सकता है। जो इस प्रकार है :—

(ए) दृष्टि-दोष वाले बच्चे (उच्च कोटि)

(ऐ) गंभीर तथा दुर्बोध किस्म के श्रवण दोष वाले बच्चे (गंभीर और दुर्बोध)।

कक्षा में आपको श्रवण सम्बन्धी, दृष्टि सम्बन्धी, अस्थि विषयक तथा मानसिक दुर्बलताओं वाले बच्चे मिले होगें। आपने यह सोचकर उन पर ध्यान नहीं दिया होगा कि वे रोजगारपरक कुशलता के अतिरिक्त और कुछ नहीं सीख सकते। लेकिन यह जानकर आप चकित रह जाएंगे कि सामान्य कोटि की विकलांगता वाले बच्चों को सामान्य बच्चों की तरह शिक्षा दी जा सकती है। उन्हें आपसे केवल प्रेरणा और सहायक उपकरणों की सहायता की जरूरत होती है। उनमें से बहुत कम बच्चे ऐसे होंगे जो भंयकर तथा गम्भीर किस्म की विकलांगता से पीड़ित होंगे। उनमें केवल मूलभूत शैक्षिक कौशल तैयार करने की जरूरत होती है और यदि उन्हे यथाशीघ्र ही पहचान लिया जाए तो उन्हें सामान्य स्कूलों में एकीकृत किया जा सकता है। सामान्य स्कूलों में विशेष कक्षाएं आयोजित करके अथवा विशेष स्कूलों के माध्यम से उनमें विशेष प्रकार का कौशल विकसित किया जा सकता है। एकीकृत शिक्षा योजना में निम्नांकित बाते सम्मिलित की गई है। एक तो स्कूल में भर्ती होने से पहले विकलांगों का प्रशिक्षण तथा दूसरे माता-पिता को परामर्श देना। पी.ओ.ए. इस बात की सिफारिश करती है कि एक का आधारभूत काम चलाऊ कुशलता प्राप्त कर लेने के बाद उन विकलांग बच्चों को सामान्य स्कूलों में एकीकृत किए जाने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए जिन्हें विशेष स्कूलों में भर्ती किया गया है।

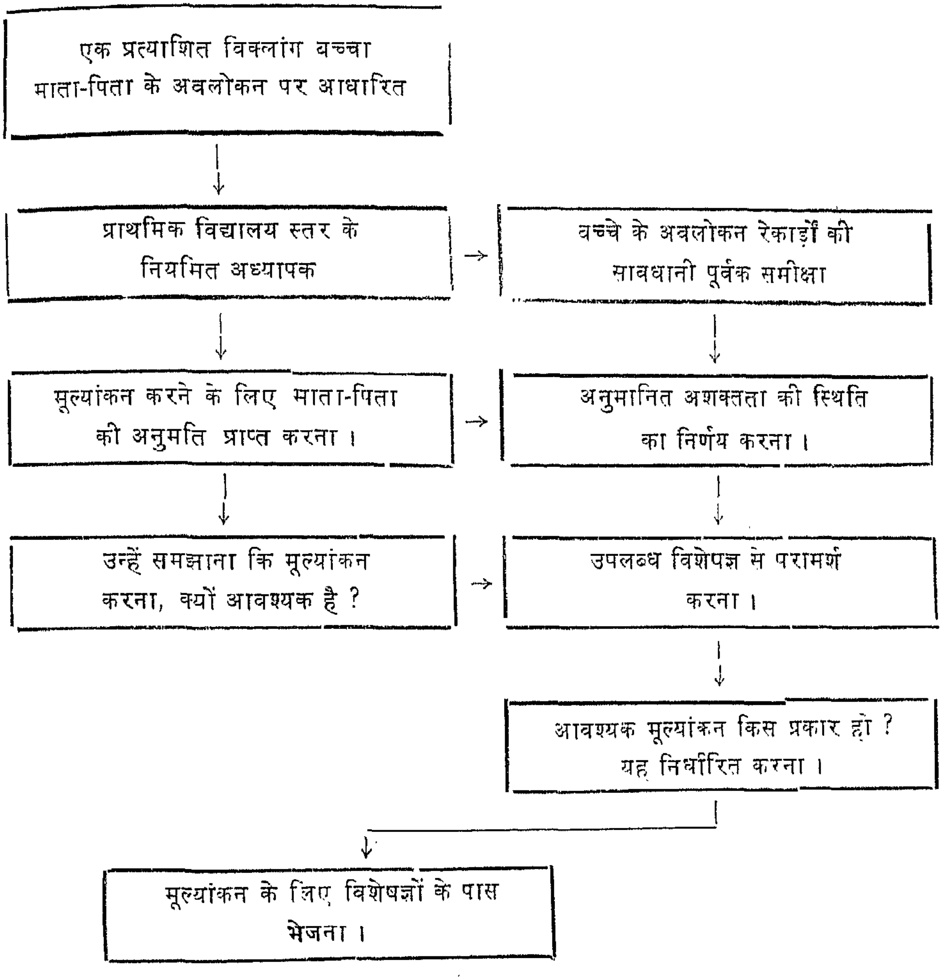
अध्यापक का सर्वप्रथम कर्तव्य यह होना चाहिए कि प्रारम्भिक अवस्था में विकलांगता की पहचान करना तथा उनकी क्षतिपूर्ति के लिए सहायक उपकरण दिलवाने में मदद करना है। इन बच्चों का वर्गीकरण करने से भी उद्देश्य की पूर्ति होने में मदद नहीं मिलेगी। इससे उनकी आत्म सम्बन्धी अवधारणाएं नष्ट हो जाएंगी तथा वे हतोत्साहित हो जाएंगे। इससे उनके मन में स्कूल के प्रति निराशावाद की भावना उत्पन्न होगी और वे शिक्षा प्रणाली से अलग कर दिए जाएंगे। अध्यापक से यह उम्मीद की जाती है कि वह इन बच्चों की समस्याओं तथा गुणों को समझें।

समेकित शिक्षा के कार्यक्रमों को अग्रसर करने में अध्यापक की क्या भूमिका होगी ? इस पर एक शीर्षक के अंतर्गत विचार किया जा सकता है, जो इस प्रकार है :

1—प्रारम्भिक अवस्था में विकलांगता की पहचान :

हमारे समाज में अधिकांश माता-पिता प्रारम्भिक अवस्था में विकलांगता की पहचान तथा विकलांगता के द्वारा लादी गई सीमाओं पर विजय प्राप्त करने के लिए हस्तक्षेपकारी सेवाओं से अनभिज्ञ है। ऐसी स्थिति में अध्यापक का प्रधान कर्तव्य है कि बच्चों का उचित समय पर मूल्यांकन करने में मदद करना है। आगे दिए गए आलेख में समझाया गया है कि एक अध्यापक विकलांग बच्चे की प्रारम्भिक अवस्था में पहचान तथा मूल्यांकन करने में कैसे मदद कर सकता है ?

विकलांगता की पहचान के लिए परामर्श सेवा



और सामान्य कोटि की विकलांगता वाले ऐसे बच्चे भी है जिनको पहचान के लिए आवश्यक समझी जाने वाली प्रणाली में पहले से ही भर्ती कर लिया गया है। विकलांगता के लिए आगे दी गई प्रश्न सूची को प्रयोग में लाया जा सकता है।

विकलांगता की पहचान के लिए प्रश्नसूची

बच्चे का नाम ....कक्षा..............

स्कूल का नाम..

....विभाग..............

---

1. क्या दूसरे बच्चों की तुलना में बच्चे को बैठने, उठने अथवा चलने में कोई कठिनाई होती है ? — हाँ/नहीं

2. क्या बच्चे को भोजन करने, कपड़ा पहनने अथवा कंघा करने में किसी प्रकार की समस्या उत्पन्न होती है ? — हाँ/नहीं

3. जब आप बच्चे से कुछ करने के लिए कहते हैं, तो आप जो कह रहे हैं, उसे समझने में बच्चे को कठिनाई अनुभव होती है ? — हाँ/नही

4. क्या बच्चे को देखने में किसी प्रकार की समस्या होती है ? — हाँ/नहीं

5. क्या बच्चे को सुनने में किसी प्रकार की दिक्कत होती है ? — हाँ/नहीं

6. क्या बच्चे की आवाज किसी तरह से भिन्न है ? जिसके कारण उसकी कक्षा के मित्रों को इसे समझने में दिक्कत होती है ? — हाँ/नहीं

7. क्या बच्चे को कभी कभी दौरे पड़ते हैं — हाँ/नहीं

8. बच्चे की तुलना आप उसकी उम्र के दूसरे बच्चों से कीजिए और यह जानने की कोशिश कीजिए कि क्या यह बच्चा किसी गतिविधि में मन्द बुद्धि दिखाई पड़ता है ? — हाँ/नहीं

9. क्या दूसरे हम उम्र बच्चों के समान बच्चे को काम सीखने में दिक्कत होती है ? — हाँ/नहीं

10. क्या बच्चे का सामना विभिन्न प्रकार की चीजों से होता है ? — हाँ/नहीं

11. क्या बच्चे की आंखें बार-बार डबडबा जाती है ? हाँ/नहीं

12. क्या बच्चा बार-बार आंखे रगड़ता है ? हाँ/नहीं

13. क्या शारीरिक विकृति, बच्चे को पढ़ने, लिखने और देखने में बाधक सिद्ध होती है ? हाँ/नहीं

14. क्या बच्चा बिना किसी मदद के इधर-उधर चल फिर सकता है ? हाँ/नहीं

15. क्या बच्चे के शारीरिक स्वास्थ्य का प्रभाव बच्चे के खेलकूद तथा पी.टी. आदि में लेने पर पड़ता है। हाँ/नहीं

16. क्या बच्चे के हाथ से प्रायः चीजें छूट जाती है अथवा दूसरे विद्यार्थियों के साथ पंक्तिबद्ध होने से उसे दिक्कत होती है ? हाँ/नहीं

17. क्या उत्तेजित होने के कारण बच्चा प्रायः अपना काम संतोषजनक ढंग से पूरा नहीं कर पाता ? हाँ/नहीं

18. क्या सुव्यवस्थित ढंग से कार्य न कर पाने के कारण बच्चे की किताबें गंदी रहती हैं तथा कक्षा कार्य समय पर पेश करने से उसे प्रायः देर हो जाती है ? हाँ/नहीं

19. क्या ठीक से सुनने के लिए बच्चा अपना सिर घुमाता है ? हाँ/नहीं

20. क्या बच्चा प्रायः अपने कान को कुरेदता रहता है और कानों में दर्द होने अथवा पीप आने की शिकायत करता है ? हाँ/नहीं

21. क्या बच्चा अध्यापक द्वारा कही गई बात को प्रायः पुनरावृत्ति के लिए कहता है ? हाँ/नहीं

22. दूसरों का उत्तर देने में तथा अपने आसपास होने वाली घटनाओं के प्रति प्रक्रिया व्यक्त करने में बच्चा सुस्त और मन्द दिखाई देता है ? हाँ/नहीं

23. क्या किसी नई चीज को सीखने में बच्चा दूसरे बच्चों की अपेक्षा बहुत अधिक समय लेता है ? हाँ/नहीं

24. क्या अमूर्त विचारों को ग्रहण करने में बच्चे को कठिनाई होती है और उसे सीखने के लिए अनुभव की जरूरत होती है ? हाँ/नहीं

सामान्य अध्यापक न केवल विकलांग बच्चों के गुण-दोषों की पहचान करता है बल्कि शिक्षा में उसके स्थान के निर्धारण करने की योजना भी तैयार करता है तथा उसकी आवश्यकताओं के अनुरूप सामग्री की व्यवस्था भी करता है। कठिन विषयों में सुधारात्मक अभ्यास तैयार करवाने में भी वह संसाधन अध्यापक की सहायता करता है।

2. एकीकृत शिक्षा के परिवेश में विकलांगों की स्थिति का निर्धारण :

एकीकृत शिक्षा कक्षा में विकलांगों की स्थिति के निर्धारण की योजना में अध्यापक की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है क्योंकि अध्यापक को न केवल बच्चे के कार्य के स्तर की जानकारी होती है बल्कि उसे बच्चे के काम करने की क्षमता की भी पर्याप्त समझ होती है। एकीकृत शिक्षा प्रणाली से बच्चे की स्थिति को निर्धारित करने के लिए अध्यापक, मनोविज्ञानिक, विशिष्ट अध्यापक, और डाक्टर आदि जैसे विशेषज्ञों की सहायता ले सकता है।

उचित स्थिति निर्धारण के लिए दल के द्वारा दिए गए रिकार्डों को देखने की आवश्यकता होती है : डाक्टरी इतिहास एवं शैक्षिक योग्यता। मूल्यांकन के उद्देश्य से निगरानी रखने के लिए अध्यापक इन रिकार्डों को रख सकता है। इन रेकार्डों से विकलांग बच्चों से सम्बन्धित जरूरी जानकारी भी मिल सकती है। सामान्य रिकार्ड रखने के लिए रूप रेखा इस प्रकार है :

सामान्य रिकार्ड सूची पत्र

नाम..

लिंग..

विकलांगता के प्रकार ....

जन्म तिथि..

स्कूल में भर्ती करवाने की तिथि...

किस प्रकार के स्कूल में शिक्षा प्राप्त की...................................

प्रयोग में लाई गई सहायक सामग्री ....

वर्तमान शिकायतें...

समस्या की कोटि	दृष्टिहीनता	श्रवणहीनता	अस्थि विकलांगता	मानसिक पिछड़ापन	अधिगम विकलांगता
स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्या					

उपलब्धियाँ	गणित	भाषा प्रथम	भाषा द्वितीय	सामान्य विज्ञान	पर्यावरण विज्ञान	कला तथा शिल्प
सामान्य विषय के अध्यापक						
कक्षा-अध्यापक						
अध्यापक की प्रेक्षण सम्बन्धी रिपोर्ट						

विशेष प्रकार की समस्याओं के लिए रिकार्ड भी विशेष रूप से रखे जाने चाहिए। इनसे हमें उन कठिनाईयों की जानकारी मिलेगी जिनका सामना बच्चों को करना पड़ता है। कठिनाईयों की समस्या के निदान के लिए अध्यापक द्वारा किए गए उपायों की जानकारी भी होनी चाहिए। उदाहरण के तौर पर बच्चे की भाषा सम्बन्धी समस्या के मूल्यांकन के लिए फाइल में आगे दी गई सूचनाएं होनी चाहिए :

1. व्यंजन — (अ) सरल ध्वनियां
   (आ) मिश्रित ध्वनियां
2. व्याकरण का प्रयोग — (अ) विरामादि-विधान
   (आ) कालों का प्रयोग
   (इ) वाक्य संरचना
3. बोध स्तर — (अ) पढ़ना
   (आ) लिखना
   (इ) बोलना

4. लिखावट — (अ) स्पष्टता

(आ) वर्णों की उचित आकृति एवं आकार

5. वाणी दोष — (अ) उच्चारण सम्बन्धी—जोड़ना—तोड़ना

स्थानापन्न करना—छोड़ना

(आ) आवाज—स्वर < निम्न / उच्च

लयमुक्त < हकलाना / पुनरावृत्ति

इन सूचनाओं के आधार पर संसाधन अध्यापक निदान सम्बन्धी अभ्यासों को आयोजित कर सकता है तथा अध्यापक बच्चे की आवश्यकताओं के अनुसार शिक्षण को अनुकूल बना सकता है। प्रत्येक विकलांग बच्चे की उपलब्धियों का पाठ्यक्रम में अध्यापन सम्बन्धी की गई व्यवस्था के अनुसार किया जाना चाहिए।

3. पाठ्यक्रम में संशोधन, सामंजस्य एवं अनुकूलन :

एकीकृत शिक्षा कक्षा में विकलांग बच्चे का ध्यान निर्धारण करने के बाद अध्यापक से यह अपेक्षा की जाती है कि वह बच्चे की आवश्यकताओं के अनुसार शिक्षण सामग्री तथा शिक्षण विधि में परिवर्तन करे। परिवर्तन की योजना बनाते समय अध्यापक को यह सावधानी बरतनी चाहिए कि दो तरह के छात्रों को सीखने के लिए एक जैसा अभ्यास ही दिया जाए। अध्यापक को इस बात का ध्यान भी अवश्य रखना चाहिए कि कक्षा में शैक्षिक तथा अन्य गतिविधियों को पूरा करने के लिए बच्चे को आधारभूत सुविधाएं प्रदान की जाए। उनका मूल्यांकन करते समय दिए गए काम को पूरा करने के लिए आवश्यकतानुसार व्यवस्था के अतिरिक्त और कोई रियायत नहीं दी जानी चाहिए। जैसे दिए गए काम को पूरा करने के लिए अतिरिक्त समय देना, दृष्टिबाधित बच्चे के लिए ब्रैल पेपर की व्यवस्था, अस्थि विकलांग के लिए ऐसे फर्नीचर तथा उपकरणों की व्यवस्था जिन्हें उनकी जरूरतों के हिसाब से परिवर्तन किया जा सके, लिखने में अशक्त बच्चों के लिए मौखिक परीक्षाओं की व्यवस्था आदि। गंभीर श्रवण-दोष वाले बच्चों के लिए अध्यापक मौखिक परीक्षाओं के स्थान पर लिखित परीक्षाओं की अनुमति भी दे सकता है।

4. अध्यापक का विकलांग बच्चों के प्रति अनुकूल व्यवहार :

अध्यापक को विकलांगताओं से सम्बन्धित अपने पूर्वनिर्धारित विचारों के आधार पर भेदभाव युक्त व्यवहार नहीं करना चाहिए । सर्वप्रथम अध्यापक को विकलांग बच्चों के अनकूल वातावरण तैयार करना चाहिए जिसमें उनके साथ सामान्य समकक्षों, सामान्य अध्यापकों सामान्य बच्चों के माता-पिता जैसा व्यवहार हो । इस तरह का व्यवहार बच्चे के लिए स्वास्थ्यकारी होगा तथा इससे बच्चे के दूसरे किसी भी सामान्य बच्चे की तरह विकास में मदद मिलेगी । विकलांग बच्चों तथा उनकी शिक्षा में शामिल अन्य व्यक्तियों के बीच अध्यापक मध्यस्थ होता है । इस कारण वह इन व्यक्तियों के व्यवहार में परिवर्तन करने में मदद कर सकता है । इससे बच्चे के सामाजिक एकीकरण को बढ़ावा मिलेगा । समकक्षों, माता-पिता तथा अध्यापकों के नकारात्मक व्यवहारयुक्त बच्चे की आत्म संबंधी अवधारणा को क्षति पहुंच सकती है । विकलांग बच्चों के प्रति सामान्य वातावरण तैयार करने में अध्यापक की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती है क्योंकि अध्यापक समाज के उन महत्वपूर्ण सदस्यों में से एक है जिससे हम समाज के दृष्टिकोण को बदलने की आशा करते हैं । समाज के दृष्टिकोण को बदलने के लिए अध्यापक सम्मेलनों, भाषणों, वीडियो फिल्मों स्लाइडों आदि का आयोजन कर सकता है तथा विकलांगों के गुणों और बेहतर राष्ट्रीय जीवन के विकास के लिए जागरूकता पैदा करने के लिए संचार साधनों की मदद ले सकता है ।

5. यथार्थ को स्वीकारने में बच्चे की सहायता कराना : अध्यापक को बच्चे की जरूरतों को कभी भी नजरदांज नहीं करना चाहिए । इसके कारण बच्चे में उपेक्षा की भावना उत्पन्न हो सकती है । यदि एक बार उसे यह महसूस हो गया कि वह उपेक्षित है तो इससे उसकी आत्म संबंधी अवधारणा नष्ट हो सकती है जो आगे चलकर उसके शैक्षिक निष्पादन को भी नष्ट कर सकती है ।

अध्यापक को बच्चे के साथ स्वाभाविक तरीके से पेश आना चाहिए जिससे कि बच्चा व्यवहार में किसी प्रकार का भेदभाव महसूस न करे । इसके साथ ही अध्यापक को बच्चे से इस तथ्य को भी नहीं छिपाना चाहिए कि वह समस्या का सामना कर रहा है । उसे बच्चे को यह स्वीकार करने में मदद करानी चाहिए कि काम के क्षेत्र में तो वह दूसरे बच्चों से भिन्न है लेकिन दूसरे क्षेत्रों में वह बिल्कुल भी भिन्न नहीं है । अपने बारे में इस प्रकार की समझ विकसित होने से उसे कई मनोवैज्ञानिक समस्याओं को कम करने में सहायता मिलेगी ।

6. उचित सहायता सामग्री और उपकरणों का प्रयोग

अध्यापक को हर प्रकार की विकलांगताओं के विषय में समझ होनी चाहिए । यदि कक्षा में आंशिक रूप से अंधेपन तथा ऊंचा सुनने वाले विद्यार्थी हैं तो अध्यापक को इस स्थिति में होना

चाहिए कि वह आंशिक रूप से अंधेपन से पीड़ित विद्यार्थियों को बड़ी छपाई वाली सामग्री तथा आवर्धक लैंस उपलब्ध करवा सके तथा ऊंचा सुनने वाले विद्यार्थियों को ऐसी सामग्री को प्रदान करवा सके जिसकी मदद से वह सुन और देख सके। इसी प्रकार अध्यापक को अस्थि विषयक विकलांगता, अधिगम संबंधी विकलांगता तथा मानसिक पिछड़ेपन आदि से पीड़ित बच्चों को उचित फर्नीचर तथा उपकरण उपलब्ध करवाना चाहिए। (विस्तृत जानकारी के लिए देखिए : संलग्नक)।

उपलब्ध सेवायें

अध्यापक प्रशिक्षण

अध्यापक को जो एकीकृत शिक्षा प्रणाली में कार्य कर रहे हैं उनके लिए विकलांगों से संबन्धित सेवाओं को जानना आवश्यक है ताकि वे समय पर ठीक ढंग से विकलांगों की सहायता कर सकें। इस संदर्भ में हमारे देश में 4 राष्ट्रीय संस्था और इनके 4 प्रान्तीय अध्यापक प्रशिक्षण केन्द्र हैं जो संसाधन विशेष अध्यापक को प्रशिक्षण देते हैं एवं शैक्षिक सामग्री जो उच्च कोटि के विकलांग बच्चों के लिए अथवा पूर्व प्रशिक्षण के लिए आवश्यक है तैयार करते हैं इनके विषय में आप इन संस्थाओं से सम्पर्क करके अधिकाधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इनके पते संलग्नक 4 में दिये गये हैं।

रा० शैक्षणिक अनु० एवं प्र० परिषद, नई दिल्ली की प्रशिक्षित अध्यापकों को एवं उन विशेषज्ञों को प्रशिक्षण देती है जो एकीकृत शिक्षा योजना को क्रियान्वित करने एवं देख-रेख में लगे हुए हैं। अभी तक 4 प्रशिक्षण राज्यों एवं केन्द्र प्रशासित राज्यों से आये हुए प्रशिक्षकों को प्रशिक्षत किया गया है जिनका उल्लेख निम्न तालिका में दिया है।

मुख्य कार्यकर्ता तालिका 5.1 जिन्होंने एकीकृत शिक्षा में प्रशिक्षण ग्रहण किया की संख्या (1.1)

क्रम संख्या.	केन्द्र शासित प्रदेशों/ राज्यों के नाम	भाग लेने वालों की संख्या 1983	1985-86	1986	1987	कुल
1.	आंध्र प्रदेश		1			1
2.	अगरतला		1			1
3.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	1				1
4.	बिहार		1	2	1	4
5.	चंडीगढ़		1		1	2
6.	दिल्ली	5	1	2	5	13
7.	हरियाणा	1		1	2	4
8.	जम्मू और काश्मीर			1		1
9.	केरल	2	2			4
10.	कर्नाटक	1		1	1	3
11.	मध्य प्रदेश	2	1	1		5
12.	महाराष्ट्र	2		2	1	4
13.	मिजोरम	1	1			2
14.	नागालैंड		1		1	2
15.	उडीसा	3	1			4
16.	पंजाब		2	3	1	6
17.	हिमाचल प्रदेश			1	1	2
18.	राजस्थान	2	1	1	3	7
19.	तमिलनाडु		1	3	1	5
20.	उत्तर प्रदेश	1		2	1	4
21.	गोआ				1	1
		20	15	20	20	75

इस संदर्भ में रा० शै० अ० परि० ने कुछ सामग्री अध्यापक प्रशिक्षण के लिए तैयार की है जिसक उल्लेख निम्नवत है

मुद्रित सामग्री :

— शर्मा, पी. एल. तथा जाँगीरा, एन. के., "संसाधन पुस्तिका : श्रवण दोष युक्त बच्चों को पढ़ाने वाले अध्यापकों का प्रशिक्षण, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् श्री अरविन्द मार्ग, नई दिल्ली-16

— मुखोपाध्याय, एस. तथा जाँगीरा, एन. के. "संसाधन पुस्तिका : दृष्टि दोष युक्त बच्चों के अध्यापकों का प्रशिक्षण रा. शै. अ. प्र. परिषद् नई दिल्ली-16

— शर्मा, पी. एल., "विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा के लिए प्राइमरी स्कूल के अध्यापकों के लिए हैंड बुक ।

— एन. सी. ई. आर. टी. परियोजना : विकलांगों के लिए समग्र शिक्षा का दस्तावेज ।

— जाँगीरा, एन. के., मुखोपाध्याय, एस., आई. ई. डी. कार्यक्रम की योजना तथा प्रबंध : एक पुस्तिका ।

— शर्मा, पी. एल., श्रवण दोषयुक्त बच्चों के लिए भाषा की पाठ सामग्री तथा शिक्षण पद्धति में परिवर्तन ।

— संप्रेषण : विकलांगों के लिए शिक्षा में समान अवसर (पी. आई. ई. डी. न्यूज लेटर (वाल्यूम 1 सं. 1;2 तथा 3, वाल्यूम 2, सं 1, 2 तथा 3, रा. शै. अ. प्र. परिषद् ।

— वर्मा, जे. मणि, एम. एन. जी. जाँगीरा, एन. के., विकलांगों के लिए रचनात्मक कला विषयक गतिविधियां ।

— विकलांगों के लिए समग्र शिक्षा : विकलांगों की समग्र शिक्षा में कार्यरत प्रमुख व्यक्तियों के लिए सूचना निर्देशिका ।

— स्कूल जाने वाले बच्चों में से विकलांगता की पहचान : प्रश्न सूची तथा दिशा निर्देशिका : रा. शै. अ. प्र. परिषद 1987 ।

— स्कूल तथा स्कूल के बाहर के बच्चों में विकलांगता की पहचान दिशानिर्देशिका, रा. शै. अ. प्र. परिषद 1987 ।

अमुद्रित सामग्री

— दिशाएं — विशेष शिक्षा यूनिट एवं सी. आई. ईट., एन. सी. ई. आर. टी. द्वारा निर्मित वीडियो फिल्म जो श्रवण, दृष्टि और मानसिक विकलांगता के तीन भागों मे है ।

— आलोक पथ पर — आई. ई. डी. स्कूल में दृष्टि दोष युक्त बच्चों पर वीडियो कार्यक्रम ।

— कहते सुनते स्वर — आई. ई. डी. स्कूल में श्रवण युक्त बच्चों पर वीडियो ( )

— खेल-खेल में — आई. ई. डी. में श्रवण दोष युक्त बच्चों के लिए शैक्षिक खेलों द्वारा एकीकरण के दो कार्यक्रम ।

— मनोविकास की ओर— आई. ई. डी. स्कूलों में मानसिक रूप से पिछड़े हुए बच्चों की शिक्षा के लिए कार्यक्रम ।

— एक दिन — स्कूल से बाहर क्रियाकलापों में भाग लेने वाले विकलांग बच्चों का अनुभव ।

एन. आई. ई. एच. द्वारा निर्मित फिल्म और वीडियो यूनीसेफ के पास उपलब्ध है ।

एन. सी. आई. ई. आर. टी. ने शिक्षा पर पत्रिकाओं के दो विशेप अंक प्रकाशित किए हैं :

(1) द प्राइमरी टीचर — खंड — 12, संख्या — 1 जनवरी, 1987

(2) भारतीय आधुनिक शिक्षा, वर्ष : पंचम, अंक — प्रथम, जुलाई, 1987

विकलांग बच्चों की समबन्धित शिक्षा योजना को तभी लागू किया जा सकता है जबकि अध्यापक यह जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार हो जाए । इसलिए शिक्षा प्रणाली के आयोजकों की ओर से यह ऐसा प्रयत्न किया जाना चाहिए कि वे उन्हें इस प्रकार की जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार करें ।

मुख्य बातें

— अध्यापकों, समकक्षों, और माता-पिता के सामान्य व्यवहार से शैक्षिक/अकादिमिक से एकीकरण में मदद मिलती है ।

— अशक्तता की कोटि तथा स्वाभाव की जानकारी होने से एक तो बच्चे को भी सहायता मिलती है, एवं दूसरे उसके अनुकूल शारीरिक तथा अकादमिक सुविधाओं की व्यवस्था कराने में भी मिलती है ।

— विकलांगों की शिक्षा तथा कल्याण में लगे हुए जनसमूहों का सम्मेलन बुलाकर तथा अभिविन्यास के द्वारा समेकित शिक्षा में विकलांगों की शिक्षा के बारे में फैली हुई भ्रामक धारणाओं को यथासंभव कम करने में मदद मिलती है ।

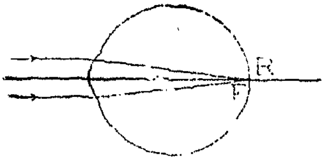
— "एकीकृत शिक्षा की अवधारणा की सही समझ होने से अध्यापक को यह निर्णय लेने में मदद मिलती है कि विकलांग बच्चे को सामान्य बच्चे के साथ शिक्षा देने के लिए किस प्रकार का परिवर्तन किया जाए ?

— नियमित रूप से की गई निगरानी तथा मूल्यांकन से अध्यापक को शिक्षण सामग्री तथा शिक्षण-विधि को और अधिक प्रभावशाली ढंग से संयोजित करने में मदद मिलती है ।

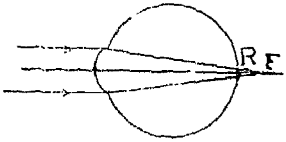
परिशिष्ट-I

दृष्टि सम्बन्धी दोष

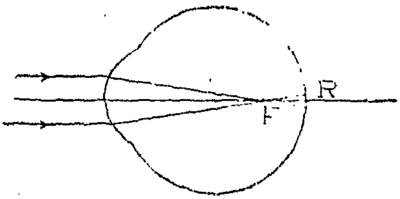
1-निकट दृष्टि : इसी को अल्पदृष्टि दोष के नाम से भी जाना जाता है। इसको अवतल लेंस लगाकर ठीक किया जा सकता है। इस प्रकार के बच्चे पास की वस्तुओं को ही देख सकते हैं। दूर की चीजों को देखने के लिए उनको आंखें मिचमिचानी पड़ती हैं।



Emmetropio



Hyperopia



Myopia

2-दीर्घ दृष्टि : इसी को दूर दृष्टि के नाम से भी जाना जाता है। एक खास दूरी को अथवा पास की चीजें इसमें साफ-साफ नजर नहीं आती हैं। इनको उत्तल लेंस के उपयोग से ठीक किया जा सकता है।

3-दृष्टि वैषम्य : दूरी की चीजें साफ नजर नहीं आती है। आंख में जो कार्निया होता है उसमें गलत वक्रता के कारण यह दोष पैदा होता है।

4-ग्लाकोमा : यह रोग आंख में जलीय द्रव आवश्यकता से ज्यादा बनने के कारण आंख की पुतली की ओर इसके प्रवाह में अवरोध पैदा होने से अथवा अग्रवती प्रकोष्ठ के अग्रवर्ती कोण से बहने में बाधा पैदा होने की वजह से हो सकता है। यदि आरंभिक अवस्था में इस पर ध्यान नहीं दिया गया तो इससे मरीज पूरी तरह अंधा हो सकता है।

5–मोतिया बिंदु : यह आंख की एसी अवस्था है जिसमें चक्षुपटल पर एक परत बन जाती है। इसके कारण देखने में कठिनाई होती है इसको शल्य चिकित्सा के द्वारा ठीक किया जा सकता है।

6-पेशीछेदन : आंखों की पेशियों के अलग होने के कारण आंखों के गोले सॉकेट के भीतर ही घूमते हैं। इससे आंखों में भेंगापन आ सकता है जहाँ आंख के दोनों गोले विपरीत दिशा में घूमते हैं। इस प्रकार संभव है कि एक समय में एक ही आंख काम करें।

अनुसूची—II

विकलांग बच्चों के लिए समेकित शिक्षा की योजना (संशोधित 1987)

1. प्रस्तावना

देश में स्वातंत्र्योत्तर अवधि में शैक्षिक अवसरों में अद्‌भुत विस्तार हुआ है। फिर भी, विकलांग बच्चे शैक्षिक सुविधाओं के इस विकास से पर्याप्त रूप से लाभान्वित नहीं हुए हैं। अतः राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 के अनुसार बच्चों के इस वर्ग की शिक्षा को 'एक समान शैक्षिक अवसरों' की व्यवस्था के अंन्तर्गत कर दिया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति, सामान्य स्कूलों में धीरे चलने वाले विकलांगों तथा अन्य मध्यम विकलांगों की शिक्षा की सिफारिस करती है। नीति का उद्देश्य है कि समान भागीदारों के रूप में आम समाज के साथ विकलांगों को समेकित करना, उन्हें सामान्य विकास के लिए तैयार करना और उन्हें साहस तथा विश्वास के साथ जीवन का सामना करने के योग्य बनाना। राष्ट्रीय शिक्षा नीति को कार्यान्वित करने के लिए बनाई गई कार्रवाई योजना में प्राथमिक शिक्षा के सार्वजनीकरण के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए विकलांग बच्चों के लिए शैक्षिक प्रावधानों के विस्तार की परिकल्पना की गई है।

2. लक्ष्य तथा उद्देश्य

विकलांग बच्चों के लिए केन्द्रीय प्रायोजित समेकित शिक्षा योजना (के. प्रा. स. शि. योजना) सामान्य स्कूलों में विकलांग बच्चों के लिए शैक्षिक अवसरों को प्रदान करने का दावा करती है। धीरे चलने वाले तथा अन्य विकलांग बच्चों के लिए अतिरिक्त, क्रियान्वित योजना यह सिफारिश करती है कि अन्य वे विकलांग बच्चे जिन्हें विशेष स्कूलों में रखा गया है, उन्हें भी समान स्कूलों में समेकन के लिए उस समय प्रोत्साहित किया जाना चाहिए जब कार्यात्मक स्तर पर सम्प्रेषण तथा दैनिक जीवन के कौशल अर्जित कर लें।

3. योजना का प्रारूप

यह एक केन्द्रीय प्रयोजित योजना है जिसके अन्तर्गत केन्द्र सरकार योजना में निर्धारित मानदंडों के आधार पर, योजना को क्रियान्वित करने के लिए राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों की सहायता प्रदान करेगी। योजना में शामिल की गई सभी मदों के लिए सहायता शत-प्रतिशत आधार पर होगी लेकिन कार्यक्रम के लिए सहायता योजना में यथा निर्धारित तकनीकी योग्य स्टाफ के पूर्व सृजन पर प्रतिनिधित होगी।

4. क्रियान्वयन एजेन्सियां

यह योजना, शिक्षा और/अथवा विकलांगों के पुनर्वास के क्षेत्र में अनुभव रखने वाले प्रतिष्ठित स्वायत संगठनों/राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्र के प्रशासनों के जरिए क्रियान्वित की जाएगी क्योंकि यह योजना स्कूल में लागू की जानी है, अत: क्रियान्वयन एजेन्सी शिक्षा विभाग होगी। राज्य सरकार जैसा भी संभव हो; इस प्रयोजनार्थ स्वैच्छिक संगठनों की सहायता ले सकती हैं।

5. क्षेत्र

5.1 विकलांग बच्चों के लिए इस योजना के अन्तर्गत शैक्षिक सुविधाएं प्रदान करने का प्रस्ताव है, वे इस प्रकार हैं :-

(क) गति विषयक विकलांग (हड्डी-विकलांग) वाले बच्चे।

(ख) कम और साधारण श्रवण क्षतिग्रस्त श्रेणियां* I और II

(ग) आंशिक रूप से दृष्टिहीन बच्चे (श्रेणियां I और एक आंख वाले*

(घ) दिमाग से विकलांक—बुद्धि-लब्धि 50-70 वाले शिक्षणीय वर्ग।

(ङ) बहुविधि रूप से विकलांग बच्चे (नेत्रहीन और हड्डी-विकलांग, श्रवण क्षतिग्रस्त और हड्डी-विकलांग, शिक्षणीय मानसिक रूप से मन्दबुद्धि और हड्डी विकलांग, दृष्टि क्षतिग्रस्त और अल्प श्रवण विकलांग)।

(च) सीखने की असमर्थता वाले बच्चे।

निम्नलिखित विकलांग बच्चों को भी तैयार करने के बाद सामान्य स्कूलों में समेकित किया जा सकता है :—

(च) दृष्टि से क्षतिग्रस्त बच्चे (श्रेणी II, III और IV)*

(ज) गंभीर श्रवण क्षतिग्रस्त बच्चे (श्रेणियां III और IV)

5.2 योजना के क्षेत्र में विकलांग बच्चों के लिए पूर्व स्कूल प्रशिक्षण और माता-पिता को परामर्श देना शामिल है। यह एक ऐसी गतिविधि होगी जो नियमित स्कूल पद्धति में आने वाले बच्चे के लिए प्रारंभिक होगी। इसमें अन्य बातों के साथ-साथ श्रवण विकलांग बच्चों के लिए

विशेष प्रशिक्षण, दृष्टि विकलांगों के लिए गतिशीलता और अनुस्थापन, माता-पिता को परामर्श तथा इन बच्चों के गृह प्रबन्ध में प्रशिक्षण शामिल है ।

5.3 इन योजना के अन्तर्गत विकलांग बच्चों की शिक्षा सीनियर सेकेण्डरी स्कूल स्तर तक जारी रहेगी और सीनियर सेकेण्डरी स्तर के समकक्ष व्यावसायिक पाठ्यक्रम शामिल है ।

5.4 कोई भी ऐसा विकलांग बच्चा जिसे राज्य/केन्द्र सरकार की किसी अन्य योजना के अन्तर्गत कोई छात्रवृत्ति/सहायता मिल रही है, वह इस योजना के अन्तर्गत किसी भी लाभ का पात्र नहीं होगा ।

6. क्रियान्वयन के लिए क्रिया विधि : -

6.2 क्रियान्वयन एजेंसी के द्वारा कार्यक्रम को क्रियान्वित करने, अनुश्रवण करने तथा मूल्यांकन करने करने के लिए उप-निदेशक के पद वाले एक अधिकारी के अन्तर्गत एक प्रशासनिक सेल स्थापित करना चाहिए । इन अधिकारियों का चयन इस क्षेत्र में उनकी विशेष अर्हताओं के आधार पर किया जाएगा, अथवा यदि वे इतने योग्य नहीं हैं, तो रा० शै० अ० प्र० परि० अथवा अन्य पदनामित संगठन द्वारा संचालित एक पाठ्यक्रम में प्रशिक्षित किया जाएगा । यह सेल योजना के क्रियान्वयन के लिए क्षेत्रों तथा संस्थाओं का पता लगाएगा ।

6.2. योजना के क्रियान्वयन को उपयुक्त रूप से आयोजना को तैयार करने तथा उनका पर्यवेक्षण करने के उद्देश्य से, इस योजना के अंतर्गत राज्य भर में स्कूलों को इधर उधर बिखेर कर स्थापित करने की अपेक्षा, योजना के संचालन के लिए कई विकासशील खण्डों का चयन किया जाना चाहिए । एक चुने हुए खंड के क्षेत्र में सभी वांछनीय निवेश उपलब्ध कराए जाने चाहिए तथा विकलांग बच्चों को अनिवार्य सुविधाएं प्रदान करने के लिए स्कूलों को शामिल किया जाना चाहिए ।

6.3. विभिन्न श्रेणियों के अंतर्गत विकलांग बच्चों का सर्वेक्षण चुनिन्दा क्षेत्रों में आरंभ किया जाएगा । सर्वेक्षण करते समय, स्कूल जाने वाले बच्चों की भी जांच की जाएगी ताकि विकलांग बच्चों का पता लगाया जा सके और अवरोधन के लिए उनकी शैक्षिक आवश्यकताओं और यू.पी.ई. के निर्धारित लक्ष्य प्राप्त करने के लिए उन्नत उपलब्धि को पूरा किया जा सके ।

6.4. राज्य स्तरीय सैल उपकरण, अध्ययन सामाग्रियों, स्टाफ के प्रशिक्षण आदि की व्यवस्था के जरिए विकलांग बच्चों की शिक्षा की व्यवस्था करने के लिए संस्थाओं के लिए सुविधाओं की

योजना बनाएगा । सैल विकलांग बच्चों के मूल्यांकन के लिए तंत्र भी स्थापित करेगा । राज्य स्तर पर योजना का मूल्यांकन और अनुश्रवण सेल द्वारा पुरा किया जाएगा । सैल इस बात को सुनिश्चित करेगा कि योजना के संबंध में सूचना व्यापक रूप से परिचित है ।

7. प्रशासनिक सेल

राज्य शिक्षा विभाग द्वारा स्थापित किए जाने वाले प्रशासनिक सैल के पास एक उप-निदेशक राज्य सरकार में दिए जाने वाले वेतनमान के अनुसार), एक समन्वयक (जो एक मनोविज्ञानी होगा) उस वेतनमान में जो एक विश्वविद्यालय के प्रवक्ता को दिया जाता है, राज्य/संघ शासित क्षेत्र में लागू वेतनमानों में एक आशुलिपिक तथा अवर श्रेणी लिपिक होगा ।

8. विकलांग बच्चों का मूल्यांकन

8.1. कार्यक्रम का समन्वयक बच्चों के मूल्यांकन तथा चल रहे आधार पर उनकी प्रगति को मोनिटर करने के लिए उतरदायी होगी । मूल्यांकन करने के लिए तीन सदस्यों से युक्त एक दल का गठन किया जाएगा जिसमें एक डाक्टर, एक मनोविज्ञानी और एक विशेष शिक्षक होगा । राज्य/संघ शासित क्षेत्र मूल्यांकन दल प्रशासनिक सैल के अन्तर्गत कार्य करेगा । विशेषज्ञ राज्य स्वास्थ्य विभाग के परामर्श से लिए जाएगें । जहां कहीं जिला पुनर्वास केन्द्र स्थापित किए गए हैं, मूल्यांकन के लिए इसके संसाधनों का उपयोग किया जाए ।

8.2. एक मूल्यांकन की औसत लागत 150 रु० प्रति विकलांग बच्चा से अधिक नहीं होनी चाहिए । बड़ी मात्रा में उन बच्चों की जांच करना अनिवार्य होगा जिन्हें एक समेकित कार्यक्रम में स्थापना के लिए उपयुक्त समझा गया है । मूल्यांकन दल के सदस्यों को यात्रा भत्ता और मंहगाई भत्ता सेवा नियमों के अनुसार दिया जाएगा ।

8.3. प्रत्येक राज्य की राजधानी अथवा जिला मुख्यालयों अथवा ऐसा कोई अन्य स्थान जहां समेकित स्कूल पद्धति में 50 अथवा इससे अधिक बच्चे नामांकित किए गए हो, एक मूल्यांकन केन्द्र होगा । जहां कहीं भी योजना को अभी आरंभ किया जाना है, ऐसे एक जिला मुख्यालय अथवा राज्य राजधानी अथवा ऐसा कोई स्थान जहां राज्य सरकार की राय में न्यूनतम 150 बच्चे प्रति बर्ष मूल्यांकन की आवश्यकता होगी, एक मूल्यांकन कक्ष उपलब्ध कराया जा सकता है ।

8.4. शैक्षिक कार्यक्रम तैयार करने के लिए मूल्यांकन रिपोर्ट अपेक्षाकृत व्यापक रूप से बड़ी होनी चाहिए । एक विशेष बच्चा जो परीक्षण संबंधी परिस्थितियों के दौरान कर सकता है अथवा नहीं कर सकता, उसके संबंध में पर्याप्त सूचना भेजी जानी चाहिए । रिपोर्ट में यह

उल्लेख विशिष्ट रूप से किया जाना चाहिए कि क्या बच्चे को स्कूल में प्रत्यक्ष रूप से भेजा जा सकता है अथवा इस प्रयोजनार्थ विशिष्ट रूप से सज्जित शिशु शिक्षा केन्द्र में विशेष स्कूल/विशेष आरंभिक कक्षा में तैयार किया जा सकता है ?

9. विकलांग बच्चों के लिए सुविधाएं

(1) सम्बंधित राज्य/संघ शासित क्षेत्र में अभिभावी दरों पर निम्नलिखित स्वरूप की सुविधाएं एक विकलांग बच्चे को दी जाएं। यदि अन्य किसी योजना के अन्तर्गत राज्य सरकार/संघ शासित क्षेत्र के प्रशासन द्वारा ऐसे ही प्रोत्साहन उपलब्ध नहीं कराए जाते हैं तो निम्नलिखित दरों को अपनाना चाहिए :

(क) 400 रु० प्रति वर्ष की पुस्तकें तथा लेखन सामग्री भत्ता।

(ख) 200 रु० प्रति वर्ष की वर्दी भत्ता।

(ग) 50 रु० प्रति माह की दर से परिवहन भत्ता।

यदि योजना के अंतर्गत दाखिल विकलांग छात्र स्कूल परिसर में स्थित छात्रावास में रहता है तो कोई भी परिवहन प्रभार अनुमत्य नहीं होगा।)

(घ) कक्षा-V के बाद नेत्रहीन बच्चों के मामले में 50, रु० प्रति माह का वाचक भत्ता।

(ङ) गंभीर रूप से उन विकलांगों के लिए जो शरीर के नीचले हिस्से से विकलांग है, को 75 रु० प्रति माह का रक्षण भत्ता।

(च) पांच वर्ष की अवधि के लिए अधिकतम 2000 रु० प्रति छात्र के आधार पर उपकरण की वास्तविक लागत।

(II) उन गंभीर रूप से हड्डी विकलांग बच्चों के मामले में, एक स्कूल 10 बच्चों के लिए एक परिचर की अनुमति देना अनिवार्य हो सकता है। परिचर को सबंधित राज्य/संघ शासित क्षेत्र में कक्षा-IV के कर्मचारियों के लिए निर्धारित मानक वेतनमान दिया जाना चाहिए।

(III) उसी संस्था में जहां वे विकलांग बच्चे पढ़ रहे हैं, और स्कूल छात्रावासों में रह रहे हैं उन्हें भोजन तथा आवास जो भी राज्य सरकार नियमों/योजनाओं के अंतर्गत अनुमत्य हों, दिए जाने चाहिए। जहां छात्रावास में रहने वालों के लिए कोई राज्य

छात्रवृत्ति योजना नहीं है, तो वह विकलांग बच्चा जिसके माता-पिता की आय 3000 रु० प्रति माह से अधिक नहीं है, उसे अधिकतम 200 रु० प्रति माह के आधार पर वास्तविक भोजन तथा आवास प्रभार दिए जाएं ।

(IV) स्कूल छात्रावासों में रह रहे गंभीर रूप से हड्डी विकलांग बच्चों को एक सहायक अथवा एक आया की जरूरत पड़ सकती है । छात्रावास के उस किसी भी कर्मचारी को 50 रु० प्रति माह का विशेष वेतन अनुमत्य है, अपने कार्यों के अतिरिक्त बच्चों की सहायता करने के लिए इच्छुक हो । इस योजना के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों के उन स्कूलों में, जहां कम से कम 10 अपंग बच्चे दाखिल हैं वहां इन बच्चों के लिए निःशुल्क उपयोग के लिए एक स्कूल रिक्शे की मूल लागत तथा रिक्शा चलाने वाले के लिए 300 रु० प्रति माह का व्यय प्रदान किया जाएगा । ऐसे मामलों में छात्रों को यातायात भत्ता देय नहीं होगा ।

10. विशेष शिक्षक सहायता

अपंग बच्चों की ओर विशेष ध्यान देने के लिए उन स्कूलों में विशेष शिक्षा शिक्षक नियुक्त किए जाएगें जहां यह योजना चल रही है । अंधे तथा कम सुनने वाले बच्चों के लिए विशेष शिक्षक सहायता अपेक्षित है । तैयारी के पश्चात एकीकृत शिक्षा के अंतर्गत यदि अधिक तथा उससे कम सुनने वाले बच्चे दाखिल किए जाते हैं तो उनके लिए भी विशेष शिक्षक सहायता की आवश्यकता होगी । लोकोमोटर अपंगता वाले बच्चों के लिए विशेष शिक्षक सहायता की आवश्यकता नहीं होगी । इसी प्रकार से, कम मन्द-बुद्धि वाले बच्चों के लिए विशेष शिक्षक सहायता की आवश्यकता नहीं होगी तथा इन बच्चों के लिए साधारण कक्षाध्यापक ही शिक्षा के कार्यक्रम को शुरू कर सकता है ।

11. विशेध शिक्षकों की नियुक्ति

11.1. इस योजना के अंतर्गत विशेष शिक्षा शिक्षकों के लिए शिक्षा छात्र अनुपात 1:8 है । यह अनुपात सामान्य कक्षाओं के साथ-साथ पूर्व स्कूल तैयारी कक्षाओं के लिए भी वही है । वही शिक्षक अविभावकों को परामर्श देगा । इस अनुपात के अनुसार, विशेष शिक्षक सहायता की आवश्यकता वाले बच्चों के लिए स्कूलों में (अथवा कुछ स्कूलों के समूह के लिए) अपेक्षित संख्या विशेष शिक्षक नियुक्त किए जाएगें ।

11.2. अर्हताएं : नियुक्त किए गए विशेष शिक्षकों की निम्नलिखित अर्हताएं होंगी :

(क) प्राईमरी शिक्षक : माध्यमिक शैक्षिक अर्हता (विशेषकर 10+2) सहित विशेष अपंगता वाले बच्चे की शिक्षा में एक वर्षीय पाठ्यक्रम ।

(ख) माध्यमिक : विशेष अपंगता में विशेषज्ञता सहित एक वर्षीय बी. एड. (विशेष शिक्षा) सहित स्नातक ।

11.3 वेतनमान : राज्यों/संघ शासित प्रदेशों में उसी श्रेणी के शिक्षकों के मिलने वाले वेतनमान विशेष शिक्षकों को भी वही वेतनमान दिए जाएगें । विशेष प्रकार के कार्यों को ध्यान में रखते हुए, इन शिक्षकों को शहरी क्षेत्रों में 150 रु0 प्रतिमाह तथा ग्रामीण क्षेत्रों में 200 रु० प्रतिमाह का विशेष वेतन दिया जाएगा । इन कार्य के लिए शिक्षा विभाग सामान्य भर्ती पद्धति का पालन करते हुए ऐसे शिक्षकों की भर्ती कर सकता है ।

12. विशेष शिक्षकों का प्रशिक्षण

विशेष शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए अब सुविधाएं राष्ट्रीय अपंग संस्थान तथा विश्वविद्यालयों और चुनिन्दा शिक्षा कालेजों के विशेष शिक्षा विभागों में चलाए जा रहे क्षेत्रीय शिक्षा कालेजों तथा क्षेत्रीय प्रशिक्षण केन्द्रों में उपलब्ध हैं । प्रशिक्षण सुविधाओं को और बढ़ाया जा रहा है । राज्य सरकारें प्रत्येक श्रेणी की अपंगता के अंतर्गत नियुक्त किए जाने वाले शिक्षकों के लिए अनुमान तैयार कर सकते हैं तथा उसे क्षेत्रीय शिक्षा कालेज, राष्ट्रीय अपंग संस्थान तथा रा० शै० अ० प्र० परि० को सूचित करते हुए वि० अ० आयोग को भेज सकते है ।

योजना के अंतर्गत, विशेष शिक्षकों के लिए पूर्ण कालिक प्रशिक्षण पाठयक्रमों को चलाने के लिए वि० अ० आयोग के माध्यम से अनुदान दिया जाएगा । विश्वविद्यालयों/प्रशिक्षण संस्थानों से यह आशा की जाती है कि वे विद्यमान अवस्थापना सुविधाओं तथा अन्य संसाधनों का काफी हद तक उपयोग करेंगी । अतिरिक्त सुविधाओं/उपस्कर/स्थान तथा अतिरिक्त संकाय सदस्यों के लिए राशि को इस योजना के अंतर्गत दी गई निधियों में से वहन किया जाएगा ।

13. अन्य स्टाफ का प्रशिक्षण

एकीकृत शिक्षा का सफलतापूर्वक कार्यान्वियन स्कूलों में प्रशासकों तथा सामान्य शिक्षकों की क्रियाशीलता पर निर्भर करता है । योजना के कार्यान्वियन से सम्बद्ध प्रशासकों, संस्थानों के

प्रमुखों तथा सामान्य शिक्षकों के लिए अल्प-अवस्थापना पाठ्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। प्रशासकों/प्रमुख व्यक्तियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम रा० शै० अ० प्र० परिषद द्वारा आयोजित किया जाएगा। राज्य सरकारें/संघ शासित प्रशासत आर० सी० ई० तथा अपंगों के लिए एकीकृत शिक्षा योजना को कार्यान्वित करने वाले संस्थाओं के प्रमुखों के लिए 3 दिन की अवधि का तथा सामान्य शिक्षकों के लिए 5 दिन की अवधि का अवस्थापना कार्यक्रम आयोजित कर सकते हैं। इन अवस्थापना कार्यक्रमों के लिए मापाक रा० शै० अ० प्र० परिषद द्वारा किए जाएंगे। भाग लेने वालों का यात्रा भत्ता। दैनिक भत्ता सम्बंधित राज्य सरकारों/संघ शासित प्रशासनों द्वारा वहन किया जाएगा। संसाधन व्यक्तियों को मानदेय तथा यात्रा भत्ता। दैनिक भत्ता तथा आकस्मिक व्यय इन योजना में से वहन किया जाएगा। 3 दिवसीय अवस्थापना कार्यक्रम की अनुमानित लागत 3000 रु० दिवसीय कार्यक्रम की लागत 4200 रु० आंकी गई है।

14. संसाधन कक्ष

सभी अनिवार्य उपस्कर, अध्ययन सहायक सामग्री वाले संसाधन कक्ष समेकित शिक्षा की योजना को कार्यान्वित दर वाले स्कूलों के समूह को प्रदान किया जाएगा। रा० शै० अ० प्र० परि० ने एक पुस्तिका भी निकाली है जिसमें संसाधन कक्ष में दी गई सुविधाओं का उल्लेख किया गया है। विभिन्न अपंगताओं के लिए अपेक्षित उपस्करों की सूची (अनुबंध-II) में संलग्न हैं। ऐसे उपस्करों की अनुमानित लागत 30,000 रु० है। उपस्कर का आवश्यकता संबंध स्कूलों में दाखिल किए गए छात्रों की अपंगता की विविधता पर आधारित होगी। संसाधन कक्षा विशेषकर स्कूल में विद्यमान कमरे में ही खोला जाएगा। नया कमरा केवल जहां राज्य सरकार की संतुष्टि का आवास उपलब्ध न हो। ऐसी परिस्थितियों में स्कूलों में संसाधन कक्ष के निर्माण के लिए अधिकतम 40,000 रु० तक का अनुदान दिया जाएगा।

15. वास्तुकला अवरोधों को दूर करना

वास्तुकला अवरोधों को दूर करने तथा विद्यमान वास्तुकला सुविधाओं में संशोधन करना आवश्यक होगा ताकि स्कूल के अन्दर ही अपंग बच्चों की पहुंच को आसान बनाया जा सके। इस कार्य के लिए ऐसे स्कूलों को अनुदान दिया जाएगा जहां कम से कम 10 अपंग बच्चे दाखिल हों।

16. शिक्षण सामग्री

इस समय विभिन्न अपंगता वाले बच्चों के लिए शिक्षण सामग्री को तैयार करने के लिए देश में पर्याप्त सुविधाएं विद्यमान नहीं है। योजना के सफलतापूर्वक कार्यान्वयन के लिए अपंगों

के लिए अपेक्षित क्षिशण अध्ययन सामग्री की उपलब्धता बहुत जरूरी है। ऐसी सामग्री की आवश्यकता अस्थि अपंग बच्चों को शामिल करने के साथ ही वैठने की संभावना है। अपंगों के लिए शिक्षण सामग्री की खरीद। उत्पादन तथा इसके लिए अपेक्षित उपस्करों की खरीद के लिए इस योजना के अंतर्गत वित्तीय सहायता दी जाएगी। जहां कहीं भी आवश्यक होगा, उपलब्ध सामग्री को क्षेत्रीय भाषाओं में अनुवाद किया जाएगा अथवा तैयार किया जाएगा।

17. नियमों में छूट के लिए विनियम

शिक्षा पर अपंग बच्चों की पहुंच में सुधार लाने के लिए राज्य सरकारों/संघ शासित प्रशासनों तथा अन्य कार्यान्वित एजेंसियों को दाखिले, दाखिले के लिए कम से कम अथवा अधिक से अधिक आयु सीमा, पदोन्नति, परीक्षा पद्धति आदि से सम्बंधित नियमों में छूट देने के लिए दाखिले का प्रावधान में सामान्य पात्रता (6 वर्षों के अलावा 8-9 वर्षों तक) अनिवार्य हैं।

18. पूर्व स्कूल तथा प्रारंभिक बाल देख-रेख शिक्षा

अपंग बच्चों को शिक्षा के लिए तैयार करना अत्यन्त आवश्यक होने की वजह से राज्य सरकारों द्वारा पूर्व-स्कूल तथा प्रारंभिक बाल देख-रेख शिक्षा की सुविधाएं विकसित की जाएगी। चयन के आधार पर विद्यमान केन्द्रों को इस कार्य के लिए सुसज्जित किया जाएगा।

19. अनुदानों की प्रक्रिया

कार्यान्वित एजेंसियों को अपने कार्यक्रमों को तैयार करना चाहिए, अपनी वित्तीय आवश्यकताओं का मूल्यांकन करना चाहिए तथा अगले वित्तीय वर्ष के लिए अपने ब्यौरेवार प्रस्तावों को मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार (शिक्षा विभाग) को प्रत्येक वर्ष दिसम्बर के अंत तक भेज देना चाहिए। प्रस्तावों में अनुबन्ध-III में दिए ग० प्रपत्र में विभिन्न विषयों पर पूरी जानकारी देनी चाहिए। प्रस्तावों के साथ-साथ पिछले वर्ष मुक्त किए गए अनुदानों के संबंध में उपयोगिता प्रमाण पत्र तथा पिछले वर्ष की कार्यान्वयन रिपोर्ट भी भेजी जानी चाहिए जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ शामिल किए गए क्षेत्र, शामिल किए गए शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रमों आदि को भी दर्शाया जाना चाहिए।

प्रस्तावों में यह स्पष्ट रूप में बताया जाना चाहिए कि अपंग बच्चों को विभिन्न भर्ती के संबंध में राज्य सरकारों की दरों को लिया गया है अथवा किसी राज्य सरकारों के उपलब्ध न

होने के वजह से इस योजना मे दी गई दरों को अपनाया गया है। तत्पश्चात् फरवरी के अंत में कार्यान्वित एजेंसियों के प्रस्तावों की जांच की जाएगी तथा अनुमत्य अनुदान की 50% राशि की पहली किश्त कार्यान्वित एजेंसियों को उस वित्तीय वर्ष की पहली तिमाही में स्वीकृत की जाएगी ताकि योजना के सही तरह से कार्यान्वियन के लिए निधियों की कोई कमी न हो। बकाया 50% राशि कार्यान्वित एजेंसी द्वारा पहले स्वीकृत किए गए अनुदान की कम से कम 75% राशि की उपयोगिता की रिपोर्ट प्राप्त होने पर दे दी जाएगी। इस योजना को कार्यान्वित करने के इच्छुक स्वायत्त संगठन अपने आवेदन पर सम्बन्धित राज्य सरकारों!संघ शासित प्रशासनों के माध्यम से भेजें। 1987-88 के लिए, राज्य सरकारों/संघ शासित प्रशासन अपने प्रस्ताव मंत्रालय को भेज सकते हैं तथा वर्ष के लिए प्रस्तावों के प्राप्त होने के पश्चात् तीन सप्ताह के अन्दर 50% स्वीकृत राशि दी जाएगी तथा बाकी 50% राशि तक दी जाएगी जब राज्य/संघ शासित प्रशासन पहले दी गई राशि का 75% खर्चा कर लेगा।

20. मूल्यांकन तथा अनुश्रवण

20.1 राज्य सरकारें/संघ शासित प्रशासन चुनिन्दा क्षेत्रों/स्कूलों में कार्यक्रम के समवर्ती मूल्यांकन के लिए संस्थानों/एजेंसियों को चुन सकती हैं। ऐसे मूल्यांकन अध्ययन की लागत को योजना के अंतर्गत राज्य सरकारों को प्रतिपूर्ति करेगा। केन्द्रीय सरकार योजना अवधि के अंत में रा० शै० अ० प्र० परि० (अथवा अन्य संस्थाओं) के माध्यम से योजना के कार्यान्वियन का संक्षिप्त मूल्यांकन करेगी।

20.2 रा० शै० अ० प्र० परि० की एक प्रति सहित प्रपत्र I-II- में मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग) को एक तिमाही प्रगति रिपोर्ट भी भेजेगा।

अनुबन्ध-I

कल्याण-मंत्रालय की अधिसूचना सं० 4.2/83 एच. डब्ल्यू III दिनांक 6.8.86 से उद्धरण

श्रवण क्षतिग्रस्त श्रेणियां

क्रम सं. 1.	श्रेणी 2.	क्षतिग्रस्त के प्रकार 3.	डी बी स्तर और/या 4.	वाक पृथक्करण 5.	क्षतिग्रस्त की प्रतिशतता 6.
1.	I	मंद श्रवण क्षतिग्रस्त	ठीक कान में 26 डी बी. से 40 डी बी.	ठीक कान में बी डी से 100%	40% से कम
2.	II	मध्यम श्रवण क्षतिग्रस्त	ठीक कान में 41 से 55 डी बी.	ठीक कान में 50 से 80%	40% से 50%
3.	III	गंभीर श्रवण क्षतिग्रस्त	ठीक कान में श्रवण क्षतिग्रस्त 56 से 70 डी बी.	40% से 50%	50% से 75%
4.	IV	(क) कुल बहरापन	श्रवण नहीं	पृथक्करण नहीं	100%
		(ख) कुल बहरेपन के पास	ठीक कान में 91 डी बी और अधिक	—वहीं—	100%
		(ग) गंभीर श्रवण	71 से 90 डी बी. क्षतिग्रस्त	ठीक कान में 40% से कम	75%—100%

परीक्षण संबंधी सिफारिशों के अनुसार वायु संचालन द्वारा 500, 1000 और 2000 एच जेड की श्रवण शक्ति के नितांत औसतन ध्वनि पर विचार किया जाना चाहिए। इसके साथ ही यह भी नोट किया जाना चाहिए कि—

(क) जब बेहतर कान की 1/2 बारम्बारता में श्रवण शक्ति की उपस्थित का एक ही द्वीप समूह हो तो इसे श्रवण शक्ति की पूर्व हानि समझी जानी चाहिए।

(ख) जहां कहीं (500, 1000, 2000 एच जेड) की किन्हीं तीन बारम्बारताओं में कोई प्रत्युतर न हो तो इसे अपंगता के वर्गीकरण और औसत निकालने के लिए 130 डी बी हानि के बराबर समझा जाना चाहिए। यह बात इस तथ्य पर आधारित है कि अधिकांश श्रवण मीटरों में अधिकतम सघनता की सीमा 110 डी बी होती है और परीक्षण के लिए कुछ श्रवण मीटरों में/20 डी बी के लिए अतिरिक्त सुविधा उपलब्ध होती है।

दृष्टि क्षतिग्रस्त श्रेणियां

सभी संशोधनों सहित

	ठीक नेत्र	खराब नेत्र	प्रतिशत क्षतिग्रस्त
श्रेणी 0	9/9 —6/18	6/24 से 6/36	20%
श्रेणी I	6/18—6/36	6/60 से शून्य	40%
श्रेणी II	6/60—4/60	3/60 से शून्य या 110-20 दृश्य का श्रेत्र	75%
वही III	3/60 से 1/60 या 100 दृश्य का श्रेत्र	1 फुट से शून्य तक एफ. सी. एफ. सी. 100 दृश्य का क्षेत्र	100%
वही IV	1 फुट से शून्य तक एफ. सी. या 100 दृश्य का क्षेत्र		
एक नेत्र वाला व्यक्ति	6/6	1 फुट से शून्य तक एफ. सी.	30%

मूल्यांकन की विधि चिकित्सा परीक्षण की पुस्तिका में अनुशासित के अनुसार होनी चाहिए। केवल 20% से 40% या कम के क्षतिग्रस्त सहायता और उपकरणों के हकदार होंगे :

अनुबन्ध-II

संसाधन कक्ष के लिए उपकरण की आवश्यकता
उपकरण और सामगी की विकलांगता-वार सूची

विकलांगता	सहायता और उपकरण		स्कूलों के मध्य	शैक्षिक-सामग्री
	वैयक्तिक	स्कूल के अन्दर बांटी जाने वाली सामग्री		
1.	2.	3.	4.	5.
अस्थि विकलांग	समायोज्य फर्नीचर, विशेष लेखन सामग्री, मोटा पेन	समायोज्य फर्नीचर तात्कालिक कृत्रिम अंगों के विकास के लिए प्रावधान		
दृष्टि क्षतिग्रस्त नेत्रहीन	ब्रेल, स्लेट और स्टाइलस, एबाकस टेलर फ्रेम, गतिशील केन	ब्रेलर, एबाकस, टेलर फ्रेम, कैसेट और बोलने वाली पुस्तकें, मानचित्र, उत्कीर्ण मनोरंजनात्मक सामग्री	ब्रेल शीट, थर्मोफोर्म मशीन इंडु ब्रेलन, ब्रेलर के लिए रखरखाव सेवाएं, उत्कीर्ण मनोरंजात्मक सामग्री	ब्रेल पाठ्य पुस्तकें, कैसेट और बोलने वाली पुस्तकों पर सामग्री
आंशिक दृष्टि और कमजोर दृष्टि बच्चे	चश्मे के साथ इस्तेमाल किए जाने वाले विशेष अनुकूली उपकरण जैसे हस्त आवर्धकन, सुवाह्य पढ़ने वाले लैम्प	समायोज्य आवर्धकों के साथ विशेष रूप से बनाए डैस्क, श्यामपट्टों के स्थान पर श्वेतपट	प्रचुर मुद्रित सामग्रियां प्रस्तुत करने के लिए विशेष व्यवस्था	प्रचुर मुद्रित सामग्रियां

श्रव्य श्रतिग्रस्त	वैयक्तिव श्रव्य सहायता	आवाज प्रशिक्षण, वाणी चिकित्सा विज्ञान के लिए 3'X6' आकार का शीशा, प्रत्येक कक्षाकक्ष में 10'X6' बड़े शीशे, समूह श्रव्य सहायता के लिए सहायक सामग्री और उनके सैल	औडियोमीटर, आवाज प्रशिक्षक, श्रव्य सहायता के लिए सुविधाओं का रखरखाव	विशेष अध्यापन सामग्रियां जैसे फुलेश कार्ड, चार्ट शैक्षिणिक खेल, कक्षाकक्ष के क्रियाकलापों की पत्रिकाएं
मानसिक रूप से विकलांग		मारिया मांटेसरी किट्स की रूपरेखाओं पर तैयार या शीघ्र बाल्य शिक्षा कार्यक्रम के लिए रा. शै. अ. प्र. परिषद द्वारा प्रस्तुत संवेदिक उपकरण और किट		औसत से कम पढ़ने वाले स्तर पर लिखी सामग्री

अनुबन्ध-III

विकलांग बच्चों की समेकित शिक्षा की योजना के अन्तर्गत वित्तीय सहायता के लिए प्रावधान

भाग-I प्रशासनिक स्टाफ

(क) पदों की सृजन;

(ख) तिथि जब से पदधारी इन पदों पर कार्य कर रहे हैं;

(ग) पदों का वेतनमान;

(घ) पदधारियों की योग्यताएं

(ङ) अनुमानित व्यय ।

भाग-II विद्यमान कार्यक्रम :

(क) शामिल स्कूलों की संख्या;

(ख) विकलांगता-वार दाखिल बच्चों की संख्या और बच्चों की विभिन्न श्रेणियों के लिए छात्रवृत्ति पर अनुमानित व्यय;

1. दृष्टि क्षतिग्रस्त;

2. श्रव्य और वाणी क्षतिग्रस्त;

3. विकृत अंग विकलांग;

4. मानसिक रूप से विकलांग;

(ग) विशेष शिक्षकों की संख्या और उन पर अनुमानित व्यय;

(घ) सहायकों की संख्या और उन पर अनुमानित व्यय;

(ङ) छात्रावास में रहने वाले बच्चों की संख्या और उन पर व्यय ।

भाग-III नये कार्यक्रम :

(क) शामिल किए जाने वाले प्रस्तावित स्कूलों की संख्या;

(ख) विकलांगता-वार शामिल किए जाने वाले प्रस्तावित बच्चों की संख्या और बच्चों की विभिन्न श्रेणियों के लिए छात्रवृत्तियों पर अनुमानित व्यय;

(ग) नियुक्त किए जाने वाले प्रस्तावित विशेष शिक्षकों की संख्या और उन पर अनुमानित व्यय;

(घ) नियुक्त किए जाने वाले प्रस्तावित सहायकों की संख्या और उन पर अनुमानित व्यय ।

(ङ) छात्रावास में जाने वाले प्रस्तावित बच्चों की संख्या और उन पर अनुमानित व्यय ।

भाग-IV व्यय की अन्य मदें :

(क) पूरे ब्यौरों सहित शिक्षकों/अन्यों का प्रशिक्षण;

(ख) संसाधन कक्ष;

(ग) बच्चों का निर्धारण;

(घ) सांकेतिक सामग्रियों को तैयार करना;

(ङ) वास्तुशिल्पीय बाधाओं को हटाना;

(च) अन्य मदें ।

प्रपत्र–I

समेकित स्थापन में विकलांग बच्चों का नामांकन

राज्य/संघ शासित प्रदेश का नाम ______________________

____

क्र. सं.	योजना के अन्तर्गत शामिल ब्लाकों की संख्या	शामिल स्कूलों की संख्या	संसाधन कक्षों की संख्या	नये नामांकन संख्या							पिछले वर्ष के लिए नामांकन						
				नेत्रहीन	आंशिक दृष्टि	बहरे	आंशिक श्रवण	विकृत अंग	बिक्षिप्त	कुल	नेत्रहीन	आंशिक दृष्टि	बहरे	आंशिक श्रवण	विकृत अंग	विक्षिप्त	कुल

लड़के ______________________

लड़कियां ______________________

प्रपत्र-2

शिक्षकों का अवस्थापन/प्रशिक्षण

राज्य/संघ शासित प्रदेश का नाम ____________

तिमाही ____________

क्रम सं.	स्कूलों में कार्य कर रहे विशेष शिक्षकों की संख्या	तिमाही के दौरान प्रशिक्षित विशेष शिक्षकों की संख्या	स्कूलों में कक्षा, कक्ष एवं शिक्षकों की संख्या	
			कार्य कर रहे	तिमाही के दौरान प्रशिक्षित

एम. एच. आर. डी. द्वारा परिशोधित विकलांगों के लिए समन्वित शिक्षा ज्ञापनानुसार एफ 1-53/86 डेस्क (योजना-3) आई दिनांक 4 नवम्बर 1987 और मुद्रित अनुज्ञा प्रपत्र संख्या एफ—1-53/86 डेस्क (योजना 3) मई दिनांक 19 नवम्बर 1987

असम्पूर्ति सूचना

गांव.................................ब्लाक.................................पिन कोड.........................

गृह न.........................नाम.................................परिवार का मुखिया...................

भाषा...

क्रम संख्या	नाम	लिंग	आयु	मुखिया से सम्बन्ध	विद्यालय में नामकंन की तिथि	कब विद्यालय छोड़ा	यदि कोई निर्योग्यता आँख, कान, शारीरिक,/ मानसिक, वाक्	परिशिष्ट
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.								
2.								
3.								
4.								
5.								
6.								
7.								
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								

सलंग्नक—3

आवश्यक उपस्कर—निर्योग्यतानुसार

निर्योग्यता	उपस्कर
1	2
1. वाक और श्रवण हीनता	1. आवाज विभेदीकरण युक्त खिलौने (उच्च परिमार्जित)
	2. सामूहिक श्रवण सहायता
	3. व्यक्तिगत श्रवण सहायता
	4. सभी उपसाधनों से युक्त श्रव्यतामापी
	5. सभी सुगमतायुक्त वाक प्रशिक्षक
	6. संकेत भाषा पर चार्ट एवं स्लाइड्ह
	7. वर्णमाला की नियमावली
	8. वाक और श्रवण यंत्रिकत्व के नमूने
	9. वाक और श्रवणहीनता की न्यूनता/विरूपिता पर स्लाइड और चार्ट।
	10. अंग्रेजी अथवा किसी दूसरी भाषा में वाणीसन्धि स्थल/युक्ति पर चार्ट अथवा स्लाइड।
	11. अखिल भारतीय वाक एवं श्रवण, मैसूर में वाक संशोधन अभ्यास उपलब्ध है।

	12. वाक संशोधन के लिए दर्पण ।
2. नेत्रहीनता	1. ब्रेल वर्णमाला अंग्रेजी/अन्य दूसरी प्रान्तीय भाषा
	2. स्नेलेन चार्ट की आवश्यकता नेत्र परीक्षण हेतु ।
	3. ब्रेलकिट से सम्बन्धित, अबैकस, स्टाइलस, स्लेट, टेलर फ्रेम इत्यादि उभरे हुए टेप स्वर सीट, पुशपिन आदि ।
	4. गतिशीलता के लिए केन एवं अन्ध फोल्डर ।
	5. गतिशील कौशलों पर चार्ट ।
	6. प्लास्टिक आधारयुक्त आवर्धक दर्पण क्रियाकलापके योग्य, बेलनाकार आवर्धक, हस्त आवर्धक, समकोणीय या आयताकार पाठन इत्यादि ।
	7. ब्रेल अभिलेखक से युक्त अध्ययन और लिखावट के लिए स्टैण्ड ।
	8. वार्तालाप पुस्तक ।
	9. स्पर्श एवं श्रव्य अधिगम सामग्री ।
	10. नेत्र हीनता/विरूपिता पर स्लाइडस एवं चार्ट ।
	11. ब्रेल अभिलेखक से युक्त टाइपराइटर ।
	12. थर्मोफार्म मशीन (यंत्र) ।
3. अस्थि विकलांगता	1. ऊपरी एवं निचले शरीर हीनता पर बने हुए चार्ट/नमूने/स्लाइड ।
	2. भौतिक चिकित्सा के तकनीक पर निर्मित स्लाइड ।

3. प्रास्थेटिक अनुदान, पहिएदार कुर्सी, वाहुकवच, समायोज्य कुर्सी मोटी पेन्सिल होल्डर, किताब और पन्ने पलटने वाले आदि यंत्रों को क्रय करना ।

4. कृत्रिम अंग ।

5. अस्थि विकलांगता से सम्बन्धित रोगों और संशोधन पर बने हुए स्लाइडस ।

4. मानसिक पिछड़ापन

1. परीक्षण के लिए मनोवैज्ञानिक परीक्षणों का प्रयोग ।

2. मस्तिष्क के नमूने ।

3. दाये और वाये अर्द्धगोलक कार्य एवं मानसिक पिछड़ापन से सम्बन्धित समस्याओं पर निर्मित चार्ट/स्लाइडस ।

4. मानसिक मंदितमना बच्चों के लिए विभिन्न प्रकार के खेल ।

5. बौद्धिक कार्यात्मक से सम्बन्धित समायोज्य व्यवहार जो कि मानसिक मन्दितमना पर निर्मित की गयी स्लाइड ।

6. विभिन्न प्रकार की बुद्धिक्षमता पर निर्मित चार्ट ।

5. अधिगम सम्बन्धी समस्यायें

1. निर्धारण के लिए परीक्षणों का प्रयोग ।

2. अधिगम निर्योग्यता के आधारभूत क्षेत्रों जैसे प्रत्यक्षज्ञानात्मक, अध्ययन लेखन, गणितीय, श्रवण और सुग्राह्य पर निर्मित किया गया चार्ट/स्लाइड ।

3. बच्चों द्वारा समादेशित गलतियों पर निर्मित चार्ट/स्लाइड ।

4. इन समस्यायों के सुधार के लिए खिलौने/खेलों अन्य दूसरे सामग्री का प्रयोगकरना ।

सलंग्नक—4

संस्थाओं की सूची

राष्ट्रीय संस्थायें

1. निदेशक,
राष्ट्रीय नेत्र विकलांग संस्थान,
16, रायपुर, मार्ग,
देहरादून (उत्तर प्रदेश)

2. निदेशक,
राष्ट्रीय अस्थि विकलांग संस्थान,
बी. टी. मार्ग बून हुगली,
(कलकत्ता)

3. निदेशक,
राष्ट्रीय श्रवण विकलांग संस्थान,
अलीयावर जंग, बम्बई,
ड्राइव सिनेमा के विपरीत, कृष्ण चन्द्र मार्ग,
कालानगर, बम्बई-400051.

4. निदेशक,
राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान,
मानवविकास नगर,
10.3.60 पूर्व वावेनपल्ली,
सिकन्दराबाद-500011,

5. निदेशक,
राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और मनस्ताप विज्ञान संस्थान
बंगलौर,
कर्नाटक, 560029

6. निदेशक,
अखिल भारतीय वाक्‌ एवं श्रवण संस्थान,
मानस गंगोत्री,
मैसूर, 570006

7. निदेशक,
बी. एम. मानसिक स्वास्थ्य संस्थान,
नवरानपुरा,
अहमदाबाद (गुजरात)

8. **निदेशक,**
राष्ट्रीय शारीरिक विकलांग संस्थान,
4, विष्णु दिगम्बर मार्ग,
नई दिल्ली-110002.

क्षेत्रीय प्रशिक्षण केन्द्र

1. अधिकारी,
क्षेत्रीय प्रशिक्षण केन्द्र,
मानवविकास नगर,
बोवेनपल्ली, पी. ओ.
सिकन्दराबाद-500011

2. अधिकारी,
क्षेत्रीय प्रशिक्षण केन्द्र,
कस्तुरबा निकेतन,
लाजपत नगर,
नई दिल्ली

3. अधिकारी,
क्षेत्रीय प्रशिक्षण केन्द्र,
कस्तुरवा निकेतन,
लाजपत नगर,
नई दिल्ली

4. अधिकारी,
क्षेत्रीय प्रशिक्षण केन्द्र,
मानवविकासनगर,
11, प्रीटोरिया गली,
कलकत्ता, 700071

5. अधिकारी,
क्षेत्रीय अन्ध प्रशिक्षण संस्थान,
आर. के. मिशन आश्रम,
नरेन्द्रपुर, कोयम्बटूर
तमिलनाडू-743508

6. अधिकारी,
क्षेत्रीय नेत्र प्रशिक्षण संस्थान,
केयर ऑफ राजकीय अन्ध विद्यालय,
पूनामलाई, मद्रास-600056

7. निदेशक,
नाट्री डेम प्रशिक्षण केन्द्र,
22, ललिता महल मार्ग,
मैसूर-470010 (कर्नाटक)

8. श्रवण विद्यालय एवं प्रशिक्षण कालेज,
ऐसबाग,
लखनऊ-226004

9. मूक एवं वधिर विद्यालय, कलकत्ता,
293, आचार्य प्रफुल्लचन्द्र मार्ग,
कलकत्ता

10. वधिर मूक शिक्षा केन्द्र सुधार मण्डल,
805, श्रुति, बंगलौर,
बन्दकार मार्ग,
शिवाजीनगर
पूने-411004

11. निदेशक,
दृष्टिहीन हेतु अध्यापक प्रशिक्षण संस्थान,
केयर ऑफ विक्टोरिया मेमोरियल अन्ध विद्यालय
टारेडो, बम्बई-34

12. निदेशक,
दृष्टिहीन हेतु अध्यापक प्रशिक्षण केन्द्र,
अन्धबालक शैक्षिक,
रामकृष्ण, मिशन आश्रम,
पोस्ट आफिस-नरेन्द्र-743508,
24 परगना (पश्चिमी बंगाल)

क्षेत्रीय शिक्षा महाविद्यालय

1. प्रधानाचार्य,
क्षेत्रीय शिक्षा महाविद्यालय,
एन. सी. आर. टी. अजमेर

2. प्रधानाचार्य,
क्षेत्रीय शिक्षा महाविद्यालय,
एन. सी. आर. टी. भोपाल-13

3. प्रधानाचार्य,
क्षेत्रीय शिक्षा महाविद्यालय,
एन. सी. आर. टी. भूवनेश्वर-751007

4. प्रधानान्चार्य
क्षेत्रीय शिक्षा महाविद्यालय,
एन. सी. आर. टी. मैसूर-6

सामूहिक कार्य गोष्ठी के सदस्यों की सूची

1. डा. ए. के. श्रीवास्तव,
   प्रवक्ता,
   सी. एच. आई. आगरा ।

2. श्री ए. ओम.
   सहायक प्रोफेसर,
   एस. सी. आर. टी. मद्रास

3. श्री एच. जे. कावसजी,
   सहायक
   आई. ई. डी. क्षेत्र शै. अनु. प्र. एवं परिषद,
   उदयपुर (राजस्थान)

4. श्री के. बी. रथ,
   प्रवक्ता,
   क्षेत्रीय शिक्षा महाविद्यालय,
   अजमेर राजस्थान

5. श्री. के. पी. गुप्ता,
   सेवानिवृत्ति, प्रधानाचार्य,
   लेडी न्वायस स्कूल,
   फिरोजशाह कोटला
   नई दिल्ली ।

6. डा. एन. सी. पत्ती,
   प्रवक्ता,
   मनोविज्ञान विभाग,
   उत्तकल विश्वविद्यालय,
   भुवनेश्वर-4, उड़ीसा ।

7. श्री एम. पी. साहू,
   प्रवक्ता,
   क्षेत्रीय शिक्षा महाविद्यालय,
   भुनेश्वर, उड़ीसा ।

8. डा. (श्रीमती) प्रेमलता शर्मा,
अ. शिक्षा, एवं वि. सेवा विभाग,
रा. शै. अनु. प्र. एवं परिषद, नयी दिल्ली-16

9. श्री आर. बी. एल. सोनी,
प्रवक्ता,
क्षेत्रीय शिक्षा महाविद्यालय,
भोपाल म. प्र.

10. श्री आर. डी. शर्मा
अध्यापक,
राजकीय उच्चतर मध्यमिक विद्यालय,
पटौडी (गुड़गांव)

11. श्रीमती आर. श्रीमाली
उपनिदेशक,
क्षे. शै. अनु. प्र. एवं परिषद उदयपुर, राजस्थान

12. डा. एस. के गोयल,
प्रवाचक,
क्षेत्रीय शिक्षा महाविद्यालय,
भुनेश्वर, उड़ीसा।

13. श्रीमती सवित्री सिंह,
अध्यापक
आई. आई. टी. जवाहर लाल, नेहरू विश्वविद्यालय,
नयी दिल्ली।

14. कु. एस. रामा,
प्रवक्ता,
विशेष शिक्षा, क्षेत्रीय शिक्षा महाविद्यालय,
मैसूर

15. डा. सूर्यकान्त मिश्र,
निदेशक,
वाक श्रवण और मानसिक स्वास्थ्य संस्थान,
किदवई नगर,
कानपुर, उत्तर प्रदेश।